

हिन्दी भाषा का सरल व्याकरण

डॉक्टर भोलानाथ तिवारी



राजापाम्बुद्ध प्रकाशन

देल्ली रम्बई इलाहाबाद पटना मद्रास

{ राजन्यान प्रत्तम गाँठ

प्रकाशक :
राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड,
दिल्ली

© भोलानाथ तिवारी, १९५८

मूल्य : तीन रुपये पचास नस्ते पैसे

प्रथम संस्करण, १९५८

मुद्रक
धी गोपीनाथ सेठ
नवीन प्रेस, दिल्ली

खण्ड एक ध्वनि-विचार

१. वर्णमाला	-	-	-	५
२. लिपि	-	-	-	८
३. ध्वनियों का वर्गीकरण और उच्चारण	-	-	-	१६
४. सन्धि	-	-	-	२४

खण्ड दो : शब्द-विचार

१. सत्रा	-	-	-	३६
२. लिंग	-	-	-	४०
३. वचन	-	-	-	४६
४. कारक	-	-	-	५२
५. सर्वनाम	-	-	-	६४
६. विशेषण	-	-	-	७८
७. क्रिया	-	-	-	८०
८. अव्यय	-	-	-	१४७
९. शब्द-रचना	-	-	-	१५६
१०. व्युत्पत्ति	-	-	-	१७०
११. पद-व्याख्या	-	-	-	१७४

खण्ड तीन वाक्य-विचार

१ वाक्य का लक्षण और उसकी आवश्यकताएँ	-	-	-	१७६
२ वाक्य के अग तथा भेद	-	-	-	१८८
३ वाक्य-विश्लेषण	-	-	-	१६३
४ विराम-चिह्न	-		-	१६६

व्याकरण और उसके विभाग

अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग मनमाने ढग से नहीं किया जा सकता। इसके लिए भाषा के अपने नियम होते हैं। व्याकरण इन्हीं नियमों का सम्रह या समूह है। दूसरे शब्दों में 'व्याकरण' वह शास्त्र है, जो किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है।'

भाषा के तीन श्रग होते हैं—ध्वनि, शब्द और वाक्य। श्र, श्रा, क्, ख् आदि ध्वनियाँ हैं। ध्वनियों के योग से ही शब्द बनते हैं। जैसे 'धोड़ा' शब्द ध+ओ+ड+आ इन चार ध्वनियों के योग से बनता है। कई शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे 'धोड़ा दौड़ रहा है' एक वाक्य है। इसमें 'धोड़ा', 'दौड़', 'रहा' और 'है' ये चार शब्द हैं।

भाषा के इन्हीं तीन श्रगों के आधार पर व्याकरण के भी तीन विभाग बनाये गए हैं, जिन्हे 'ध्वनि-विचार', 'शब्द-विचार' और 'वाक्य-विचार' कहते हैं।

'ध्वनि-विचार' में किसी भाषा की ध्वनियों का उच्चारण, वर्गीकरण, उन्हें लिखने का ढग तथा उनके मेल से शब्द बनाने

के नियम आदि का वर्णन रहता है। 'शब्द-विचार' में शब्दों के भेद तथा एक रूप के आधार पर नये रूपों के निर्माण का ढग आदि बतलाया जाता है। 'वाक्य-विज्ञान' में वाक्य के शब्दों का एक-दूसरे से सम्बन्ध तथा शब्दों के आधार पर वाक्य या वाक्याश बनाने के नियम आदि का विचार किया जाता है।

स्थण्ड एक

द्विने-द्विचार

१. वर्णमाला

वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सकें, 'वर्ण' है। जैसे अ, क्, प्। किसी भाषा में प्रयोग में आने वाली मूल ध्वनियों या वर्णों के समूह को ही उस भाषा की 'वर्णमाला' कहते हैं। हिन्दी वर्णमाला में कुल ५३ वर्ण हैं—

स्वर—अ आ इ ई

उ ऊ औ ए ऐ ओ ओ

व्यञ्जन—कवर्ग—क् ख् ग् घ् ह्

चवर्ग—च् छ् ज् झ् झ्

टवर्ग—ट् ठ् ड् ढ् ण्

तवर्ग—त् थ् द् ध् न्

पवर्ग—प् फ् ब् भ् म्

अन्तस्थ—य् र् ल् व्

ऊष्म—श् ष् म् ह्

द्वि-स्पृष्ट—ड् ढ्

क् ख् ग् ज् फ्

अनुस्वार— —

विसर्ग— —

इनमे प्रथम दो पक्तियो के ११ वर्ण स्वर हैं और शेष पक्तियो के ४२ वर्ण व्यञ्जन हैं। व्यञ्जनो मे हर पक्ति के आरम्भ मे उसके व्यञ्जनो का सामूहिक नाम दिया गया है। क, ख, ग, ज, फ के लिए कोई सामूहिक नाम नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग में केवल एक-एक व्यञ्जन है। इन स्वरों और व्यञ्जनो के यो तो अ, इ, क् आदि नाम हैं ही, पर इसके अतिरिक्त इनके साथ—‘कार’ शब्द जोड़कर इन्हे ‘अकार’, ‘इकार’, ‘ककार’ आदि भी कहते हैं।

अनुस्वार और विसर्ग को छोड़कर सभी व्यञ्जनो के नीचे तिरछी लकीरे (、) हैं, जिन्हे ‘हल्’ कहते हैं। हल् लगाने का अर्थ यह है कि वे शुद्ध व्यञ्जन हैं, उनमे कोई स्वर नहीं मिला है। हम लोग प्रायः क, ख आदि लिखते हैं। ये क, ख शुद्ध या केवल व्यञ्जन नहीं हैं। ‘क’ मे ‘क्’ और ‘अ’ दो वर्ण या ध्वनियाँ मिली हैं—

क् + अ = क

इसी प्रकार ख, ग आदि अन्य व्यञ्जनो मे भी।

बहुत-सी पुस्तको में इन वर्णों के अतिरिक्त अ, अ, क्ष, त्र, झ भी मिलते हैं। पर ये एक वर्ण न होकर दो वर्णों के मिले हुए रूप हैं—

अ = अ + (—)

अ = अ + ()

स = क + ष }
त्र = त + र }
श = श + ष }

अत इन्हे वर्णमाला में स्थान नहीं देना चाहिए।

२. लिपि

भाषा बोली जाती है, पर कभी-कभी उसे लिखना भी पड़त है। लिखने में हर ध्वनि के लिए एक चिह्न का प्रयोग होता है जिसे लिपि कहते हैं। हिन्दी भाषा नागरी लिपि में लिखी जात है। नागरी लिपि के चिह्न या अक्षर पीछे के अध्याय ५ (पृ० ५ पर) दिये गए हैं।

इनमें आरम्भ के ११ चिह्न, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है स्वर है। लिखने की दृष्टि से 'अ' को छोड़कर अन्य स्वरों के दो रूप होते हैं। एक उनका मूल रूप और दूसरा उनको मात्रा का रूप-स्वरों का मूल रूप— अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ अ स्वरों की मात्रा का रूप— । १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

जब स्वरों का अकेले प्रयोग करना होता है तो उनका मूल रूप लिखा जाता है। जैसे 'आप' शब्द में 'आ' या 'इमका' शब्द में 'इ'। पर, जब स्वरों को किसी व्यञ्जन (क् ख् ग् आदि) से मिलाकर लिखना होता है तो उनकी मात्रा के रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे काम में 'का' (क् व्यञ्जन + १, आ क मात्रा-रूप)। 'र्' व्यञ्जन में भी स्वरों की मात्राएँ इस प्रकार

लगाई जा सकती है—

क का कि की कु कू कृ के कै को कौ

इसी प्रकार अन्य व्यञ्जनों में भी मात्राएँ लगती हैं।

यहाँ चार बातें विशेष रूप से ध्यान देने की हैं—

१. 'अ' का कोई मात्रा-रूप नहीं होता। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है शुद्ध व्यञ्जन 'क' न होकर 'क्' है। 'क्' में जब 'अ' लगाना होता है तो केवल हल् को हटा देते हैं।

पर्याप्ति—

$\text{क} + \text{अ} = \text{क}$

इसी प्रकार सभी व्यञ्जनों का हल् हटाने के बाद जो रूप बचता है उसमें उस व्यञ्जन के अतिरिक्त 'अ' स्वर भी मिला होता है। जैसे ख, ($\text{ख} + \text{अ}$), ग ($\text{ग} + \text{अ}$) तथा व ($\text{व} + \text{अ}$) आदि।

२. 'अ' के अतिरिक्त अन्य स्वरों के मात्रा-रूप लगाने के लिए व्यञ्जन का हल् हटाने के बाद उस स्वर की मात्रा जोड़ी जाती है।

$\text{क} + \text{आ} = \text{क} + \text{।} = \text{का}$

३. आ (।), ई (॥), ओ (०) और औ (००) की मात्राएँ व्यञ्जन के बाद में लगाई जाती हैं—

का की को को

इ (॥) की मात्रा व्यञ्जन के पहले लगाई जाती है—
कि

उ (०), क (००) और कृ (०००) की मात्राएँ व्यञ्जन के नीचे लगाई जाती हैं—

कु कू कृ

और 'ए' (`) तथा 'ऐ' (`) की मात्राएँ व्यञ्जन के ऊपर लगाई जाती हैं—

के कै

४ 'र्' व्यञ्जन में उ और ऊ की मात्राएँ अन्य व्यञ्जनों की भाँति न लगाई जाकर निम्न प्रकार से लगती हैं—

र् + उ = रु

र् + ऊ = ऊ

अनुस्वार (—) और विसर्ग () क्रम से स्वर के ऊपर तथा वाद में लगाए जाते हैं।

क (क् + अ) + — = क

क (क् + अ) + · = क

कि (क् + इ) + — = कि

का (क् + अ) + = का

जैसे व्यञ्जन के साथ स्वर मिलाए जाते हैं, उसी प्रकार कभी-कभी व्यञ्जन से व्यञ्जन भी मिलाने पड़ते हैं। इस दृष्टि में नागरी लिपि के व्यञ्जनों के दो प्रकार हैं—

(१) एक तो वे हैं, जिनके अन्त में एक पाई (।) होती है। जैसे ख, ग, घ, च, ज, त, थ, प आदि।

(२) दूसरे वे होते हैं, जिनमें पाई नहीं होती जैसे क, ड, छ, भ, ट, ठ, उ, द, द, फ, र, ह आदि।

जब किसी दूसरे व्यञ्जन से पाई वाले व्यञ्जनों को मिलाना होता है तो पाई हटाकर मिलाने हैं—

म् + न = म्न । प् + य = प्य । त + थ = त्थ । ग् + घ =

रघ । त् और त मिलाने से 'त्त' एक नया रूप हो जाता है ।

विना पाई के व्यजनों के सम्बन्ध में प्रमुख रूप से निम्नाद्वित वातें याद रखने की हैं—

१ 'र' व्यञ्जन के, (प्रात), ' (गर्भी) और, (ट्रेन) तीन अन्य रूप भी मिलते हैं । इन चारों रूपों में र, , (प्रात), (ट्रेन) ये तीन तो 'अ' स्वर से मिले हुए रूप हैं । अर्थात् र, , और में कोई अन्तर नहीं है । तीनों ही र+अ हैं । चौथा रूप 'आधा या स्वर-विहीन' है । दूसरे शब्दों में रूप र का ही दूसरा रूप है और, , र के दूसरे रूप हैं । कम, ग्राम, या ट्रेन, ड्रेस में प्रायः लोग समझते हैं कि 'र' आधा है, पर यथार्थतः इनमें क, ग, ट, ड आधे या स्वर-विहीन हैं और 'र' पूरा (अस्वर से युक्त) है । इस सम्बन्ध में कुछ वातें ध्यान देने की हैं—

(क) 'र' के इन तीन रूपों (र, ,) में जहाँ र को किसी स्वर के साथ (पूरा) आना हो तो 'र' रूप आयगा । जैसे रस, (र+अ+स), राम (र+आ+म), रीत (र+ई+त) ।

(ख) जहाँ 'र' को पूरा आना हो, पर उसके पूर्व क, ख, ग, घ, च, ज, त, थ, द, घ, न, प, फ, ब, भ, म, य, ल, व, श, ष, स तथा ह को आधे आना हो र का, रूप प्रयुक्त होगा । जैसे—

क, ख, ग, त् (या त्र), द्र, थ्र, भ्र, न्र, स्त्र या ह आदि । 'श' के साथ इसका रूप कुछ विचित्र हो जाता है—

श+र=श्र

(ग) जहाँ 'र' को पूरा आना हो, पर उसके पूर्व छ, ट, ठ, ड, ढ व्यञ्जन आधे या स्वर-विहीन हो वहाँ ये व्यञ्जन पूरे रहेंगे और 'र' का रूप प्रयुक्त होगा । जैसे छू, ट्र, ड्र आदि ।

(घ) आधे 'र्' के लिए ' (इसे रेफ कहते हैं) का प्रयोग होता है जैसे र् + म = म (गर्मी) । किसी व्यञ्जन के पूर्व विना स्वर का 'र' आवे तो यही रूप होता है ।

२ 'क' को यदि 'क' से मिलाना हो तो नीचे (विना शिरो-रेखा के) या बगल मे मिलाते हैं—

क्क या क़

अन्य व्यञ्जनों से मिलाने के लिए 'क' के पीछे लटकी टेढ़ी लकीर को छोटी करके मिलाते हैं जैसे—रक्खा, पक्का, क्या आदि । 'क' को त, म, र और ष से मिलाने पर प्राय रूप नया हो जाता है—

क् + त = क्त

क् + म = क्म

क् + प = क्प या क्ष

क् + र = क्र या क्र

३ ड, छ, झ, ट, ठ, ड, ढ, प्राय भयोग मे भी पूरे लिखे जाते हैं । केवल ह्ल् का चिह्न लगाकर इन्हे आधा कर लेते हैं । जैसे—वाड् मय, उच्छ्वाम, टट्टु । 'ड्' को क, ग मे मिलाने के लिए कभी-कभी क, ग को ढ के नीचे भी लिखते हैं । जैसे—गङ्गा, पङ्ग् । ट ठ ड ढ को एक-दूसरे के माध्य मिलाना होता है तो अन्त का व्यञ्जन पूर्व व्यञ्जन के नीचे विना शिरो-रेखा के लिखा जाता है । 'य' के नाम मिलाने के लिए 'य' को तोड़कर मिलाने हैं । जैसे—द् + य = ट्य ।

४ 'फ' का मिलाने के लिए 'ङ' का तरह आगे की तरफ़ीर को छोटी कर लेते हैं । जैसे—फन, पर या पम आदि ।

५. 'द' के प्रधान मिले रूप इस प्रकार हैं—

द + घ = द्घ या छ

द + द = द्द

द + घ = द्घ

द + म = द्म

द + य = द्य

द + व = द्व

(६) 'ह' का 'र' के साथ योग का रूप (ह) ऊपर दिखाया गया है। शेष प्रचलित रूप ये हैं—

ह + न = ह्न

ह + ल = ह्ल

ह + व = ह्व

ह + म = ह्म

ह + य = ह्य

कुछ लिपि-चिह्न दो रूपों में भी मिलते हैं। इनमें प्रमुख ये हैं—

अ या अ

आ या आ

ऋ या ऋ

ण या ण

ऋ या च्छ

ऋ या त्र

ऋ या क्र

ऋ या झ

क्त या क्त

उपर्युक्त चिह्नों के अतिरिक्त एक^० (चन्द्र विन्दु) चिह्न का भी हिन्दी लिखने में प्रयोग होता है। जब किसी स्वर या व्यञ्जन के उच्चारण में मुख के अतिरिक्त नाक की भी सहायता ली जाती है तो इसके ऊपर लिखते हैं। जैसे—कं, औं, आँ आदि। प्रयोग की दृष्टि से यह भी स्मरणीय है कि यदि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो चन्द्रविन्दु के स्थान पर भी अनुस्वार या विन्दु का ही प्रयोग होता है। जैसे 'सोँठ' के स्थान पर 'सोठ' या 'सेँक' के स्थान पर 'सेक'।

ऋ, ड्, ब्र, ण, त्, म्, —, प्, ख्, झ्, ड, ढ, क, ख, ग, झ और फ के प्रयोग के विषय में निम्नांकित वाते स्थान देने की है—

१ ड् का प्रयोग क, ख, ग, घ के पूर्व हो होता है। जैसे—अङ्क, पङ्क, अङ्ग, कङ्गी। पर ग्रव ऐसे स्थानों पर ड् का प्रयोग न करके — का हो प्रयोग किया जा रहा है। जैसे—अक, पख, अग, कघी। 'पराड्-मुख' और 'वाड्-मय' इन दोनों शब्दों में अपवाद-स्वरूप 'ड्' का दूसरे प्रकार का प्रयोग मिलता है। यहाँ — का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

२ म् का प्रयोग हिन्दी में प्राय नहीं हो रहा है। योन, छ, ज, झ के पूर्व इसके प्रयोग का नियम है। जैसे—अञ्चल, पञ्ची, अञ्जन तथा भञ्जट। पर, इन स्थानों पर अव — का प्रयोग होता है। जैसे अचन, पछो, अजन, भझट।

३ ण का प्रयोग केवल मस्तक शब्दों में होता है। जैसे—गण, गणना आदि। ण का प्रयोग ट, ठ, ड, ढ के पूर्व करने का नियम है। जैसे—पण्टा, अण्डा तथा ठण्डा आदि। पर, अत इसके

स्थान पर प्राय — का ही प्रयोग होता है। जैसे—घटा-अडा तथा ठंडा आदि।

४ 'न्' का प्रयोग त, थ, द, ध, के पूर्व करने का नियम है। जैसे—सन्त, पन्थ, अन्दाज और अन्धा। पर, अब इसके स्थान पर — का प्रयोग भी शुद्ध माना जाता है। जैसे—सत, पथ, अंदाज और अधा। 'न' का प्रयोग सभी प्रकार के शब्दो में होता है।

५ 'म्' का प्रयोग केवल प, फ, व, भ, के पूर्व करने का नियम है। जैसे—पम्प, अम्बु। पर, अब इसके स्थान पर ड, त्र, ण, न की भाँति — का भी प्रयोग गुद्ध माना जाता है। जैसे—पप, अबु। 'म' का प्रयोग सभी प्रकार के शब्दो में होता है।

६ छ, ष, क्ष, ज्ञ का प्रयोग केवल सस्कृत शब्दो में होता है। जैसे—ऋण, शेष, शिक्षा, ज्ञान।

७ क, ख, ग, ज, फ का प्रयोग केवल अरबी-फारसी-तुर्की शब्दो में होता है। जैसे—कानून, खवर, गरीब, ज़हर, फौरन। ज़ और फ अग्रेजी शब्दो में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे—गजट आफिस।

८ ड, झ, ण, — ड, ढ शब्दो के आरम्भ में कभी नही आते।

९ —का प्रयोग क, च, ट, त, प, आदि के अतिरिक्त श, स, ह के पूर्व भी होता है। जैसे—हस, अश, सिंह, इत्यादि।

३. ध्वनियों का वर्गीकरण और उच्चारण

ध्वनियाँ दो प्रकार की मानी जाती हैं— १ स्वर, २ व्यञ्जन
‘स्वर’ उन ध्वनियों को कहते हैं, जिनके उच्चारण में मुँह के
न तो बिलकुल बन्द (जैसे ‘क’ या ‘प’ के उच्चारण में) करते हैं
और न इतना सँकरा करते हैं कि हवा रगड़ खाकर (जैसे ‘स’
‘श’ के उच्चारण में) निकले। इसके उलटे ‘व्यञ्जन’ के उच्चारण
में मुँह को या तो बन्द करके फिर खोलते हैं या इतना सँकरा
कर लेते हैं कि हवा रगड़ खाकर निकलती है।

(क) स्वर

स्वर—दो प्रकार के होते हैं— १ मूल, २ सयुक्त। जो
स्वर स्वरों के मेल से न बने हो मूल स्वर कहलाते हैं, और जो
दो स्वरों के मेल से बने हो वे सयुक्त स्वर। हिन्दी के मूल और
सयुक्त स्वर ये हैं—

मूल स्वर—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ओ

सयुक्त स्वर—ऐ (अ+ए), आौ (अ+ओ)

कुछ स्वरों के उच्चारण में देर लगती है और कुछ का
उच्चारण शीघ्रता से हो जाता है। इस दृष्टि से भी स्वरों के

दो भेद हैं—१ हस्त, २ दीर्घ। हस्त स्वरो के उच्चारण में थोड़ा समय लगता है। दीर्घ स्वरो के उच्चारण में अधिक। हिन्दी के हस्त और दीर्घ स्वर ये हैं—

हस्त स्वर—अ', इ, उ, ऋ

दीर्घ स्वर—आ', ई, ऊ, ए', ऐ, ओ', औ

किसी स्वर का उच्चारण करने में जीभ का कौन-सा भाग उठता है, इस आधार पर स्वरो के अग्र, मध्य और पश्च तीन भेद किये जाते हैं। हिन्दी में 'इ,' 'ई,' 'ए' अग्र स्वर हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर उठता है। 'अ' मध्य स्वर है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा-सा उठता है। 'उ,' 'ऊ,' 'ओ' और 'आ' के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है, अतः ये पश्च स्वर हैं।

'ऐ,' 'ओ' और 'ऋ' के उच्चारण कुछ भिन्न हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है 'ऐ' स्वर 'अ' और 'ए' का संयुक्त रूप है, अतएव

१ हिन्दी में 'अ' का एक और छोटा रूप भी व्यवहृत होता है। 'नौकर' शब्द में 'क' का 'अ' मामान्य 'अ' से छोटा है। यदि 'अ' हस्त है तो इसे हस्तवाद्ध कहा जा सकता है।

२. वहन-मेर शब्दों (कॉलिज, डॉक्टर) में एक ऐसे 'आ' का व्यवहार होता है, जिसके उच्चारण में ओठ को गोला करना पड़ता है। इसे 'ओ' लिखा जा सकता है।

३ 'ए' और 'ओ' के भी हस्त रूप (एकता, ओखनी) हिन्दी में बोले जाते हैं।

इन ध्वनियों को लिखने में प्राय अभी अलग चिह्न से लिखने की परम्परा नहीं है। इसलिए यहाँ इन्हें स्वानं नहीं दिया गया है।

इसके उच्चारण में जीभ पहले 'अ' का उच्चारण करके तुरत 'ए' का उच्चारण करती है। जल्दी के कारण ही अ और ए दोनों ही अपने सामान्य रूप से कुछ हस्त रूप में यहाँ उच्चरित होते हैं। 'ओ' स्वर 'अ' और 'ओ' का सयुक्त रूप है, अत इसके उच्चारण में जीभ पहले 'अ' और फिर 'ओ' का उच्चारण करती है। 'ऐ' की भाँति ही 'ओ' के उच्चारण में भी 'अ' और 'ओ' का रूप कुछ हस्त हो जाता है।

'ऋ' का शुद्ध उच्चारण आज होता ही नहीं। इसके स्थान पर हम लोग 'रि' कहते हैं। इम प्रकार केवल लिखने के लिए 'ऋण' लिखा जाता है। बोलने में हम लोग 'रिण' बोलते हैं। ऐसी स्थिति में 'ऋ' को स्वर मानना ठीक नहीं है। यह 'र' व्यञ्जन और 'इ' स्वर का सयुक्त मात्र रूप है।

ऊपर स्वरों का जो विवरण दिया गया है वह यह मानकर कि स्वर के उच्चारण में हवा सिर्फ मुँह से निकलती है। इन स्वरों में हवा नाक से नहो निकलती, अत इन्हे अनुनासिक कहते हैं। स्वरों का दूसरा रूप अनुनासिक भी हो सकता है, जिनके उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है। जैसा कि पीछे सकेन किया जा चुका है, अनुनासिक स्वरों को लिखने के लिए चन्द्रविन्दु (—) या यदि मात्रा गिरोरेखा के ऊपर हो तो विन्दु (—) का प्रयोग करते हैं—

अँ, ओँ, डँ, ईँ, उँ, ऊ, एँ, ए, ओ, ओ

(ख) व्यञ्जन

व्यञ्जनों के वर्गीकरण तथा उच्चारण पर विचार करने के

पूर्व बोलने के सम्बन्ध से कुछ सामान्य वातें जान लेनी आवश्यक हैं।

जब हम बोलना चाहते हैं तो हवा को फेफड़े से बाहर निकालते हैं। ऊपर आने पर हवा गले में एक प्रकार के सदूक से होकर गुजरती है, जिसे स्वर-यन्त्र कहते हैं। जब स्वर-यन्त्र का मुख बन्द रहता है तो हवा को रगड़ खाते हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार की कॉप्ती हुई हवा से उत्पन्न ध्वनि घोष^१ कहो जाती है। जब स्वर-यन्त्र का मुख बन्द नहीं रहता तो हवा सरलता से निकल जाती है। इस प्रकार की हवा से उच्चरित ध्वनियाँ अघोष कही जाती हैं। यही एक और भी बात ध्यान देन की है, कभी तो हम कम हवा निकालते हैं और कभी अधिक। हवा को सस्कृत में 'प्राण' कहते हैं। इसी आधार पर कम हवा से उच्चरित ध्वनि 'अल्पप्राण' और अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि 'महाप्राण' कही जाती है।^२ हवा स्वर-यन्त्र से ऊपर चलकर इसके फास आती है और यहाँ से कभी तो केवल मुँह की ओर जाती है, कभी केवल नाक की ओर और कभी दोनों ओर। किसी ध्वनि का उच्चारण जब मुँह और नाक दोनों से हवा निकालकर होता है तो उसे 'अनुनासिक' और यदि केवल मुँह से निकालकर होता है तो उसे 'निरनुनासिक' कहते हैं। हवा कण से होती हुई मुँह में आती है तो उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कुछ प्रयत्न किये जाते हैं। हिन्दी व्यञ्जनों की दृष्टि से ये

^१ सभी स्वर, ग, घ, ड, ज, झ, ब, ढ, द, ण, व, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, श, ञ 'घोष' है। शेष व्यजन 'अघोष' है।

^२ ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ 'महाप्राण' है और शेष व्यजन 'अल्पप्राण'।

प्रयत्न द प्रकार के हैं—

स्पर्श— स्पर्श का अर्थ है 'छूना'। किसी एक ग्रन्थ का दूसरे से स्पर्श कराते हैं। कवर्ग के उच्चारण में जीभ के पिछले भाग का कोमल तालु (जो कण्ठ के पास होता है) से स्पर्श कराया जाता है। इसी प्रकार टबर्ग के उच्चारण में जीभ की नोक उलटकर तालु के मध्यभाग या मूद्र्वा से, तबर्ग में 'न' को छोड़कर शेष ध्वनियों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग को ऊपर के दाँतों से, पवर्ग के उच्चारण में दोनों ओठों को और 'क' के उच्चारण में जीभ की जड़ का कोमल तालु के पिछले भाग से स्पर्श कराते हैं। ये सभी ध्वनियाँ इसीलिए स्पर्श कही जाती हैं। इनके उच्चारण में स्पर्श कराने के बाद दोनों अग हटा लिए जाते हैं और तब ध्वनि निकलती है।

स्पर्श-सघर्ष— इसमें स्पर्श के साथ ही हटाने समय सघर्ष या रगड़ भी करते हैं। 'च', 'छ', 'ज', 'झ' के उच्चारण में जीभ का अगला ऊपरी हिस्सा कठोर तालु का स्पर्श और सघर्ष करता है। इसी आधार पर इन ध्वनियों को स्पर्श सघर्षी कहते हैं।

अनुनासिक—इसमें हवा मुँह के साथ-माय नाक में भी निकलती है। म, 'न', 'ण', 'ञ', 'ড' ध्वनियाँ ऐसी ही हैं। इनमें 'ম', 'ণ', 'ড' के उच्चारण-म्यान का मकेन किया जा चुका है। 'ন' के उच्चारण के लिए जीभ का अगला भाग मसूड़े को छूता है। इसीलिए इसे दन्त्य कहना गത है। यह तत्स्यं (मस्कृत में 'वत्सं' मसूड़े को कहते हैं) है। 'ঞ' के उच्चारण में जीभ का अगला ऊपरी भाग कठोर तालु को छता है। ये मभी ध्वनियाँ अनुनासिक ध्वनियाँ कहनाती हैं।

पार्श्वक—‘पार्श्वक’ का अर्थ है ‘वगल का’। इसमें जीभ तालु को छूती है पर दोनों या एक वगल में रास्ता खुला रहता है और हवा निकलती रहती है। ‘प’, ‘क’ आदि उच्चारण की भाँति वायु-मार्ग पूर्णत बन्द नहीं होता। ‘ल’ के उच्चारण में जीभ का अगला भाग मसूड़े के पास इसी प्रकार की क्रिया करता है। इसी आधार पर ‘ल’ को पार्श्वक ध्वनि कहते हैं।

लुठित—‘लुठित’ का अर्थ है वार-बार हिलाया हुआ। हिन्दी की ‘र’ ध्वनि के उच्चारण में जीभ की नोक को मसूड़े के पास दो-तीन बार हिलाते हैं। इसी कारण इस ध्वनि का नाम लुंठित है।

उत्क्षिप्त—‘उत्क्षिप्त’ का अर्थ है फेंका हुआ। कुछ ध्वनियों में कुछ अग एक स्थान से दूसरे की ओर फेंके जाते हैं। ‘छ’, ‘ढ’ इसी प्रकार की ध्वनियाँ हैं। इनमें जीभ की नोक उलटकर मूर्ढा से आगे की ओर फेंकी जाती है।

सघर्ष—कभी-कभी दो अगों को इतना पास ला देते हैं कि मुख मार्ग सँकरा हो जाने के कारण हवा घर्ष करती हुई या रगड़ती हुई निकलती है। ‘फ’, ‘व’, ‘स्’, ‘ज्’, ‘श्’, ‘ख्’, ‘ग्’, ‘হ্’ ध्वनियाँ इसी प्रकार की हैं। ‘ফ’ और ‘ব’ के उच्चारण में नीचे के ओठ और कपर के दाँत के बीच, ‘স্’, ‘জ্’, में जीभ के अगला भाग और मसूड़े के बीच; श में जीभ के अगला भाग और कठोर तालु के बीच, ‘খ্’, ‘গ্’ में जीभ की जड़ और कोमल तालु के बीच तथा ‘হ্’ में स्वर-यन्त्र के मुख के दोनों परदों या छक्कनों के बीच हवा रगड़ खाती हुई निकलती है।

अर्द्धस्वरीय प्रयास—इसमें दो अग समीप आते हैं पर

इतने अधिक नहीं कि हवा रगड़ खाकर निकले । 'य्', 'व्' के उच्चारण में ऐसा ही होता है । 'य्' के उच्चारण में जीभ का अगला ऊपरी भाग कठोर तालु के पास जाता है और 'व्' के उच्चारण में दोनों ओठ समीप आते हैं, साथ ही जीभ का पिछला भाग और कोमल तालु भी ।

ये प्रयत्न की दृष्टि से भेद थे । प्रयत्नों के भेद के साथ हमने यह भी देखा कि किसी ध्वनि का उच्चारण किसी स्थान से होता है और किसी का किसी से । हिन्दी व्यञ्जनों के उच्चारण की दृष्टि से ये उच्चारण-स्थान, १ स्वर-यन्त्र मुख, २ जिह्वामूल, ३ कोमल तालु, ४ मूर्ढा, ५ कठोर तालु या तालु, ६ वर्त्स (मसूड़े), ७ दन्त, ८ दन्त और ओठ तथा ९ दोनों ओठ हैं, और इसी आधार पर व्यञ्जन १० प्रकार (स्वरयन्त्र मुखी, जिह्वामूलीय, कोमल तालव्य) इनका पुराना नाम कण्ठ्य था (मूर्ढन्य, कठोर तालव्य या तालव्य, वर्त्स्य, दन्त्योष्ठ्य, द्व्योष्ठ्य) के होते हैं ।

ऊपर बताई गई बातों के आधार पर हिन्दी व्यञ्जनों का वर्गीकरण सक्षेप में चार्ट में दिये गए ढग से किया जा सकता है । इससे इनके उच्चारण का ढग भी स्पष्ट हो जाता है ।

इस चार्ट में 'व' दो हैं । यथार्थतः हिन्दी में दो 'व' का प्रयोग होता है । एक का उच्चारण दोनों ओठों में होता है और दूसरे का ऊपर के दाँत और नीचे के ओठ में । ज्वर, स्वर, व्वारा आदि शब्दों के 'व' का उच्चारण दोनों ओठों में होता है और वेदना, चावन आदि का 'व' ऊपर के दाँत और नीचे के ओठ से योना जाता है । विसर्ग 'ह' के मात्र अघोष के लाने में दिखाया गया है । विसर्ग 'ह' का ही अघोष-स्फूर्त है, चार्ट में अनुस्वार नहीं

— — — — —

हिन्दी व्यञ्जन

प्रयत्न	स्थान					जिहामूलीय स्वरप्रथमुक्ती		
	द्वयोऽध्य	दत्योऽध्य	दंश्य	वर्तमं	तालव्यं या कठोर तालव्य	मुद्दन्य	कोमल तालव्य	
स्पर्शं	ए् व्	फ् भ्	द् ष्	त् श्	द् व्	ह् र्	क् ग्	
स्पर्श-संघर्षी					च् छ्	ज् भ्		
भ्रन्तासिक	म्			न्	व्	ए्	उ्	
पार्श्विक					ल्			
‘हुं’ठित					इ		उ् इ	
उत्खण्ड							उ्	
संघर्षी					म् ज्	श् (ष)		ख् ग्
अदंस्त्वर				फ् व्		य्		ह्

टिप्पणी—स्पर्शं तथा स्पर्शों-संघर्षी में ऊपर की प्रवित्तया अधोष और नीचे की धोष या सघोष है। भ्रन्तासिक, पार्श्विक, हुं’ठित, उत्खण्ड और अदंस्त्वर के खानों की सभी छवतियाँ धोप हैं। संघर्षी में हर खाने की पहली छवति अधोष और हसरी धोष है।

है। जैसा कि ऊपर सकेत किया जा चुका है। यह 'ङ', 'ण', 'ञ', 'न', 'म' का ही एक रूप है। इसीलिए इसका उच्चारण-स्थान एक नहीं है। 'ष' को 'श' के साथ कोष्ठक में लिखा गया है। इसका कारण यह है कि आजकल हिन्दी में 'ष' का उच्चारण नहीं होता। उसके स्थान पर भी हम 'श' का ही उच्चारण करते हैं। इस प्रकार 'शेष' हम केवल लिखने के लिए लिखते हैं। यथार्थत हम बोलते 'शेश' हैं।

४. सन्धि

दो शब्द जब एक-दूसरे के समीप आते हैं, तो पहले शब्द की अन्तिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि मिल जाती है। यह मिलना ही सन्धि है। उदाहरण के लिए हिन्दी के 'डाक' और 'घर' दो शब्द लिये जा सकते हैं। दोनों मिलकर 'डाघर' हो जाते हैं। यहाँ 'क' और 'घ' मिलकर 'घ' हो गए। इसी प्रकार 'राम' और 'अनुज' मिलकर 'रामानुज' हो जाते हैं। इसमें 'म' और 'अ' मिलकर 'मा' हो गए हैं।

दो शब्द जब मिलते हैं तो सन्धि के कारण हुए परिवर्तन प्रायः तीन प्रकार के होते हैं।

१ कभी तो किसी ध्वनि का लोप हो जाता है और लोप के बाद दोनों शब्द ज्यो-के-त्यो मिल जाते हैं। जैसे 'उस् + ही' में 'ह' का लोप हो जाता है और लोप के बाद 'ही' में 'ई' ध्वनि शेष रह जाती है। यह शेष ध्वनि ही 'उस्' से मिलकर 'उसी' हो जाती है। 'उसी' में दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि का लोप हुआ है। कभी कभी पहले शब्द की अन्तिम ध्वनि का भी लोप हो

जाता है। जैसे—‘पडितजी’ का ‘पडिज्जी’। कभी-कभी एक से अधिक ध्वनि का भी लोप हो जाता है। जैसे ‘मास्टर + साहब’ का ‘मास्साहब’।

२ कभी-कभी सन्धि में प्रथम शब्द की अन्तिम ध्वनि तथा दूसरे की प्रथम ध्वनि, दोनो मिलकर एक नया रूप धारण कर लेती है। जैसे—रमा + ईश = रमेश।

३ कभी-कभी दोनो मिलते हैं, पर दोनो में केवल एक ध्वनि अपना रूप बदलती है और दूसरी ज्यो-की-त्यो मिल जाती है। जैसे—प्रति + एक = प्रत्येक, मार् + डाला = माड़-डाला तथा मन + हर = मनोहर।

सन्धियाँ यो तो सभी भाषाओं में मिलती हैं, पर सस्कृत की यह एक विशेषता मानी जाती है। हिन्दी में भी प्रायः सस्कृत के ही सन्धि के नियम लागू होते हैं। इसी कारण हिन्दी व्याकरणों में हिन्दी में सन्धि के नाम पर सस्कृत की सन्धियाँ ही प्रायः दी जाती हैं। पर इसका यह आगय नहीं कि हिन्दी की अपनी सन्धियाँ हैं ही नहीं। हैं अवश्य, पर उनका अभी तक ठीक से अध्ययन नहीं हुआ है। यहाँ हिन्दी के सामान्य विद्यार्थी के लिए अपेक्षित सस्कृत और हिन्दी के सन्धि के नियम अलग-अलग दिये जा रहे हैं।

संस्कृत सन्धि

सस्कृत में सन्धियाँ तीन प्रकार की मानी गई हैं—

१ स्वर सन्धि—इसमें मिलने वाली दोनो ध्वनियाँ स्वर होती हैं। जैसे कवि + ईश्वर = कवीश्वर।

२ नोलने में ‘पडिज्जी’ का ही प्रयोग होता है।

२. व्यञ्जन सन्धि—इसमें पहली ध्वनि व्यञ्जन होती है और दूसरी चाहे स्वर या व्यञ्जन । जैसे जगत् + ईश = जगदीश, जगत् + नाथ = जगन्नाथ ।

३. विसर्ग सन्धि—इसमें पहली ध्वनि विसर्ग होती है और दूसरी स्वर या व्यञ्जन । जैसे दु + आचार = दुराचार, मन + हर = मनोहर ।

स्फूर्त भाषा में सन्धि के बहुत-से रूप मिलते हैं । यहाँ केवल प्रमुख रूप, जो हिन्दी में प्रचलित है, दिये जा रहे हैं ।

स्वर सन्धि

१. यदि एक ही स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप साथ-साथ आवं तो दोनों स्वरों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है । (स्फूर्त में 'अ' का 'आ', 'ई' का 'ई', 'उ' का 'ऊ', तथा 'ऋ' का 'ऋ' दीर्घ रूप माने जाते हैं । हिन्दी में इनमें केवल ह्रस्वत्व और दीर्घत्व का ही अन्तर नहीं है ।)

अ + अ = आ (परम + अर्थ = परमार्थ)

अ + आ = आ (रत्न + आकर = रत्नाकर)

आ + अ = आ (विद्या + अभ्यास = विद्याभ्यास)

आ + आ = आ (महा + आशय = महाशय)

इसी प्रकार इ-ई, उ-ऊ, ऋ-ऋ की भी सन्धि होती है । दो उदाहरण हैं—

गिरि + ईश = गिरीश । जानकी + ईश = जानकीश ।

२. 'अ' या 'आ' के आगे 'इ' या 'ई' हो तो दोनों मिलकर 'ए', 'उ' या 'ऊ' हो तो दोनों के स्थान पर 'ओ', और 'ऋ' हो तो 'ओर' हो जाता है । इसे गुण सन्धि कहते हैं ।

सुर + ईश = सुरेश । रमा + ईश = रमेश । सूर्य + उदय = सूर्योदय । महा + उत्सव = महोत्सव । महा + कृषि = महर्षि ।

३ 'अ' या 'आ' के बाद 'ए' या 'ऐ' हो तो दोनों के स्थान पर 'ऐ' और 'ओ' या 'औ' हो तो दोनों के स्थान पर 'औ' हो जाता है । इसे वृद्धि सन्धि कहते हैं ।

मत + एक्य = मतैक्य । सदा + एव = सदैव । महा + औषधि = महौषधि ।

४ 'ई' या 'ई' के आगे यदि इन दोनों के अतिरिक्त कोई और स्वर हो तो इनके स्थान पर 'य्', 'उ' या 'ऊ' के आगे कोई और स्वर आवेतो इनके स्थान पर 'व्'; और 'ऋ' के आगे कोई और स्वर आवेतो 'ऋ' के स्थान पर 'र्' हो जाता है ।

यदि + अपि = यद्यपि । इति + आदि = इत्यादि । प्रति + एक = प्रत्येक । नि + ऊन = न्यून । सु + आगत = स्वागत । पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा ।

५ ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आवेतो इनके स्थान पर क्रम से 'अय्', 'आय्', 'अव्', 'आव्' हो जाते हैं । ने + अन = नयन । गै + अन = गायन । पौ + अक = पावक । नौ + इक = नाविक ।

व्यञ्जन सन्धि

१ क्, च्, ट्, प् के बाद अनुनासिक छोड़कर कोई दूसरी घोष व्यनि (स्वर या व्यञ्जन) हो तो इनके स्थान पर क्रम से ग्, ज्, झ्, व् हो जाते हैं ।

दिक् + गज = दिग्गज । अच् + अन्त = अजन्त । षट् + आनन = पडानन । अप् + ज = अञ्ज ।

२ क्, च्, ट्, त्, प् के बाद यदि कोई अनुनासिक व्यञ्जन हो तो इनके स्थान पर क्रम से ड्, झ्, ण्, न्, म् हो जाते हैं। वाक् + मय = वाड् मय। जगत् + नाथ = जगन्नाथ।

३ 'त्' के बाद यदि ग, घ, द, ध, व, भ, य, र, व या कोई स्वर आवें तो 'त्' का 'द्' हो जाता है।

चित् + आनन्द = चिदानन्द। जगत् + ईश = जगदीश। उत् + गम = उद्गम। तत् + भव = तद्भव।

४ त् या द् के बाद 'च' या 'छ' हो तो 'त्' या 'द्' के स्थान पर च्, ज या झ हो तो ज्, ट या ठ हो तो ट्, ड या ढ हो तो छ्, और ल हो तो ल् हो जाता है।

उत् + चारण = उच्चारण। सत् + जन = सज्जन। तत् + लीन = तल्लीन।

विसर्ग सन्धि

१ विसर्ग के पहले यदि 'अ' हो और बाद में 'अ' या कोई धोष व्यञ्जन हो तो विसर्ग और उसके पहले का 'अ', दोनों मिल-कर 'ओ' हो जाते हैं और बाद वाले 'अ' का (यदि हो) तोप हो जाता है।

अध गति = अधोगति। मन योग = मनोयोग।

मन अनुकूल = मनोनुकूल।

२ विसर्ग के बाद यदि 'श', 'ष' या 'स' होता दोनों ज्यो-के-यो रहेंगे या विमग का लोप हो जायगा और बाद वाला व्यञ्जन का त्रित्व हो जायगा।

दु शासन = दुशासन या दुश्शासन।

नि गन्देह = निसन्देह या निस्सन्देह।

३. यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और आगे कोई घोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर 'र्' हो जाता है।

नि + आगा = निरागा

दु + उपयोग = दुरुपयोग

नि + गुण = निर्गुण

हिन्दी सन्धि

जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है हिन्दी सन्धियों का अभी तक वैज्ञानिक और पूर्ण अध्ययन नहीं हो सका है। यहाँ नमूने के तौर पर कुछ उदाहरण-मात्र दिये जा रहे हैं।

१. सन्धि के कारण एक ध्वनि का परिवर्तित हो जाना।

क + घ = र्घ (डाक् + घर = डार्घर)

ध + स = स्स (आध् + सेर = आस्सेर)

र + ल = ल्ल (चोर + ले गया = चोल्ले गया)

र + ड = हु (मार + डालो = माहुलो)

च + ज = ज्ज (पहुँच + जाऊँगा = पहुँज्जाऊँगा)

२. सन्धि के कारण दोनों ध्वनियों का मिलकर एक हो जाना।

सव् + ही = सभी ।

अव् + ही = अभी ।

कव् + ही = कभी ।

जव् + ही = जभी ।

३. एक ध्वनि का लुप्त हो जाना।

यह् + ही = यही ।

उस् + ही = उसी ।

इस् + ही = इसी ।

४ सन्धि के कारण कुछ विचित्र परिवर्तन ।

मूसल वार = मूसलाधार ।

यहाँ ही = यही ।

कहाँ ही = कही ।

जहाँ ही = जही ।

वहाँ ही = वही ।

ले लो = ल्यो ।

दे ऊं = दूँ ।

दे दो = द्यो ।

स्वप्न दो

शाल्ड-विंचार

शब्द-विचार

पीछे ध्वनि पर विचार किया गया है। कभी एक ध्वनि से और कभी एक से अधिक ध्वनियों के योग से शब्द बनते हैं। जैसे 'क', 'मैं', 'किंव', 'आदमी', 'डाथ' तथा 'घोड़ा' आदि।

अर्थ की दृष्टि से यदि ऊपर के उदाहरणों पर दृष्टि दीड़ाएँ तो हमें दो प्रकार के शब्द मिलेंगे। 'क' एक अक्षर का नाम है। 'मैं' का अपने लिए प्रयोग होता है। इसी प्रकार 'आदमी' और 'घोड़ा' शब्द भी कुछ अर्थ रखते हैं। दूसरी ओर 'किंव' और 'डाथ' ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, या जो निरर्थक है। तो शब्द दो प्रकार के हुए—सार्थक और निरर्थक। 'सार्थक' उन शब्दों को कहते हैं, जिनका कुछ अर्थ हो, जैसे घोड़ा, आदमी, पुस्तक आदि। 'निरर्थक' उन शब्दों को कहते हैं, जिनका कोई अर्थ न हो, जैसे किंव, डित्य, डाथ आदि।

भाषा या व्याकरण में जब हम 'शब्द' का प्रयोग करते हैं, तो उसका अर्थ सार्थक शब्द ही होता है। इन सार्थक शब्दों द्वारा ही भाषा में हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यदि शब्द निरर्थक होंगे तो उनसे किसी भाव का बोध नहीं होगा। इसीलिए आगे जब

भी हम शब्द का प्रयोग करेंगे, उसका अर्थ सार्थक शब्द होगा।

सार्थक शब्द (या शब्द) के कई दृष्टियों से भेद किये जा सकते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नांकित हैं—

१ उत्पत्ति की दृष्टि से—अर्थात् कोई शब्द अपने मूल रूप से कहाँ से आया है। उदाहरण के लिए हिन्दी के मनुष्य, कन्हैया, किताब, मास्टर और पेट शब्द लिये जा सकते हैं। इनमें 'मनुष्य' शब्द सस्कृत का है, 'कन्हैया' सस्कृत 'कृष्ण' शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, 'किताब' अरबी है, 'मास्टर' अंग्रेजी है और 'पेट' देशी है।

२ बनावट की दृष्टि से—अर्थात् कुछ शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे—घोड़ागाड़ी, लड़कपन, या बद्द-सूरत। और कुछ शब्दों में इस प्रकार का जोड़ या योग नहीं होता, जैसे—सिर, कुर्सी, शीशा आदि।

३ परिवर्तन या विकार की दृष्टि से—अर्थात् कुछ शब्दों में तो परिवर्तन या विकार होता है, जैसे—'लड़का' शब्द लड़के, लड़को, लड़की आदि बनाया जा सकता है। पर कुछ शब्दों में परिवर्तन या विकार नहीं होता, जैसे—पर, अचानक, विना आदि। ये शब्द जहाँ भी प्रयुक्त होंगे इसी रूप में रहेंगे। इन दोनों प्रकार के शब्दों को विकारी (जिनमें विकार या परिवर्तन हो) तथा अविकारी (जिनमें विकार या परिवर्तन न हो) कहते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय (जिनमें व्यय न हो, या जो परिवर्तित न हो) भी कहा जाता है।

शब्दों के विकारी और अविकारी इन दोनों भेदों के और भी कई भेद किये जा सकते हैं—

विकारी शब्द—१ सज्जा, २. सर्वताम, ३. विशेषण, ४: क्रिया ।

अविकारी शब्द—१ क्रियाविशेषण, २ सम्बन्धसूचक, ३ समुच्चयबोधक, ४ विस्मयादिबोधक ।

आगे इन आठो पर विचार किया जायगा । साथ ही, विकारी शब्दों का विकार या परिवर्तन लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि के कारण होता है, अत इनका भी विवेचन किया जायगा ।

१. संज्ञा

‘संज्ञा’ किसी प्राणी, चीज, गुण, काम या भाव आदि के नाम को कहते हैं। राम, घोड़ा, चीटी किसी प्राणी या जीव के नाम है, कुर्सी, आटा, दही चीज के नाम है, भलाई, मचाई गुण के नाम है, खाना, लडाई नथा दौड़ना काम या क्रिया के नाम है, और बचपन, खटाई, मित्रता भाव के नाम हैं। ये सभी संज्ञा हैं। दूसरे शब्दों में इस परिभाषा को और व्यापक बनाते हुए कहा जा सकता है कि ‘किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं।’

संज्ञा के तीन भेद हैं—

१ व्यक्तिवाचक संज्ञा—जो किसी एक का बोध कराए। जैसे राम, चेतक, दिल्ली, यमुना आदि। यहाँ हम देखते हैं कि ‘राम’ किसी एक व्यक्ति (दशरथ के पुत्र या कोई अन्य) का नाम है, सभी मनुष्यों का नहीं। इसी प्रकार ‘चेतक’ राणा प्रताप के घोड़े का नाम है, ‘दिल्ली’ एक नगर का नाम है और ‘यमुना’ एक नदी का नाम है।

२ जातिवाचक संज्ञा—जो किसी एक पूरी जाति का बोध कराए। ऊपर के उदाहरणों में हमने देखा कि राम, चेतक,

दिल्ली, यमुना के बहर एक का वोध कराते हैं, अपनी पूरी जाति का नहीं। इनकी पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्द मनुष्य, घोड़ा, शहर तथा नदी हैं। ये शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि ये समान रूप वाली एक से अधिक वस्तुओं का याँ जाति का वोध कराते हैं।

इस प्रकार किसी जातिवाचक संज्ञा की एक इकाई ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर, कभी-कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने विशेष गुण या अवगुण के कारण एक से अधिक का वोध कराने लगती है, और उस स्थिति में वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण के लिए—

सीता=आदर्श पत्नी (घर-घर सीता नहीं मिल सकती।)

विभीषण=देशद्रोही (विभीषणों के कारण ही हमारा स्वतन्त्रता-आन्दोलन सफल नहीं हो पाता था।)

हरिश्चन्द्र=सत्यवादी (भारत में एक समय वह भी था जब घर-घर हरिश्चन्द्र होते थे।)

यहाँ सीता शब्द एक नारी का वोध न कराकर सभी आदर्श पत्नियों का वोध कराता है। इसी प्रकार विभीषण और हरिश्चन्द्र भी सभी देशद्रोहियों और सत्यवादियों का वोध कराते हैं।

कभी-कभी संज्ञा के भेदों में दो और प्रकार की संज्ञाओं का उल्लेख मिलता है—

(क) 'समूहवाचक'—जिस नाम या शब्द से अनेक चीजों या प्राणियों के समूह का वोध हो, जैसे सेना, भीड़, गुच्छा आदि।

(ख) 'द्रव्यवाचक'—जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध

ो; जैसे सोना, चाँदी, अन्न आदि।

यथार्थतः सज्ञा के ये दोनों ही रूप जातिवाचक के ही अन्तर्गत आते हैं, क्योंकि सेना या सोना भी एक प्रकार में जाति है। पर यो सामान्य जातिवाचक सज्ञाओं में तथा इनमें कुछ अन्तर अवश्य है। समूहवाचक सज्ञाएँ जातिवाचक सज्ञाओं की कसी एक जाति के समूह से बनती हैं। उदाहरणार्थ मनुष्य जातिवाचक सज्ञा है, पर बहुत से मनुष्यों का एकत्र रूप 'भीड़' समूहवाचक है। इसी प्रकार कुञ्जी जातिवाचक है, पर बहुत सी उच्चियों का एकत्र रूप 'गुच्छा' समूहवाचक है।

द्रव्यवाचक सज्ञाएँ अन्य जातिवाचक सज्ञाओं से प्रयोग की विष्टि से कुछ अन्तर रखती है। अन्य जातिवाचक सज्ञाओं के साथ सख्यावाचक विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एक प्रादमी, दो बैल, तीन कलम, पर द्रव्यवाचक सज्ञाओं के साथ अरिमाणवाचक विशेषण का ही प्रयोग हो सकता है (जैसे कुछ सोना, थोड़ा पानी), सख्यावाचक का नहीं। एक सोना, दो चाँदी नहीं कहा जा सकता।

३ भाववाचक सज्ञा—जो किसी गुण, दशा या भाव आदि का वोध कराए, जैसे सुन्दरता, सुख, मित्रता आदि। भाववाचक सज्ञा का अपना अलग अस्तित्व नहीं होता, यह किसी वस्तु में रहने वाले धर्म का नाम होती है। सुन्दरता किसी व्यक्ति या वस्तु में होगी। सुख किसी कार्य या स्थिति में होगा। मित्रता दो या अधिक व्यक्तियों में होगी।

भाववाचक सज्ञाएँ कई प्रकार के शब्दों से बनाई जाती हैं—

(क) जातिवाचक सज्ञा से—गदहा से गदहपन, मनुष्य से

मनुष्यत्व तथा मित्र से मित्रता आदि ।

(ख) विशेषण से—सुन्दर से सुन्दरता, ठड़ा से ठड़क, मीठा से मीठाई तथा पीला से पीलापन आदि ।

(ग) क्रिया से—मारना से मार, छटपटाना से छटपटाहट तथा चलना से चाल आदि ।

(घ) सर्वनाम से—अपना से अपनत्व, अपनपा या अपनापन, अह मे अहकार, मम से ममता या ममत्व तथा आप से आपा आदि ।

संज्ञा के रूप में कभी-कभी व्याकरण के अन्य रूप (विशेषण तथा अव्यय आदि) भी प्रयुक्त होते हैं, जिनमें विशेषण प्रमुख है, जैसे अच्छो की संगति करो, बड़ो को प्रणाम करो मे 'अच्छो' और 'बड़ो' ।

२. लिंग

कोई शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, यह जिसरे जाना जाय वह लिंग है।

हिन्दी में दो लिंग हैं—

१ पुल्लिंग—जो पुरुष जाति का वोध कराए, जैसे लड़का हाथी, पिता।

२ स्त्रीलिंग—जो स्त्री जाति का वोध कराए, जैसे लड़की, हथिनी, माता।

सस्कृत या अग्रेजी आदि वहुत-सी भाषाओं में एक नपुसव लिंग भी होता है, जिसमें निर्जीव पदार्थ रखे जाते हैं, जैसे फल पानी, लकड़ी आदि। किन्तु हिन्दी में बेजान चीजें भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में रखी जाती हैं, जैसे—

पुल्लिंग—चावल, गेहूँ, पहाड़, सूरज, आकाश, मकान।

स्त्रीलिंग—दाल, नदी, पृथ्वी, इमारत।

ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि हिन्दी में लिंग-भेद का ठीक ज्ञान व्यवहार से ही जाना जा सकता है। इस सम्बन्ध में कोई ऐसा व्यापक नियम नहीं है, जिसके आधार पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग

शब्दों को विना किसी कठिनाई के साफ-साफ पहचाना जा सके। हिन्दी भाषा में गति के लिए लिंग-ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, अतः इस सम्बन्ध में कुछ छोटे-छोटे नियम यहाँ दिये जा रहे हैं।

१ आदमी तथा बड़े जानवरों में नर पुरुष्लिंग होते हैं (जैसे पुरुष, लड़का, हाथी, घोड़ा, ऊँट, भैसा) और मादा स्त्रीलिंग (जैसे स्त्री, लड़की, हथिनी, घोड़ी, ऊँटनी, भैस)। पर छोटे कीड़ों और पक्षियों में यह भेद नहीं है। ऐसे बहुत-से छोटे जीव हैं जो पुरुष्लिंग हैं, जैसे सांप, तोता, वाज़, कौवा, गोजर, भीगुर, बिच्छू। दूसरी ओर ऐसे भी बहुत-से छोटे जीव हैं, जो हिन्दी में स्त्रीलिंग ही माने जाते हैं, जैसे छछूंदर, गौरेंया, चील, कोयल, मछली।

२ ऐसी सस्कृत सज्जाएँ, जिनके अन्त में

आय (उपाध्याय, समुदाय, अध्याय)

आर (सार, विचार, आकार, उपकार)

आस (विकास, त्रास, प्रयास, हास)

आश (विनाश, प्रकाश)

ख (सुख, दुःख, लेख, नख, मुख)

ज (पक्ज, नीरज, सरोज, उद्धिज, पिंडज, जलज, जारज)

ण (पोषण, कक्षण, भूषण)

त (स्वागत, मत, गीत, गणित)

त्र (पत्र, चित्र, गोत्र, भित्र, पात्र)

त्व (अपनत्व, महत्व, स्वत्व, सतीत्व, व्यक्तित्व)

न (नयन, आगमन, शयन, वमन, दमन)

व (रव, गौरव, लाघव, रीरव)

हो,

ऐसी हिन्दी भाववाचक सज्जाएँ जिनके अन्त में
आव (घटाव, बहाव, ताव)

ना (खाना, मरना, जीना, रोना)

पन (बड़प्पन, लड़कपन, गदहपन)

पा (रँडापा, बुढापा, पुजापा)

हो,

तथा ऐसी आकारात सज्जाएँ, जिनके अत में 'इया' (पुडिया,
डिविया, मचिया) न हो (जैसे छाता, पैसा, कपडा, आटा,
चमड़ा) पुल्लिंग होती है।

३. ऐसी सस्कृत सज्जाएँ, जिनके अन्त में

आ (कृपा, दया, प्रार्थना, वन्दना, सुन्दरता, प्रभुता) या
उ (आयु, मृत्यु, वस्तु, ऋतु)

हो, प्राय स्त्रीलिंग होती है। यद्यपि इनके अपवाद भी मिलते
हैं, जैसे मधु, अश्रु, हेतु तथा पिता आदि पुल्लिंग हैं।

४ ऐसी हिन्दी सज्जाएँ, जिनके अन्त में

ई (रोटी, बेटी, लड़की, टोपी, उदासी)^१

या (फुडिया, मलिया, खटिया, मचिया, डिविया)

त (रात, वात, लात, परात, छत)^२

ऊ (लू, वालू, गेरू, भाडू)^३

^१ पानी, जी, धी, मोती, हाथी, दही अपवाद हैं।

^२ भात, खेत, सूत, गात, दाँत अपवाद हैं।

^३ आठ, आल, मांसु आदि अपवाद हैं।

ख (ईख, सीख, काँख, साख, राख, कोख)

हो तथा ऐसी भाववाचक हिन्दी सज्जाएँ, जिनके अन्त में

वट (सजावट, गिरावट, बनावट)

हट (खुजलाहट, चिकनाहट)

ट (झटट)

हो, प्राय स्त्रीलिंग होती है ।

पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की रीति

कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग के रूप विलकुल अलग-अलग होते हैं (जैसे भाई-बहन, माता-पिता, गाय-वैल, नर-मादा, पुरुष-स्त्री, वर-वधू, आदमी-ओरत) पर, ऐसे शब्द अधिक हैं, जिनमें स्त्री-सूचक प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बना लिया जाता है । यहाँ प्रधान प्रत्यय तथा उनसे स्त्रीलिंग रूप बनाने के प्रधान नियम नीचे दिये जा रहे हैं—

१. अकारात पुल्लिंग सज्जाओं में 'अ' के स्थान पर 'ई'

जोड़कर

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
पुत्र	पुत्री
दास	दासी
हिरन	हिरनी
नद	नदी

२. आकारान्त पुल्लिंग सज्जाओं में 'आ' के स्थान पर 'ई'

पुल्लिंग	स्त्रीलिंग
घोड़ा	घोड़ी

३. वचन

शब्द के रूप का वह विधान, जिससे उसके अर्थ में एक या अनेक का बोध हो, वचन है—

हिन्दी में दो वचन हैं

१ एकवचन—जिससे एक का बोध हो, जैसे लड़का, किताब, थाली।

२ बहुवचन—जिससे एक से अधिक का बोध होता हो, जैसे लड़के, किताबें, थालियाँ।

हिन्दी में आदर के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहु-वचन का रूप रखने का नियम है। उदाहरणार्थ, ‘उसका लड़का, आया है’ और ‘गाँधीजी के लड़के आये हैं’ या ‘तू बच्चा है, और ‘तुम बच्चे हो’ में लड़का-लड़के, बच्चा-बच्चे प्रयुक्त हुए हैं। लड़के या बच्चे बहुवचन के रूप हैं, पर यहाँ एकवचन हैं और आदरार्थ इस रूप में रखे गए हैं।

एक वचन से बहु वचन बनाने में प्राय सज्ञा-शब्दों का रूप बदल जाता है, जैसे ‘घोड़ा’ से ‘घोड़े’ या ‘लड़का’ से ‘लड़के’। पर इसके विरुद्ध कुछ शब्दों के दोनों वचनों में एक ही रूप होते हैं,

जैसे बालक, चोर। हाँ, कारक-चिह्नों के साथ आने पर इन शब्दों के भी रूप बदल जाते हैं, जैसे—

एकवचन	वहुवचन
कारक-चिह्न रहित	बालक गया
कारक-चिह्न सहित	बालक को दो

मूलतः एकवचन से वहुवचन बनाने के नियम कारक-चिह्नों के रहने या न रहने तथा लिंग पर आधारित हैं।

एकवचन से वहुवचन बनाने के नियम

(क) कारक-चिह्नों से रहित स्त्रीलिंग शब्द

१ हिन्दी या संस्कृत के अकारान्त (घर, मकान, नर, बालक), इकारान्त (कवि, मुनि), ईकारान्त (भाई, तेली, माली, घोबी), उकारान्त (साधु, अश्रु, गुरु), ऊकारान्त (उल्लू, छाकू, आलू, भालू), एकारान्त (चौबे, दुबे), ओकारान्त (रासो कोदो, भादो), औकारान्त (जौ) तथा संस्कृत के आकारान्त (राजा, देवता), शब्द कारक-चिह्नों से रहित होने पर एक-वचन तथा वहुवचन दोनों में एक-से रहते हैं, जैसे—

एकवचन	वहुवचन
घर बन रहा है।	घर बन रहे हैं।
कवि गा रहा है।	कवि गा रहे हैं।
जौ उग रहा है।	जौ उग रहे हैं।

२ हिन्दी के उन आकारान्त शब्दों में, जो संस्कृत के नहीं हैं, वहुवचन बनाने में 'आ' के स्थान पर 'ए' कर देते हैं, जैसे पैसा-पैसे, लोटा-लोटे, लड़का-लड़के। पर अपवादस्वरूप अगुआ,

आजा, काका, चाचा, नाना, बाबा, मामा, ताला, राना, मुसिया, तथा सूरमा आदि कुछ ऐसे भी हिन्दी के आकारान्त शब्द हैं, जिनके रूप दोनों वचनों में एक-से रहते हैं।

(ख) कारक-चिह्नों से रहित स्त्रीलिंग शब्द

१ अकारान्त स्त्रीलिंग सज्जाओं में एकवचन से बहुवचन बनाने में अन्तिम 'अ' के स्थान पर 'ए' कर देते हैं, जैसे—गाय से गाये, रात से राते, किताब से किताबे, या आँख से आँखे।

२ 'इया' अन्त वाली स्त्रीलिंग सज्जाओं को बहुवचन बनाने के लिए अन्त में 'ई' के स्थान पर 'ईं' कर देते हैं, जैसे—लुटिया से लुटियाँ, कुटिया से कुटियाँ।

३ इकारान्त स्त्रीलिंग सज्जाओं में अन्त में बहुवचन बनाने के लिए 'याँ' जोड़ देते हैं, जैसे 'तिथि' से 'तिथियाँ', 'राशि' से राशियाँ।

४ ईकारान्त स्त्रीलिंग सज्जाओं में अन्तिम 'ई' को 'इ' बनाकर 'याँ' जोड़ते हैं, जैसे—थाली से 'थालियाँ', 'गाली' से 'गातियाँ' या 'टोषी' से 'टोपियाँ'।

५ शेष सभी ('इया' अन्त में आने वाले शब्दों के अतिरिक्त अन्य आकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त, ओकारान्त) स्त्रीलिंग सज्जाओं के अन्त में बहुवचन बनाने के लिए 'ऐं' जोड़ते हैं; जैसे—

कथा

कथाएँ

माता

माताएँ

वस्तु

वस्तुएँ

वहु
गो

वहुएँ
गोएँ

अनुस्वार युक्त (—) ओकारान्त में सज्जाएँ वहुवचन में भी प्राय अपरिवर्तित रह जाती हैं। जैसे— सरसो ।

(ग) कारक-चिह्न के सहित पुलिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द

कारक-चिह्नों से युक्त होने पर शब्दों का वहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई अन्तर नहीं पड़ता।

१ श्रकारान्त, आकारान्त (संस्कृत के शब्दों को छोड़कर) तथा एकारान्त संज्ञाओं में अन्तिम 'अ', 'आ' या 'ए' के स्थान पर वहुवचन बनाने में 'ओ' कर देते हैं। जैसे—

एकवचन	वहुवचन	कारक-चिह्न के साथ प्रयोग
चोर	चोरो	चोरो ने मारा, चोरो को मारो, चोरो से छीनो।
घोडा	घोडो	चोरो की ही भाँति।
चौबे	चौबो	" " "

२. संस्कृत आकारान्त तथा सभी ऊकारान्त, ऊकारान्त, सानुस्वार औकारान्त, औकारान्त संज्ञाओं को वहुवचन का स्प देने के लिए अन्त में 'ओ' जोड़ दिया जाता है। ऊकारान्त शब्दों में 'ओ' जोड़ने के पूर्व 'ऊ' को 'उ' कर देते हैं।

१. ऊकारान्त शब्दों में 'ए' जोड़ने के पूर्व 'ऊ' को 'उ' कर लेते हैं।

२. 'दुबे' अपवाद है। इसका 'दुबो' नहीं वनेगा। 'लोगो' लगाकर वहुवचन का रूप बनेगा।

एकवचन	वहुवचन	कारक-चिह्नों के साथ प्रयोग
माला	मालाओं	मालाओं का देखो
वस्तु	वस्तुओं	मालाओं की ही भाँति
वधू	वधुओं	मालाओं की ही भाँति
गी	गोओं	" " "
भौ	भौओं	" " "

अनुस्वारयुक्त ओकारान्त सज्जाएँ कारक-चिह्न के सहित भी वहुवचन बनाने में अपरिवर्तित रहती है। जैसे—सरसों को पीसो।

उसभी इकारान्त और ईकारान्त सज्जाओं का वहुवचन बनाने के लिए अन्त में 'यो' जोड़ देते हैं। ईकारान्त शब्दों में 'यो' जोड़ने के पूर्व 'ई' को 'इ' कर लेते हैं।

एकवचन	वहुवचन	कारक-चिह्नों के साथ प्रयोग
मुनि	मुनियो	मुनियों को, मुनियों से
गाली	गालियो	मुनियों की भाँति

वचन-विपयक कुछ अपवाद

कभी-कभी वहुवचन बनाने के लिए शब्दों में परिवर्तन न करके जन, गण या लोग आदि शब्द जोड़ देते हैं। ऐसे वहु वचनों का प्रयोग कारक-चिह्न रहित होने पर होता है। कारक चिह्न सहित होने पर इनके अन्तिम 'अ' को 'ओ' कर देते हैं। कुछ उदाहरण हैं--

एकवचन	वहुवचन	वहुवचन
(कारक चिह्न रहित)		(कारक चिह्न सहित)

गुरु	गुरुजन	गुरुजनो को दो
शिक्षक	शिक्षकगण	शिक्षकगणों से माँगो
राजा	राजा लोग	राजा लोगों ने किया

सज्जा के तीनों भेदों में प्राय केवल जातिवाचक सज्जा का ही वहुवचन में प्रयोग होता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं।

४. कारक

सज्जा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ प्रकट होता है, कारक कहलाता है।

हिन्दी में आठ कारक हैं। इनके नाम और विभक्तियाँ निम्नलिखित हैं—

कारकों के नाम	विभक्तियाँ या कारक-चिह्न
१ कर्ता	ने
२ कर्म	को
३ करण	से, के द्वारा
४ सम्प्रदान	को, के लिए, के वास्ते
५ अपादान	से
६ सम्बन्ध	का, के, की
७ अधिकरण	मे, पर
८ सम्बोधन	ऐ, हे, अजी, अरे

नीचे इन कारकों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

कर्ता

करने वाले को 'कर्ता' कहते हैं। 'राम ने मोहन को मारा' में राम कर्ता है, क्योंकि यहाँ 'मारा' क्रिया का करने वाला राम ही है। 'ने' कर्ता कारक का चिह्न है, किन्तु यह सर्वत्र नहीं लगता। इस सम्बन्ध में कुछ बातें याद रखने की हैं—

१. अकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति नहीं लगाई जाती। जैसे—'मोहन हँसता है', 'राम गया' या 'सीता आयगी'।

२. सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ वर्तमान तथा भविष्य काल में 'ने' नहीं लगाया जाता। जैसे 'मैं पानी पीता हूँ' या 'कृष्ण रोटी खायगा'।

३. नहाना, छीकना तथा खाँसना इन तीन अकर्मक और लगभग सभी सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ केवल सामान्य-भूत (जैसे मोहन ने पानी गिराया), आसन्नभूत (जैसे मोहन ने पानी गिराया है), पूर्णभूत (जैसे मोहन ने पानी गिराया था) तथा सन्दिग्ध भूत (जैसे मोहन ने पानी गिराया होगा) काल में ही 'ने' विभक्ति लगाई जाती है, भूतकाल के अन्य रूपों में नहीं।

४. बोलना, भूलना तथा लाना, ये सकर्मक क्रियाएँ ऊपर के नियम सख्त्या ३ की अपवाद हैं। इन क्रियाओं के आने पर सामान्य, आसन्न, पूर्ण तथा सन्दिग्धभूत काल में भी 'ने' विभक्ति नहीं लगाई जाती। जैसे—मोहन बोला, मैं वात भूल गया हूँ, या राम पुस्तक लाया।

५ जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएँ आती हैं, उनमें भी 'ने' का प्रयोग नहीं होता। जैसे—मोहन खाना खा चुका, कृष्ण पानी पीने लगा, या राधा दावात गिरा गई।

कर्म

जिस वस्तु पर कर्ता के व्यापार का फल पड़े, उसके लिए प्रयुक्त सज्जा या सर्वनाम कर्म कहा जाता है। जैसे—मोहन ने राम को मारा। यहाँ कर्ता मोहन है और उसके व्यापार (मारने) का फल 'राम' पर पड़ता है अतएव 'राम' कर्म है। यहाँ 'राम' के साथ कर्म कारक के चिह्न 'को' का प्रयोग हुआ है। पर सभी कर्मों के साथ 'को' का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रायः चेतन या सजीव पदार्थों के साथ यह लगता है और निर्जीव या अचेतन के साथ नहीं लगता। जैसे 'मैंने रोटी को खाई' न कहकर 'मैंने रोटी खाई' कहते हैं। कभी-कभी चेतन के साथ भी यह विभक्ति नहीं लगते। जैसे—'मैंने घोड़ा देखा' या 'केशव ने साँप मार डाला'। यद्यपि इस प्रकार के वाक्यों को 'मैंने घोड़े को देखा' या 'केशव ने साँप को मार डाला' रूप में भी कहते हैं।

करण

सज्जा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो। जैसे 'राम ने रावण को वाण से मारा' वाक्य में 'वाण' के द्वारा मारे जाने का उत्तेजक है, अतएव 'वाण' करण कारक हुआ। 'से' करण कारक का चिह्न है।^१ यह चिह्न प्रायः हमेशा ही लगाया

^१ कभी-कभी 'के द्वारा' का भी प्रयोग होता है।

जाता है। प्यास, भूख, जाड़ा, हाथ, कान तथा आँख आदि कुछ शब्द अपवाद हैं। जब इनका करण के रूप में वहु वचन में प्रयोग होता है तो विभक्ति नहीं लगती। जैसे मैंने सारा तमाशा अपनी आँखों देखा है, या सारी बात अपने कानों सुनी है।

बकना, बोलना, पूछना, कहना, प्रार्थना करना तथा बात करना आदि क्रियाओं के वाक्य में, जिससे ये क्रियाएँ की जायें, उनके लिए प्रयुक्त सज्जा या सर्वनाम के साथ भी 'से' लगते हैं। जैसे—मैंने राम से प्रार्थना की, सीता ने उससे बात की, या मोहन ने कृष्ण से पूछा आदि।

सम्प्रदान

सज्जा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए कोई क्रिया की जाय 'सम्प्रदान' कारक कहलाता है। 'को', 'के लिए', 'के वास्ते', 'की खातिर' आदि इसके चिह्न हैं। जैसे—'राम ने गरीब को दान दिया' में 'गरीब' सम्प्रदान है। इसका चिह्न सदा लगता है। 'उसके वास्ते पुस्तक दो' या 'राम के लिए पानी लाओ' आदि इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं।

अपादान

सज्जा या सर्वनाम का वह रूप जिससे दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने, या तुलना करने के अर्थ आदि का बोध हो, अपादान कारक कहलाता है। इसकी विभक्ति 'से' है। जैसे 'मैं दिल्ली से आया', 'नदी पर्वत से निकलती है', 'मेरु तुमसे डरता हूँ' या 'तुमने मुझे मृत्यु से बचाया' में 'दिल्ली',

‘पर्वत’, ‘तुम’ ‘तथा’ ‘मृत्यु’ अपादान कारक हैं। इसको विभक्ति ‘से’ सदा लगाई जाती है।

सम्बन्ध

सज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सम्बन्ध किसी और वस्तु से प्रकट हो, सम्बन्ध कारक है। इसको विभक्ति का, के, की है। मोहन का लड़का, उसके घोड़े, लकड़ी की छड़ी में ‘मोहन’, ‘वह’ (उस), ‘लकड़ी’ सम्बन्ध-कारक हैं। सम्बन्ध-कारक से अधिकार (देश का राजा), रिश्ता (राम का पुत्र), प्रयोजन (पीने का पानी) तथा परिमाण (एक हाथ का ढण्डा) आदि प्रकट होते हैं। सम्बन्ध-कारक में विभक्ति सदा लगाई जाती है। विभक्तियों के लगाने के सम्बन्ध में निम्नांकित बातें याद रखने की हैं—

१ ऐसी पुलिलग एकवचन सज्ञा के पूर्व ‘का’ विभक्ति लगाई जाती है जिसके बाद कारक की कोई विभक्ति न हो। जैसे—मोहन का लड़का स्कूल में है। यहाँ ‘लड़का’ के बाद कोई विभक्ति नहीं है।

२ पुलिलग एक वचन सज्ञा के बाद यदि कोई विभक्ति होगी तो उसके पहले का ‘का’ ‘के’ हो जायगा। जैसे—मोहन के तड़के को पकड़ो। यहाँ ‘लड़के’ के बाद ‘को’ विभक्ति है, अत लड़के के पूर्व की ‘का’ विभक्ति ‘के’ हो गई है। बहु-वचन पुलिलग के पूर्व भी ‘के’ आता है। जैसे—राम के घोड़े जा रहे हैं।

३ स्त्रीलिंग सज्जा (चाहे वह एकवचन हो या बहुवचन) के पूर्व 'की' विभक्ति आती है। जैसे—मोहन की लड़की या मोहन की लड़कियाँ।

अधिकरण

सज्जा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया का आधार हो अधिकरण है। इसकी विभक्तियाँ 'मे' और 'पर' हैं। 'मोहन नदी मे है' या 'आम डाल पर है' में 'नदी' और 'डाल' अधिकरण-कारक हैं। यहाँ मोहन के होने का आधार 'नदी' तथा आम के होने का आधार 'डाल' है। अधिकरण कारक की विभक्ति सर्वत्र लगती है। किन्तु यदि अधिकरण-कारक की सज्जा का प्रयोग दो बार होतो विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे—साधु बन-बन धूमा। इसी प्रकार कभी-कभी कुछ अकारान्त सज्जाओं (जिन से स्थान या काल का बोध हो) के साथ भी विभक्ति नहीं लगती जैसे—'इस जगह बड़ी भीड़ है' या 'उस समय मुझे याद नहीं था'

सम्बोधन

सज्जा के जिस रूप से किसी को पुकारना, चेतावनी देना या सम्बोधित करना आदि सूचित हो वह सम्बोधन है। जैसे—'हे राम। रक्षा करो' या 'अरे मूर्ख। सँभल जा' में 'राम' और 'मूर्ख' सम्बोधन-कारक हैं। सम्बोधन-कारक के चिह्न में 'हे', 'अरे', 'अजी', 'अहो' आदि सज्जा के पूर्व आते हैं (जैसे हे भाई।) पर 'रे' सज्जा के बाद और पहले दोनों ही प्रकार से आता है (जैसे—'रे भाई।' या 'भाई रे।')

सम्बोधन की विभक्ति सर्वदा नहीं लगती। जैसे—‘राम, तुम किधर जा रहे हो ?’ यो इसे ‘हे राम ! तुम किधर जा रहे हो ?’ रूप में भी कहा जा सकता है।

कारकों की विभक्ति के सहित और रहित होने पर दोनों वचनों तथा दोनों लिंगों में सज्ञा-शब्दों के रूप किस प्रकार बदलते हैं, इस पर पीछे ‘वचन’ शीर्षक अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। यहाँ स्पष्टता के लिए कारकों के अनुमार उनके रूप अलग-अलग दिए जा रहे हैं।

पुलिंग संज्ञाएँ

वालक (अकारान्त)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	वालक	वालक
	„ ने	वालको ने
कर्म	„ को	„ को
करण	„ से	„ से
सम्प्रदान	„ को	„ को
अपादान	„ से	„ से
सम्बन्ध	„ वा, के, की	„ का, के, की
अधिकरण	„ में	„ में
सम्बोधन	हे वालक	हे वालको

सभी अकारान्त शब्दों के रूप ‘वालक’ की भाँति ही चलते हैं।

लड़का (आकारान्त)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	लड़का	लड़के
	लड़के ने	लड़कों ने
कर्म	” को	” को
करण	” से	” से
सम्प्रदान	” को	” को
अपादान	” से	” से
सम्बन्ध	” का	” का
अधिकरण	” में	” में
सम्बोधन	हे लड़के	हे लड़कों

हिन्दी के सभी आकारान्त शब्दों के रूप ‘लड़का’ की भाँति चलते हैं, पर सस्कृत के आकारान्त शब्द तथा हिन्दी के राजा काका आदि कुछ शब्द अपवाद हैं जिनके रूप नीचे दिए जा रहे हैं।

राजा

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	राजा	राजा
	” ने	राजाओं ने
कर्म	” को	” को
करण	” से	” से
सम्प्रदान	” को	” को
अपादान	” से	” से
सम्बन्ध	” का	” का

अधिकरण „ मे „ मे
सम्बोधन हे राजा हे राजाओं

स्स्कृत के सभी आकारान्त पुलिंग (पिता, देवता आदि) सज्ञाओं के रूप 'राजा' की भाँति चलते हैं। नीचे दिये गए 'दादा' के रूपों की भाँति इन शब्दों के भी विभक्ति-सहित वहुवचन रूप कभी-कभी 'तोगो' शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे—राजा लोगों से ।

दादा

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	दादा	दादा, दादा लोग
	„ ने	दादो ने, दादा लोगो ने
कर्म	„ को	„ को „ को
करण	„ से	„ से „ से
सम्प्रदान	„ को	„ को „ को
श्रपादान	„ से	„ से „ से
सम्बन्ध	„ का	„ का „ का
अधिकरण	„ मे	„ मे „ मे
सम्बोधन	हे दादा	हे दादा लोगो

आजा, मुखिया, काका, अगुआ, चाचा, नाना, बाबा, मामा, लाला, सूरमा आदि शब्दों के रूप 'दादा' की भाँति चलते हैं। कभी-कभी इन शब्दों के विभक्ति-सहित बहुवचन रूप अलग से 'ओ' (जैसे बाप-दादाओ, सूरमाओ, मुखियाओ) लगाने भी बनाए जाते हैं।

भाई (ईकारान्त)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	भाई	भाई
	„ ने	भाईयो ने
कर्म	„ को	„ को
करण	„ से	„ से
सम्प्रदान	„ को	„ को
अपादान	„ से	„ से
सम्बन्ध	„ का	„ का
अधिकरण	„ में	„ में
सम्बोधन	हे भाई	हे भाईयो

सभी पुल्लिंग इकारान्त (मुनि, कवि आदि) तथा ईकारान्त (माली, नाई आदि) सज्जाओं के रूप 'भाई' की तरह चलते हैं। ईकारान्त शब्दों में 'यो' या 'यो' जोड़ने के पूर्व अन्तिम पूर्व 'ई' को 'इ' कर देते हैं। जैसे—'भाई' से 'भाईयो'।

डाकू (ऊकारान्त)

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	डाकू	डाकू
	„ ने	डाकुओं ने
कर्म	„ को	„ को
करण	„ से	„ से
सम्प्रदान	„ को	„ को

५. सर्वनाम

जिन शब्दों का सज्जा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे—मैं, तुम, वह। यदि भापा मे सर्वनाम न होते तो हमें कहना पड़ता—

विश्वनाथ ने अशोक से कहा कि विश्वनाथ विनय के घर से अशोक की पुस्तके विश्वनाथ की साईकिल पर ले आया है।

पर अब सर्वनाम की सहायता से हम कहते हैं—

विश्वनाथ ने अशोक से कहा कि मैं विनय के घर से तुम्हारी पुस्तके अपनी साइकिल पर ले आया हूँ।

यहाँ हम देखते हैं कि पहले वाक्य मे विश्वनाथ और अशोक का नाम दुहराने से वाक्य बड़ा बेढब-सा लग रहा है, पर दूसरे वाक्य मे उनके स्थान पर 'मैं', 'तुम्हारी' और 'अपनी' इन तीन सर्वनामों के प्रयोग के कारण वाक्य सुन्दर बन गया है। सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के इस भाँडेपन को दूर करके उसका सौन्दर्य बढ़ाने के लिए ही किया जाता है।

सर्वनाम के ५ भेद होते हैं—

१. पुरुषवाचक, २. निश्चयवाचक, ३. अनिश्चयवाचक,
४ सम्बन्धवाचक, ५ प्रश्नवाचक ।

नीचे इन सभी पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है ।

सर्वनाम के प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ वातें स्मरण रखने की हैं—

(१) सर्वनाम सज्ञा के स्थान पर आते हैं, अत उनके प्रयोग में भी सज्ञा की भाँति कारक और उसके अनुसार उसके रूप का विचार करना पड़ता है । अर्थात् सज्ञा की भाँति सर्वनाम में भी कारक के कारण विकार या परिवर्तन होता है ।

(२) किसी सर्वनाम का प्रयोग पुर्लिंग शब्द के लिए हो रहा है या स्त्रीलिंग के लिए, इस दृष्टि से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता ।

(३) सर्वनामों के सम्बन्ध कारक रूप जिन शब्दों के पूर्व आते हैं (मेरा लड़का, मेरे धोड़े, मेरी कुटिया आदि) उनके बचन तथा लिंग के अनुसार उनमें परिवर्तन होता है ।

(४) सम्बन्ध कारक के अतिरिक्त अन्य कारकों में सर्वनामों में केवल बचन के कारण परिवर्तन होता है ।

(५) सम्बोधन कारक में सर्वनामों का प्रयोग नहीं होता ।

पुरुषवाचक सर्वनाम

कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी तीसरे (जिसके सम्बन्ध में वात हो) के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं ।

पुरुषवाचक सर्वनाम ३ प्रकार के होते हैं—

(क) उत्तम पुरुष, (ख) मध्यम पुरुष, (ग) अन्य पुरुष
उत्तम पुरुष

बोलने या लिखने वाला अपने तिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, वे उत्तम पुरुष कहे जाते हैं। जैसे मैं, हम।

‘मैं’ के कारक रूप

एकवचन

वहुवचन

[विभक्ति रहित]

कर्ता

मैं

हम, हम लोग

[विभक्ति सहित]

मैंने

हमने, हम लोगों ने

कर्म

मुझे, मुझको

हमें, हमको, हम लोगों को

करण

मुझसे

हमसे, हम लोगों से

सम्प्रदान

मुझे, मुझको

हमें, हमको, हम लोगों को

अपादन

मुझसे

हमसे, हम लोगों से

सम्बन्ध

मेरा, मेरी, मेरे

हमारा, हमारी, हमारे

अधिगारण

मुझमे, मुझ पर

हममे, हम पर,

हम लोगों मे,-पर

आजकल प्राय लोग एकवचन में भी हम तथा उससे बनने वाले हमने, हमको, हमें, हमसे तथा हमारा आदि रूपों का प्रयोग करते हैं और इसीलिए वहुवचन में स्पष्टता के लिए ‘लोग’ लगाकर बनाये गए रूपों का प्रयोग होता है।

मध्यम पुरुष

सुनने वाले (या जिससे वात की जाय) के लिए मध्यम-पुरुष सर्वनाम का प्रयोग होता है। जैसे—तू, तुम, आप।

‘तू’ के कारक रूप

	एकवचन	वहुवचन
कर्ता [विभक्ति रहित]	तू	तुम, तुम लोग
[विभक्ति सहित]	तूने	तुमने, तुम लोगों ने
कर्म	तुझे, तुझको	तुम्हेह, तुमको, तुम लोगों को
करण	तुझसे	तुमसे, तुम लोगों से
सम्प्रदान	तुझे, तुझको	तुम्हेह, तुमको, तुम लोगों को
अपादान	तुझसे	तुमसे, तुम लोगों से
सम्बन्ध	तेरा, तेरी, तेरे	तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे तुम लोगों का,-की,-के
अधिकरण	तुझमें, तुझ पर	तुम में, तुम पर तुम लोगों में,-पर

मध्यम पुरुष में एकवचन के रूपों का प्रयोग अत्यधिक प्यार, धृता या श्रनादर के लिए होता है। सामान्यत एकवचन में तुम तथा उससे बने रूपों (तुमने, तुम्हे, तुमको, तुमसे तथा तुम्हारा आदि) का प्रयोग होता है जो यथार्थत वहुवचन है। वहुवचन में ‘तुम’ के साथ ‘लोग’ लगाकर बनाये गए रूप प्रयुक्त होते हैं।

मध्यम पुरुष में आदर के लिए ‘तुम’ के स्थान पर ‘आप’ का प्रयोग होता है। ‘आप’ के साथ प्राय मध्यम पुरुष की किया का प्रयोग नहीं होता। उसके साथ मे अन्य पुरुष वहुवचन की

क्रिया लगती है। जैसे—आप कहाँ जा रहे हैं ?

‘आप’ के कारक रूप

	एकवचन	बहुवचन	
कर्ता	[विभक्ति रहित]	आप	आप लोग
	[विभक्ति सहित]	आपने	आप लोगों ने

अन्य सभी कारकों में एकवचन में ‘आप’ के साथ विना किसी परिवर्तन के कारक-चिह्न (से, को, का, मे, पर आदि) लगा देते हैं और बहुवचन में कारक-चिह्न लगाने के पूर्व ‘लोगों’ जोड़ देते हैं।

अन्य पुरुष

उत्तम और मध्य पुरुष को छोड़कर सभी सर्वनाम (और सज्जाएँ भी) अन्य पुरुष होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामों में ‘वह’ अन्य पुरुष का उदाहरण है।

‘वह’ के कारक रूप

	एकवचन	बहुवचन	
कर्ता	[विभक्ति रहित]	वह	वह, वे, वे लोग
	[विभक्ति सहित]	उसने	उनने, उन्होने, उन लोगों ने
कर्म	उसे, उसको	उन्हे, उनको, उन लोगों को	
करण	उससे	उनसे, उन लोगों से	
सम्प्रदान	उसे, उसको	उन्हे, उनको, उन लोगों को	
अपादान	उससे	उनसे, उन लोगों से	
सम्बन्ध	उसका,-की,-के	उनका,-की,-के	
अधिकरण	उसमे, उस पर	उनमे, उन पर	
		उन लोगों मे,-पर	

‘वह’ का प्रयोग दूर की वस्तु या व्यक्ति आदि के लिए होता है। यदि सभीप के लिए अन्यपुरुष सर्वनाम का प्रयोग करना हो तो ‘यह’ का प्रयोग करते हैं। ‘यह’ और ‘वह’ के रूपों में बहुत साम्य है। कर्ता के विभक्तिरहित रूपों में ‘व’ के स्थान पर ‘य’ कर देने से रूप बन जाते हैं—यह, ये, ये लोग। कर्ता के विभक्ति सहित रूपों तथा अन्य सभी कारकों के रूपों में ‘वह’ के रूपों में ‘उ’ के स्थान पर ‘इ’ कर देने से ‘यह’ के रूप बन जाते हैं। जैसे इसने, इन्होने, इसे, इन्हे तथा इनसे आदि। अन्य पुरुष में आदरार्थ एकवचन के लिए एकवचन के रूपों का प्रयोग न करके वे, ये, उन्हें, इन्हें, उनसे, इनसे आदि वहुवचन के रूपों का प्रयोग करते हैं, और आदरार्थ वहुवचन के लिए ‘लोग’ या ‘लोगों’ लगाकर बनाये गए रूप प्रयोग में आते हैं।

अन्य पुरुष आदरार्थ ‘ये’ (एकवचन) और ‘ये लोग’ (वहुवचन) के स्थान पर क्रम से ‘आप’ और ‘आप लोग’ का भी प्रयोग होता है, यदि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के साथ ही अन्य पुरुष भी उपस्थित हो। जैसे—‘मोहन तुम जाओ, आप लोग भी जा रहे हैं या आप भी जा रहे हैं।’

पुरुषवाचक सर्वनाम के ही अन्तर्गत निजवाचक सर्वनाम भी आता है। इससे अपना या निज का वोध होता है। आप, स्वय, स्वत तथा खुद इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

ऊपर कहा जा चुका है कि आदरार्थ ‘आप’ का प्रयोग होता है, पर उस ‘आप’ से निजवाचक का ‘आप’ भिन्न है। यह भिन्नता प्रमुखत. तीन प्रकार की है—

(क) पुरुषवाचक ‘आप’ एकवचन होकर भी वहुवचन

रूप मे प्रयुक्त होता है। जैसे—‘राम ने श्याम से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं’ पर निजवाचक ‘आप’ एक ही रूप से दोनो वचनो मे आता है। जैसे—‘मैं आप आ जाऊँगा’ या ‘वे लोग आप आ जायेंगे’।

(ख) पुरुषवाचक ‘आप’ प्रमुखत मध्यम पुरुष और कभी-कभी अन्य पुरुष के लिए आता है पर निजवाचक आप तीनो पुरुषो के लिए। जैसे—‘तुम अपने-आप खा लेना’, ‘मैं अपने-आप चला जाऊँगा’ तथा ‘वह अपने-आप चला गया।’

(ग) पुरुषवाचक आदरसूचक ‘आप’ वाक्य मे अकेले आता है ‘आप कहाँ जा रहे हैं?’ किन्तु निजवाचक ‘आप’ दूसरे सर्वनाम या सज्ञा के साथ आता है। ‘वह आप (या अपने-आप) कहाँ जा रहा है?’ या ‘राम आप आ रहा है।’

निजवाचक ‘आप’ के रूप

कारक	एकवचन तथा बहुवचन	प्रयोग
कर्ता	आप या अपने आप	मैं आप (या अपने-आप) आ जाऊँगा।
		हम लोग आप (या अपने-आप) आ जायेंगे।
कर्म	आपको, अपने को, अपने-आपको	तुम अपने-आपको मत विगाड़ो।
		तुम लोग अपने-आपको मत विगाड़ो।

करण	आपसे, अपने से, अपने-आपसे अपने आप	राम ने अपने से खा लिया। उन्होंने अपने से खा लिया।
सम्प्रदान	आपको, अपने को, अपने आपको	तुम तो सभी कुछ अपने को देते हो। तुम लोग सभी कुछ अपने को देते हो।
अपादान	आपसे, अपने से, अपने-आपसे	राम, तुम अपने से उसे दूर न करना।
सम्बन्ध	अपना,-नी,-ने	मैंने अपना काम कर लिया। उन्होंने अपनी रोटी खा ली।
अधिकरण	अपने मे, आप मे, आपस मे	तुम लोग अपने मे या आपस मे लड़ रहे हो।

अन्य निजवाचक सर्वनामों के प्रयोग के उदाहरण

वह खुद आयगा। मैंने स्वयं (या स्वतः) काम कर लिया।
उसे निज के (या निजी) काम से मुझे भेजना है।

निश्चयवाचक सर्वनाम

ऐसा सर्वनाम जिससे दूर या समीप की किसी वस्तु के
सम्बन्ध में निश्चित बोध हो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे—
यह, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम दो हैं—(क) समीप की वस्तु
के लिए, जैसे—यह। यह तुम ले लो। (ख) दूर की वस्तु के लिए,
जैसे—वह। वह तुम ले आओ।

ऊपर अन्य पुरुष सर्वनाम 'वह' का रूप दिया गया। उसी-के साथ 'यह' के रूप भी समझाये गए हैं। वे ही स्पष्ट यहाँ भी प्रयुक्त होते हैं।

दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए 'वह' के अतिरिक्त 'सो' का भी प्रयोग कभी-कभी होता है। यह सर्वनाम प्राय सम्बन्ध-वाचक सर्वनाम (जो, जिस, जिन आदि) के साथ आता है। जैसे—जो जायगा सो पावेगा। सो का एकवचन और वहुवचन दोनों में एक ही रूप रहता है। जो जैसे सोवेगे सो खोवेगे।

'सो' का प्रयोग बहुत सीमित है। यह प्राय केवल कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है, किसी अन्य कारक में नहीं। और कर्ता कारक में भी केवल ऐसे प्रयोगों में जहाँ कर्ता कारक का चिह्न 'ने' न लगा हो।

आजकल 'सो' के स्थान पर 'वह' का प्रयोग होता है। जैसे—'जो जन्मेगा सो मरेगा' के स्थान पर 'जो जन्मेगा वह मरेगा'।

[सो का प्रयोग कभी-कभी 'तब' या 'इसलिए' आदि के अर्थ में समुच्चयवोधक के समान होता है। जैसे—'वे लोग आ गए, सो तुम भी तैयार हो जाओ'। आजकल इस प्रकार का प्रयोग भी पुराना पड़ गया है और इसके स्थान पर अत , इसलिए तथा तब आदि का प्रयोग होता है।]

पुरानी भाषा में 'जो' के स्थान पर 'जौन' के साथ 'सो' के स्थान पर 'तौन' का प्रयोग होता है। जैसे—'जौन आया तौन गया। 'तौन' के स्पष्ट तिसने, तिनने, तिन्होने, तिसे, तिसको, तिसमे आदि है। कर्ता कारक के 'ने' विभक्ति के साथ प्रयोग में तथा अन्य कारकों में 'सो' के स्थान पर 'तौन' के इन स्पष्टों का

प्रयोग पुरानी भाषा में मिलता है।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित वोध न हो। जैसे—कोई, कुछ। ‘कोई जायगा’ वाक्य में कोई के प्रयोग से यह निश्चित नहीं होता कि कौन जायगा। इसी प्रकार ‘कुछ दो’ में कुछ से किसी विशेष वस्तु का निश्चय नहीं होता।

अनिश्चयवाचक सर्वनामों में ‘कोई’ का प्रयोग मनुष्य, शेर, कुत्ता आदि चेतन तथा बड़े-बड़े पेड़ों के लिए तथा ‘कुछ’ का प्रयोग जड़ और छोटे जनुओं या कीड़ों आदि के लिए प्राय होता है। यद्यपि इसके विरोधी प्रयोग भी मिलते हैं। जैसे—कोई चीज़ यहाँ है (यहाँ कोई का विशेषण-रूप में प्रयोग है), कुछ आदमी आए हैं (यह कुछ का संख्यावाचक विशेषण (अनिश्चित) रूप में प्रयोग है)। तथा कुछ (अर्थात् कुछ लोग) कहते हैं कि उसका दिमाग खराब है। अन्तिम उदाहरण में भी ‘कुछ’ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण रूप में प्रयुक्त है। कुछ को ‘कुछ लोग’ का सक्षिप्त रूप भी माना जाता है।

‘कोई’ के रूप

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता (कारक-चिह्न रहित)	कोई	कोई
(कारक-चिह्न सहित)	किसी ने	किन्हीं ने

सम्बोधन के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों के रूप एक-वचन में ‘किसी’ के आगे कारक-चिह्न तथा बहुवचन में ‘किन्हीं’ के आगे कारक-चिह्न लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे—किसी को

मत मारो, किन्हीं की चीजे मत उठाओ। आजकल प्राय 'कोई' तथा उसके कारक-चिह्नों के साथ के रूप 'किसी' का ही प्रयोग चलता है। 'किन्हीं' का नहीं। दूसरे शब्दों में यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम (कोई) केवल एकवचन में प्रयुक्त होता है। हाँ, कभी-कभी 'कोई' को दो बार कहकर वहुवचन का भाव व्यक्त कर लेते हैं। जैसे—'कोई-कोई कहते हैं।'

दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम 'कुछ' है। कुछ का रूप नहीं चलता अर्थात् यह सर्वत्र 'कुछ' ही रहता है। बदलता नहीं। कुछ में विभिन्न कारकों के कारक चिह्न लगाकर विभिन्न कारक रूप बनाए जा सकते हैं। कुछ के प्रयोग के सम्बन्ध में तीन वातें याद रखने की हैं।

(क) कर्ता कारक में 'कुछ' का प्रयोग दोनों वचनों में (विस्तर पर कुछ है, कुछ कहते हैं) होता है, पर वहुवचन के प्रयोग में इसमें अनिश्चित सख्यावाचक विशेषण का भाव रहता है।

(ख) कर्म कारक में भी दोनों वचनों में कुछ का प्रयोग (कुछ खरीद लाओ, कुछ को मारो) होता है पर कर्ता की ही भाँति वहुवचन-प्रयोग में इसमें अनिश्चित सख्यावाचक विशेषण का भाव रहता है।

इस प्रकार कर्ता और कर्म में सर्वनाम रूप में कुछ का शुद्ध प्रयोग केवल एकवचन में होता है। वहुवचन में वह विशेषण हो जाता है।

(ग) सम्बोधन को छोड़कर अन्य कारकों में कुछ का प्रयोग केवल वहुवचन में 'कोई' के अर्थ में होता है। जैसे—'कुछ

में पानी है' या 'कुछ की आंखे ठीक है।' यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि 'कुछ' का प्रयोग सत्यावाचक विशेषण (अनिश्चित) रूप में है,। जिसके विशेष (सज्ञा) का लोप हो गया है।

प्रयोग की इन तीनों बातों के आधार पर कहा जाता है कि सर्वनाम रूप में 'कुछ' केवल कर्ता और कर्म कारक में विभक्तिरहित रूप में प्रयुक्त होता है। अन्यत्र 'कुछ' का प्रयोग होता तो है पर उसे सर्वनाम नहीं कहा जा सकता।

सम्बन्धवाचक सर्वनाम

जो सर्वनाम किसी दूसरी सज्ञा या सर्वनाम से सम्बन्ध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो। जैसे—जो। 'जो पढ़ेगा वह पास होगा', 'वह जो आया था, चला गया', तथा 'वही राम जो बोलता तक नहीं था, आज तलवे चाटता है' आदि।

हिन्दी में केवल 'जो' ही एक सम्बन्धवाचक सर्वनाम है। 'जो' के रूप

कारक	एकवचन	वहुवचन
कर्ता (विभक्ति रहित)	जो	जो
(विभक्ति सहित)	जिसने	जिन्होने, जिनने
कर्म	जिसे, जिसको	जिन्हे, जिनको
करण	जिससे	जिनसे
सम्प्रदान	जिसे, जिसको	जिन्हे, जिनको
अपादान	जिससे	जिनसे
सम्बन्ध	जिसका,-की,-के	जिनका,-की,-के
अधिकरण	जिसमें, जिस पर	जिनमें, जिन पर

ज्ञात हो । जैसे—काला जूता, पीला कपड़ा तथा हरी पत्ती आदि ।

सख्यावाचक विशेषण

जो विशेषण किसी सज्जा की सख्या-विपयक विशेषता बनलावे । जैसे—एक आम, दो आदमी ।

सख्या कभी तो निश्चित हो सकती है, जैसे—एक, दो, और कभी अनिश्चित हो सकती है जैसे—कुछ या थोड़े । इन्हीं आधारों पर सख्यावाचक विशेषण के निश्चित सख्यावाचक और अनिश्चित सख्यावाचक दो भेद किये जा सकते हैं ।

निश्चित सख्यावाचक विशेषण के पाँच भेद होते हैं ।

(क) गणना वाचक—ये विशेषण वस्तुओं की गिनती बनलाते हैं । जैसे—दो बच्चे, चार घोड़े, पाँच किताबें ।

गणनावाचक के पूर्णांक वाचक (जैसे एक, दो, तीन) और अपूर्णांक वाचक (जैसे सबा एक, डेढ़, पौने दो) दो भेद होते हैं ।

(ख) क्रम वाचक—ये विशेषण क्रम के अनुसार सज्जा का स्थान बतलाते हैं । जैसे पहला लड़का, दूसरी पुस्तक, तीसरा मकान ।

(ग) आवृत्ति वाचक—ये विशेषण ‘गुना’ का बोध कराते हैं, अर्थात् एक वस्तु से दूसरी कौं गुनी (कितनी गुनी) है । दुगुना पानी, तिगुना आटा, चौगुनी आय ।

(घ) समुदाय वाचक—इस वर्ग के विशेषण गणना-बोधक सख्या के समुदाय का बोध कराते हैं । जैसे—दोनों आदमी, पाँचों लड़के, सातो आम ।

(ङ) प्रत्येक वाचक—इसके द्वारा कई चीजों में हर एक

का बोध होता है; जैसे—प्रत्येक आदमी, हर सातवें दिन, प्रति वर्ष ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अनिश्चित सख्यावाचक विशेषण से कोई निश्चित सख्यावाचक बोध नहीं होता, जैसे—कुछ आम, थोड़े आदमी, सब लड़के, बहुत पुस्तकें ।

निश्चित संख्यावाचक के अन्तर्गत आने वाले गणनावाचक विशेषण (चार, आठ, बीस आदि) के पूर्व 'लगभग' तथा 'करीब' या बाद मे 'एक' या 'ओ' प्रत्यय लगाने से भी अनिश्चित सख्या वाचक हो जाता है, जैसे—लगभग बीस आदमी, करीब पचास घोड़े, सौ-एक कुत्ते, पचीसो स्त्रियाँ । कभी-कभी निकटवर्ती गणनावाचक का समाप्त करके भी अनिश्चित अर्थ प्रकट किया जाता है, जैसे—तीन-चार व्यक्ति, चालीस-पचास पुस्तकें ।

परिमाणवाचक विशेषण

जो विशेषण किसी वस्तु की तौल या नाप की विशेषता बतलाए, जैसे—सेर-भर आटा, थोड़ा दूध । इसके भी निश्चित और अनिश्चित दो भेद हो सकते हैं । सेर-भर आटा, चार गज कपड़ा तथा पाँच हाथ जमीन आदि निश्चित परिमाणवाचक हैं, तथा और धी, कुछ पानी, थोड़ा अनाज आदि अनिश्चित परिमाणवाचक ।

बहुत-से विशेषण ऐसे भी होते हैं जो सख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों ही रूपों मे प्रयुक्त होते हैं । कुछ, सब, थोड़े, बहुत आदि ऐसे ही विशेषण हैं । कुछ रोटियाँ, सब आम, थोड़े लड़के तथा बहुत घोड़े आदि वाक्यों मे 'कुछ', 'सब', 'थोड़े' तथा 'बहुत'

ज्ञात हो । जैसे—काला जूता, पीला कपड़ा तथा हरी पत्ती आदि ।

सख्यावाचक विशेषण

जो विशेषण किसी सज्जा की सख्या-विपयक विशेषता बतलावे । जैसे—एक आम, दो आदमी ।

सख्या कभी तो निश्चित हो सकती है, जैसे—एक, दो, और कभी अनिश्चित हो सकती है जैसे—कुछ या थोड़े । इन्हीं आधारों पर सख्यावाचक विशेषण के निश्चित सख्यावाचक और अनिश्चित सख्यावाचक दो भेद किये जा सकते हैं ।

निश्चित सख्यावाचक विशेषण के पाँच भेद होते हैं ।

(क) गणना वाचक—ये विशेषण वस्तुओं की गिनती बतलाते हैं । जैसे—दो बच्चे, चार घोड़े, पाँच कितावे ।

गणनावाचक के पूर्णांक वाचक (जैसे एक, दो, तीन) और अपूर्णांक वाचक (जैसे सवा एक, डेढ़, पौने दो) दो भेद होते हैं ।

(ख) क्रम वाचक—ये विशेषण क्रम के अनुसार सज्जा का स्थान बतलाते हैं । जैसे पहला लड़का, दूसरी पुस्तक, तीसरा मकान ।

(ग) आवृत्ति वाचक—ये विशेषण ‘गुना’ का बोध कराते हैं, अर्थात् एक वस्तु से दूसरी के गुनी (कितनी गुनी) हैं । दुगुना पानी, तिगुना आटा, चौगुनी आय ।

(घ) समुदाय वाचक—इस वर्ग के विशेषण गणना-बोधक सख्या के समुदाय का बोध कराते हैं । जैसे—दोनों आदमी, पाँचों लड़के, सातों आम ।

(इ) प्रत्येक वाचक—इसके द्वारा कई चीजों में हर एक-

का वोध होता है; जैसे—प्रत्येक आदमी, हर सातवे दिन, प्रति वर्ष ।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अनिश्चित सख्यावाचक विशेषण से कोई निश्चित सख्यावाचक वोध नहीं होता, जैसे—कुछ आम, थोड़े आदमी, सब लड़के, बहुत पुस्तकें ।

निश्चित संख्यावाचक के अन्तर्गत आने वाले गणनावाचक विशेषण (चार, आठ, बीस आदि) के पूर्व 'लगभग' तथा 'करीव' या बाद मे 'एक' या 'ओ' प्रत्यय लगाने से भी अनिश्चित सख्या वाचक हो जाता है; जैसे—लगभग बीस आदमी, करीव पचास घोड़े, सौ-एक कुत्ते, पचीसो स्त्रियाँ । कभी-कभी निकटवर्ती गणनावाचक का समास करके भी अनिश्चित अर्थ प्रकट किया जाता है, जैसे—तीन-चार व्यक्ति, चालीस-पचास पुस्तके ।

परिमाणवाचक विशेषण

जो विशेषण किसी वस्तु की तील या नाप की विशेषता बतलाए, जैसे—सेर-भर आटा, थोड़ा दूध । इसके भी निश्चित और अनिश्चित दो भेद हो सकते हैं । सेर-भर आटा, चार गज कपड़ा तथा पाँच हाथ जमीन आदि निश्चित परिमाणवाचक हैं, तथा और धी, कुछ पानी, थोड़ा अनाज आदि अनिश्चित परिमाणवाचक ।

बहुत-से विशेषण ऐसे भी होते हैं जो सख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों ही रूपों में प्रयुक्त होते हैं । कुछ, सब, थोड़े, बहुत आदि ऐसे ही विशेषण हैं । कुछ रोटियाँ, सब आम, थोड़े लड़के तथा बहुत धोड़े आदि वाक्यों में 'कुछ', 'सब', 'थोड़े' तथा 'बहुत'

शब्द सख्यावाचक है, पर कुछ दूध, सब आटा, थोड़ा चूना तथा बहुत पानी आदि वाक्यों में ये सब शब्द परिमाणवाचक हैं।

सर्वनामिक विशेषण

जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं, वे सर्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि ऐसे ही सर्वनाम हैं। ये शब्द सर्वनाम रूप में प्रयुक्त हुए हैं या विशेषण रूप में, इसे जानने के लिए हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि सर्वनाम अकेले आते हैं, पर विशेषण सज्ञा के साथ। अर्थात् ये शब्द अकेले आयं तो सर्वनाम होंगे और सज्ञा के साथ आएँ तो विशेषण। उदाहरणार्थ—‘यह ले लो’, ‘वह आ रहा है’, ‘जो चाहे वह जाय’, ‘कोई कहेगा’ तथा ‘कुछ जाते हैं’ में ये शब्द सर्वनाम हैं; पर ‘यह सूरत देखो’, ‘वह मकान गिर रहा है’, ‘जो आदमी गया था, आ गया’, ‘कोई आदमी आ रहा है’ तथा ‘कुछ कुत्ते दौड़ रहे हैं’ में विशेषण हैं।

कुछ सर्वनामिक विशेषण मूल सर्वनामों से बनाये गए हैं, जिन्हे साधित सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे—यह से ऐसा और इतना, वह से वैसा और उतना, तथा कौन से कैसा और कितना आदि। ऐसा, जैसा, कैसा, वैसा आदि सर्वनाम प्रकारवाचक कहे जाते हैं, क्योंकि इनसे प्रकार का बोध होता है।

विशेषणों के रूप

आरम्भ में कहा जा चुका है कि विशेषण विकारी होते हैं, अर्थात् विशेषण में परिवर्तन होता है। उसके रूप बदलते

है। यह रूप का वदलना या परिवर्तन 'लिंग' तथा 'कारक और वचन' इन दो कारणों से होता है।

लिंग के अनुसार किसी विशेषण के बदलने का आशय है उसका पुर्लिंग और स्त्रीलिंग रूप होना, जैसे—मोटा आदमी, मोटी औरत। इस प्रकार का लिंग-परिवर्तन अधिकतर केवल ऐसे विशेषणों में होता है जिनके अन्त में 'आ' होता है, जैसे—बड़ा, मोटा, खोटा, नन्हा, बुरा, अच्छा, लम्बा, ताजा, कड़ा तथा हरा आदि। ये आकारान्त शब्द पुर्लिंग होते हैं और इनके अन्त के 'आ' के स्थान पर ई (बड़ी, मोटी, खोटी आदि) कर देने से ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अन्य विशेषण, जिनके अन्त में 'आ' नहीं रहता, प्रायः दोनों लिंगों में एक-से रहते हैं, जैसे—चतुर पुरुष, चतुर स्त्री, भरी बाल्टी, भारी वरतन, जडाऊ आभूषण, जडाऊ चूड़ी आदि।

कुछ लोग सस्कृत के व्याकरण के आधार पर आकारान्त से इतर शब्दों में भी परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे—पापी पुरुष, पापिनी स्त्री, सुन्दर पुरुष, सुन्दरी स्त्री, प्रभावशाली व्यक्ति, प्रभावशालिनी भापा, साधु पुरुष, साध्वी स्त्री, तथा रूपवान लड़का, रूपवती लड़की आदि। पर इस प्रकार के प्रयोग धीरे-धीरे कम हो रहे हैं, इन्हे हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल नहीं कहा जा सकता।

कारक और वचन के कारण भी केवल आकारान्त विशेषणों में ही परिवर्तन होता है; जैसे—'काला घोड़ा दौड़ रहा है', 'काले घोडे दौड़ रहे हैं' और 'काले घोडे पर चढ़ो'। यहाँ 'काला' का रूप 'काले' हो गया है। अकारान्त से इतर विशेषण अपरि-

वर्तित रहते हैं, जैसे—‘लाल घोड़ा दोड़रहा है’, ‘लाल घोड़े दोड़रहे हैं’ और ‘लाल घोड़े पर चढ़ो’। ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है कि आकारान्त विशेषणों के कारक-वचन के कारण स्पष्ट-परिवर्तन में अन्तिम ‘आ’ का ‘ए’ हो जाता है। सभी कारकों तथा दोनों वचनों के रूप को सक्षेप में इस प्रकार दिखाया जा सकता है।

कारक	एक वचन	बहु वचन
कर्ता	(विभक्ति रहित)	-आ
	(विभक्ति सहित)	-ए
कर्म	(विभक्ति रहित)	-आ
	(विभक्ति सहित)	-ए
अन्य सभी कारक		-ए

यह तो सामान्य नियम है, पर कभी-कभी जब सज्ञा का लोप हो जाता है और विशेषण का ही सज्ञा की तरह प्रयोग होता है तो उसके भी सज्ञा की तरह (देखिए कारक अध्याय) रूप चलते तथा कारक-चिह्न लगाए जाते हैं, जैसे—‘नीचों को कोई नहीं पूछता’ वाक्य में ‘नीच व्यक्तियों’ में सज्ञा (व्यक्तियों) का लोप होने से विशेषण (नीच) का स्पष्ट परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार ‘विद्वानों की सर्वत्र उन्नति होती है’, ‘स्वयम्भर में सुन्दर और असुन्दर सभी प्रकार के राजकुमार आये, सुन्दरों का आदर हुआ, असुन्दरों को किसी ने पूछा भी नहीं’, तथा ‘वीरों के हृदय में कायरता नहीं होती’ आदि वाक्यों में सज्ञा के लोप के कारण विद्वान्, सुन्दर, असुन्दर तथा वीर आदि शब्दों

के रूपों में सज्जा की भाँति परिवर्तन हुए हैं।

विशेषणों की तुलना

दो वस्तुओं के गुणों (या अवगुणों) के मिलान को तुलना कहते हैं। 'सीता राधा से अधिक सुन्दर है' वाक्य में सीता और राधा के सौदर्य की तुलना है, या 'कल्लू बटोही से अधिक कुरुप है' वाक्य में कल्लू और बटोही के अवगुणों की तुलना है।

तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएँ हो सकती हैं—

(क) मूल अवस्था—इसमें तुलना के भाव का अभाव रहता है। केवल किसी में किसी गुण या अवगुण के होने का उल्लेख करते हैं, जैसे—हरीश सुन्दर है।

(ख) उत्तर अवस्था—इसमें दो में तुलना रहती है; जैसे—हरीश दिनेश से सुन्दर है।

(ग) उत्तम अवस्था—इसमें किसी को एक से नहीं बल्कि अनेक से बढ़कर कहते हैं, जैसे—हरीश स्कूल में सबसे सुन्दर है।

मूल अवस्था में तो केवल विशेषण रख दिए जाते हैं। कभी सज्जा के पूर्व (सुन्दर लड़का आ रहा है) और कभी वाद (वह लड़का सुन्दर है) में। पर उत्तरतथा उत्तम के लिए तुलना का भाव स्पष्ट करने के लिए कुछ और शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता पड़नी है। उत्तर अवस्था या दो की तुलना के लिए अधिकतर अपादान कारक का चिह्न 'से' का प्रयोग होता है। राम मोहन से अच्छा

^१ प्राचीन साहित्य में 'से' के स्वान पर 'तें' का प्रयोग मिलता है।

है। हाथी घोडे से भारी है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एक को तुलना दूसरे से करनी होती है तो पहले (एक) को अपादान कारक मे रखते हैं और उसके बाद 'से' रखते हैं। इसके अतिरिक्त 'से अधिक' (वह तुमसे अधिक बड़ा है), से ज्यादा, से भी अधिक (जोर देने के लिए—वह तुमसे भी अधिक बड़ा है), से कम, से भी कम, से कुछ कम, 'की अपेक्षा' (राम मोहन की अपेक्षा तेज है), 'की बनिस्वत', 'से कही' (वह तुमसे कही सुन्दर है तथा वह राम की बनिस्वत अच्छा है), से बढ़कर (राम तुमसे बढ़कर है) आदि और भी शब्द-समूह या शब्द प्रयोग मे आते हैं।

उत्तम अवस्था मे उत्कृष्टता, हीनता या किसी भी विशेषता मे किसी सज्ञा को बहुतो से बढ़कर दिखाते हैं। इसके दो रूप हो सकते हैं—

(क) सापेक्ष—जिसमे दूसरो की तुलना मे विशेषता अधिक हो, जैसे—‘वह सबसे सुन्दर है।’

(ख) निरपेक्ष—जिसमें विना दूसरो की तुलना के ही विशेषता का आधिक्य दिखाया हो, जैसे—‘वह बहुत ही सुन्दर है।’

‘सापेक्ष’ के लिए ‘सबसे’ (जैसे वह सबसे सुन्दर है) या ‘सब’ के बाद जिसकी तुलना मे विशेषता दिखानी हो उसका अपादान कारक बहु बचन का रूप रखकर 'से' का प्रयोग करते हैं; जैसे—वह सब लड़को से अच्छा है। ‘सब’ के स्थान पर जोर देने के लिए 'सभी' का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे—वह सभी लड़को से अच्छा है (या बुरा है)।

कभी-कभी अपादान कारक के स्थान पर अधिकरण का भी प्रयोग करते हैं, जैसे—वह सब लड़को में अच्छा है, या सभी लड़को में अच्छा है।

सस्कृत में तुलना में विशेषता अधिक दिखाने के लिए ‘-तर’ (अधिकतर, उच्चतर, गुरुतर, महत्तर) तथा विशेषता सबसे अधिक दिखाने के लिए ‘-तम’ (उत्तम, उच्चतम, महत्तम) विशेषण के बाद जोड़ने का नियम है। हिन्दी में केवल कुछ ही शब्दो में इस नियम का पालन होता है, और इस प्रकार बने हुए शब्दो का प्रयोग भी प्राय केवल सस्कृत-मिश्रित हिन्दी में होता है।

विशेषणों का आधार

कुछ शब्द तो मूलत विशेषण होते ही हैं, जैसे—बड़ा, अच्छा, उच्च आदि। पर कुछ सज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के आधार पर बनाये जाते हैं। यहाँ उनके उदाहरण अलग-अलग दिये जा रहे हैं।

(क) सज्ञा के आधार पर

१ व्यक्तिवाचक सज्ञा से—‘वम्बई’ से वम्बइया, ‘मद्रास’ से मद्रासी, ‘अमेरिका’ से अमरीकी, ‘गाजीपुर’ से गाजीपुरी, ‘मुरादावाद’ से मुरादावादी तथा ‘रामानन्द’ से रामानन्दी आदि।

२ जातिवाचक सज्ञा से—‘रूपा’ से रुपहला, ‘सोना’ से सुनहरा, ‘पानी’ से पनीला, ‘पशु’ से पाशविक, ‘कागज’ से कागजी, ‘किताब’ से किताबी और ‘घर’ से घरेलू आदि।

३ भाववाचक मन्त्र से—‘न्याय’ से न्यायी, ‘धर्म’ से धार्मिक, ‘कृपा’ से कृपालु, ‘वर्ष’ से वार्षिक, तथा ‘सप्ताह’ से साप्ताहिक आदि।

(ख) सर्वनाम के आधार पर

यो तो जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर सभी अन्य सर्वनामों का प्रयोग विशेषण-सा होता है, पर कुछ सर्वनामों के आधार पर नये विशेषण भी बनाये गए हैं, जैसे—

सर्वनाम	विशेषण		
	प्रकारवाचक	सख्यावाचक	परिमाणवाचक
यह	ऐसा	इतने	इतना
वह	वैसा	उतने	उतना
कौन	कैसा	कितने	कितना
जो	जैसा	जितने	जितना

(ग) क्रिया के आधार पर

क्रिया	विशेषण
चलना	चलता (चलता घोड़ा) (चलती गाड़ी)
	चालू (चालू मिक्का)
वटना	वढता (वढता खर्च)

बोतना

बीता

(बीता समय)

जाना

गया

(गया समय)

भागना

भग्गू, भगोडा

(भगोडा सिपाही)

‘वाला’ लगाकर भी क्रिया से विशेषण बनाय जाते हैं; जैसे—
 ‘दौड़ना’ से ‘दौड़ने वाला’, ‘हँसना’ से ‘हँसने वाला’ तथा
 ‘करना’ से ‘करने वाला’ आदि।

७. क्रिया

'क्रिया' वह विकारी शब्द है, जिससे किसी का कुछ करना या होना ज्ञात हो, जैसे—'राम दौड़ता है' वाक्य में राम के दौड़ने का भाव तथा 'आम मेज पर है' वाक्य में आम के मेज पर होने का भाव मालूम होता है।

हम जब कोई वात करते हैं तो उसमें मुख्य शब्द क्रिया ही रहती है। बिना क्रिया के हम अपने भाव प्रकट कर ही नहीं सकते। दूसरे शब्दों में बिना क्रिया के वाक्य हो ही नहीं सकते। सामान्य भाषा में ऐसे बहुत-से वाक्य या वातचीत के अश दिखाई पड़ते हैं जिनमें क्रिया का वोधक कोई शब्द नहीं होता, जैसे—

(क) मोहन—राम, क्या तुम घर जाओगे ?

राम—हाँ।

(ख) उनसे यह कहने की आवश्यकता नहीं।

यहाँ पहले उदाहरण में राम ने केवल 'हाँ' कहा है। इसी प्रकार दूसरे में भी क्रिया नहीं है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि

यहाँ क्रिया है ही नहीं। है, पर प्रत्यक्ष नहीं। 'हाँ' का अर्थ है 'हाँ चलूँगा' और 'आवश्यकता नहीं' का अर्थ है 'आवश्यकता नहीं है'। इसका आशय यह है कि वाक्य में जहाँ क्रिया नहीं भी दिखाई पड़ती वहाँ उसका छिपा हुआ अस्तित्व रहता है और सुनने या पढ़ने वाला उस छिपे अस्तित्व के आधार पर ही उसका अर्थ समझता है।

धातु

क्रिया का मूल 'धातु' है। 'धातु' उस अश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाय। उदाहरण के लिए चला, चलो, चलूँ, चलो, चलते, चले, चलूँगा, चलेंगे, चलेंगी आदि एक ही क्रिया के रूप हैं। यदि ध्यान दें तो ज्ञात हो जायगा कि इन सभी रूपों में 'चल्' अंग विद्यमान है। इस 'चल्' में ही 'आ', 'ई', 'ऊँ', 'ओ' आदि जोड़कर विभिन्न रूप बनाये गए हैं। अतएव इन क्रिया-रूपों या इस क्रिया का आधार 'चल्' धातु है। इसी प्रकार देख् (देखा, देखी, देखेंगे, देखते), खा (खा, खाया, खाई, खाते), पा (पाना, पाया, पाता, पाएंगे) आदि भी धातु हैं।

क्रिया का सामान्य रूप जो पुस्तकों या कोशों में मिलता है, धातु में 'ना' जोड़कर बनाया जाता है, जैसे—चलना, देखना, खाना, पाना आदि। इन सामान्य रूपों में से 'ना' निकालकर भी धातु का रूप ज्ञात किया जा सकता है।

क्रिया के मूल रूप या धातु के अर्थ में 'ना' वाले रूप ही प्रचलित हैं। अत समझने में सरलता के लिए इस पुस्तक में उन्हीं

ना पयोग किया गया है। जहाँ भी धातु रूप में ये 'ना' वाले स्पष्ट दिये गए हैं, पयोग की दृष्टि में उन्हें 'ना' निकालकर ही धातु मानना नाहिए।

धातु के भेद

व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है—

(क) मूल धातु—जो किसी दूसरी धातु या शब्द के आधार पर न बनी हो, जैसे—खाना, देखना, पीना आदि।

(ख) यौगिक धातु—जो किसी दूसरे शब्द के योग से या आधार पर बने; जैसे 'खाना' से खिलाना, 'देखना' से दिखाना, 'रग' से रँगना, और 'अपना' से अपनाना आदि। यौगिक धातु को कुछ लोग साधित धातु भी कहते हैं।

यौगिक धातु तीन प्रकार की होती है—

१ प्रेरणार्थक धातु—किसी धातु में कुछ जोड़कर कभी-कभी नई धातु बना ली जाती है, जिसमें प्रेरणा का भाव रहता है, जैसे—'करना' से 'करवाना'। 'मे काम करता हूँ' और 'मे नौकर से काम करवाता हूँ' इन दोनों वाक्यों के अर्थ पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जायगा कि दूसरे में प्रेरणा देने का भाव है। 'देखना' से 'दिखवाना', 'कूदना' से 'कुदवाना' तथा 'भूंजना' से 'भुंजवाना' इसी प्रकार प्रेरणार्थक धातु हैं।

आना, जाना, सकना, होना तथा पाना आदि कुछ धातुओं को छोड़कर प्राय सभी धातुओं से प्रेरणार्थक धातुएँ बनती हैं। प्रेरणार्थक धातुएँ दो प्रकार की होती हैं, जैसे—'गिरना' से

‘गिराना’ और ‘गिरवाना’। ‘गिराना’ और ‘गिरवाना’ दोनों ही प्रेरणार्थक धातुएँ हैं, पर प्रायः पहली (गिराना) का प्रयोग सकर्मक क्रिया के रूप में तथा दूसरी का प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में होता है, जैसे—‘मैंने पानी गिराया’ तथा ‘मैंने नींकर से पानी गिरवाया’।

मूल धातु से प्रेरणार्थक बनाने के प्रधान नियम इस प्रकार है—

(क) मूल धातु (सामान्यतः प्रचलित धातु का अन्तिम ‘ना’ निकालकर) में ‘आ’ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और ‘वा’ जोड़ने से दूसरा प्रेरणार्थक बनता है—

मूल धातु	प्रथम प्रेरणार्थक	द्वितीय प्रेरणार्थक
सुन-ना	सुना-ना	सुनवा-ना
पढ-ना	पढा-ना	पढवा-ना
चल-ना	चला-ना	चलवा-ना
गिर-ना	गिरा-ना	गिरवा-ना
फैल-ना	फैला-ना	फैलवा-ना

(ख) दो अक्षरों के धातु में ‘ऐ’ या ‘ओ’ को छोड़कर आदि के दीर्घ स्वर को हस्त करके तथा ‘आ’, ‘वा’ जोड़कर—

जाग-ना	जगा-ना	जगवा-ना
जीत-ना	जिता-ना	जितवा-ना
डूब-ना	हुवा-ना	डुबवा-ना

(ग) एकाक्षरी धातुओं में ‘ला’ और ‘लवा’ लगाते हैं। साथ ही दीर्घ का हस्त ‘ऐ’ का ‘इ’ तथा ‘ओ’ का ‘उ’ कर देते हैं।

पी-ना	पिला-ना	पिलवा-ना
छू-ना	छुला-ना	छुलवा-ना
दे-ना	दिला-ना	दिलवा-ना
सो-ना	सुला-ना	सुलवा-ना

बहुत-सी धातुओं के रूप नियमानुसार न चलकर अपवाद भी होते हैं, जैसे—डूबना, डुबोना (डुबाना भी होता है), डुब-वाना या भीगना, भिगोना (भिगाना भी) भिगवाना तथा खाना खिलाना, खिलवाना आदि।

२. नाम धातु—धातुओं के अतिरिक्त अन्य शब्दों के आधार पर वनने वालों धातुएँ नाम धातु कहलाती हैं, जैसे—‘हाथ’ से हथियाना, ‘दुख’ से दुखाना तथा ‘वदल’ से वदलना आदि। इस वर्ग की धातुओं को प्रमुख तीन वर्गों में रखा जा सकता है—

(क) सज्जा के आधार पर—जैसे—‘हाथ’ से हथियाना, ‘वात’ से वताना, ‘खर्च’ से खर्चना, तथा ‘दाग’ से दागना।

(ख) विशेषण के आधार पर—जैसे—‘चिकना’ से चिकनाना, ‘सुधर’ से सुधराना, ‘आधा’ से अधियाना, तथा ‘दोहरा’ से दोहराना आदि।

(ग) अव्यय के आधार पर—जैसे—‘ऊपर’ से उपराना।

३ अनुकरण धातु—ध्वनि या दृश्य आदि के अनुकरण के आधार पर भी बहुत-सी धातुएँ वन गई हैं, जैसे—‘खटखट’ से खटखटाना, ‘फटफट’ से फटफटाना, ‘भनभन’ से भनभनाना, ‘थरथर’ से थरथराना, ‘ठकठक’ से ठकठकाना, या ‘चमचम’ से चमचमाना आदि।

[कुछ लोग धातु का एक चौथा भेद 'संयुक्त धातु' भी मानते हैं, जैसे—'मैं बड़ा हो गया' में 'होना' और 'जाना' का एक स्थान पर प्रयोग है। इसे संयुक्त धातु न मानकर संयुक्त किया भानना अधिक ठीक होगा। करने लगना, जा सकना, मार देना आदि इसी प्रकार के उदाहरण हैं।]

सकर्मक, श्रकर्मक तथा उभयविध

क्रिया या धातु की वनावट या व्युत्पत्ति की दृष्टि से ऊपर भेद दिये गए हैं। एक और दृष्टि से भी इसके भेद किये जा सकते हैं। कुछ क्रियाओं से होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर दूसरी वस्तु पर पड़ता है। 'मैंने उसे मारा' वाक्य में कर्ता 'मैं' है, पर 'मैं' द्वारा किये गए व्यापार (मारना) का फल 'उस' पर पड़ा। इसी प्रकार 'राम ने सिनेमा देखा' में देखने का फल 'सिनेमा पर पड़ा'। इस प्रकार की क्रियाएँ सकर्मक कही जाती हैं। इनके लिए कर्म (जिस पर क्रिया का फल पड़े) का होना आवश्यक है। मैं पत्र लिखता हूँ, वह दूध पीता है तथा हरि अखबार पढ़ता है, आदि वाक्यों में क्रिया का फल पत्र दूध, अखबार, पर पड़ता है, अत ये कर्म हैं और लिखना, पीना, पढ़ना क्रियाएँ सकर्मक हैं। कर्म के साथ होने के कारण ही इन क्रियाओं को 'सकर्मक' कहते हैं।

दूसरी क्रियाएँ श्रकर्मक होती हैं। इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। 'राम बैठा है', 'वह दौड़ता है', 'तुम हँसते हो' तथा 'गाड़ी चली' आदि वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त और किसी पर नहीं पड़ता। यहाँ कर्म की आव-

श्यकता नहीं, अत बैठना, दीड़ना, हँसना तथा चलना आदि अकर्मक क्रियाएँ हैं।

सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान 'क्या', 'किसे' या 'किसको' आदि प्रश्न पूछने से हो जाती है। अगर कुछ उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है और नहीं तो अकर्मक। उदाहरणार्थ—मारना, खाना, पढ़ना से 'क्या' या 'किसे' प्रश्न पूछा जाय तो कुछ उत्तर मिलेगा, जैसे—राम को मारा, खाना खाया, किताब पढ़ी। अतएव ये सकर्मक क्रियाएँ हैं। दूसरी ओर हँसना, चलना या बैठना आदि से इस प्रकार का कोई उत्तर नहीं मिलेगा, अत ये अकर्मक हैं।

कुछ क्रियाएँ अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं। उनका प्रयोग देखकर ही उन्हे अकर्मक कहा जा सकता है। खुजलाना, भरना, भूलना, घिसना, ऐठना, बदलना, ललचाना तथा घबराना आदि धातुएँ ऐसी ही हैं। इनमें कुछ के दोनों प्रकार के प्रयोग दिये जा रहे हैं—

'खुजलाना'—अकर्मक—मेरा सिर खुजताता है।

सकर्मक—मे अपना सिर खुजलाता है।

'भरना'—अकर्मक—घड़ा भरता है।

सकर्मक—मे घड़ा भरता हूँ।

'घिसना'—अकर्मक—छड़ी घिसती है।

सकर्मक—मे चन्दन घिसता हूँ।

इस प्रकार की धातुएँ, जिनका प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में हो सकता है, उभयविध धातु कहलाती है।

निष्कर्ष यह निकला कि प्रयोग की दृष्टि से क्रिया या धातु के अकर्मक, सकर्मक तथा उभयविध तीन भेद होते हैं।

अकर्मक क्रियाओं में प्राय जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा, कभी-कभी तो पूरा अर्थ ‘कर्ता’ से ही प्रकट हो जाता है, जैसे—‘वह हँसता है’। पर कभी-कभी विशेषण लगाने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे—‘वह अच्छा है’। इसमें ‘अच्छा’ विशेषण लगाया गया है। इस प्रकार के विशेषण ‘पूरक’ या ‘पूर्ति’ कहे जाते हैं। जिन अकर्मक क्रियाओं के साथ इस प्रकार के पूरकों की आवश्यकता होती है उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। होना, रहना, बनना, निकलना आदि इसी प्रकार की क्रियाएँ हैं। इस दृष्टि से सभी सकर्मक क्रियाएँ अपूर्ण हैं, क्योंकि उनको पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। कुछ लोग इसी आधार पर सकर्मक क्रिया के कर्म को भी पूरक कहते हैं।

कुछ अकर्मक धातुओं में कुछ परिवर्तन करके उन्हें सकर्मक बना लेते हैं। इसके लिए कभी तो प्रथम हँस्व स्वर को दीर्घ (जैसे—‘मरना’ से मारना, ‘कटना’ से काटना), कभी द्वितीय हँस्व स्वर को दीर्घ (जैसे ‘निकलना’ से निकालना, ‘उखड़ना’ से उखाड़ना), कभी इ को ए (जैसे ‘फिरना’ से फेरना, ‘दिखना’ से देखना), तथा उ को ओ (जैसे ‘मुड़ना’ से मोड़ना, ‘खुलना’ से खोलना) कर देते हैं। कभी-कभी इस प्रकार के स्वर-सम्बन्धी परिवर्तनों के अतिरिक्त व्यजनों में भी परिवर्तन (जैसे—ट का ड, छूटना से छोड़ना, ट का त तथा ड, टूटना को तोड़ना) करते हैं।

क्रिया का रूपान्तर

क्रिया विकारी शब्द है। सज्जा, सर्वनाम तथा विशेषण की भाँति इसके रूपों में भी विकार या परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन १ वाच्य, २ अर्थ, ३ पुरुष, ४ लिंग, ५ वचन तथा ६ काल के कारण होते हैं। नीचे इन पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है।

वाच्य

‘वाच्य’ क्रिया का वह रूप है, जिससे किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता के विधान का पता चलता है, जैसे— ‘मैं रोटी खाता हूँ’, ‘रोटी खाई जाती है’, ‘मुझसे खाया नहीं जाता’। इन तीन वाक्यों में पहले में ‘मैं’ (कर्ता) की प्रधानता है, दूसरे में रोटी (कर्म) की, और तीसरे में खाये जाने (भाव) की। दूसरे शब्दों में पहले में वल कर्ता पर, दूसरे में कर्म पर, और तीसरे में भाव पर है। जिस क्रिया में कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य और जिसमें भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं।

कर्तृवाच्य का ही प्रमुख रूप से हिन्दी में प्रयोग होता है। कर्म-वाच्य केवल उन स्थलों पर प्रयुक्त होता है जहाँ कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो या वह ज्ञात न हो। जैसे—‘लड़ाई में सभी सिपाही मारे गए’ यहाँ वल मारे जाने वाले सिपाहियों पर है, अतः कर्ता को प्रकटकरने की आवश्यकता नहीं। ‘मेरा

सामान रेल से 'चोरी चला गया' में कर्ता ज्ञात नहीं है। 'मैंने किताब पढ़ी जैसे—वाक्यों को कुछ लोग 'मैं' पर बल होने, या मेरी की प्रधानता के कारण कर्तृवाच्य कहते हैं। पर दूसरी ओर इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार होती है (जैसे मैंने समाचार-पत्र पढ़ा), अतएव इस आधार पर कर्म की प्रधानता मानकर कुछ लोग कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया इसमें कर्म के अनुसार है तो, पर यदि बिना उत्तार-चदाव के इस वाक्य को कहा जाय तो 'मैं' पर ही बल है। एक बात और। यह वाक्य 'मैं किताब पढ़ता हूँ' (वर्तमान) या 'मैं किताब पढ़ूँगा' (भविष्य) का भूतकाल-मात्र है। ये दोनों (वर्तमान तथा भविष्य के) वाक्य कर्तृवाच्य हैं, फिर केवल काल-परिवर्तन से भूतकाल के वाक्य का वाच्य-परिवर्तन भी हो जायगा, यह मानना उचित नहीं जान पड़ता, अत 'ने' वाले वाक्य भी कर्तृवाच्य ही माने जाने चाहिए।

भाववाच्य का प्रयोग बहुत कम होता है। प्रमुखत अस-मर्थता पर बल देने के लिए ही ऐसे प्रयोग किये जाते हैं। इनमें क्रिया का फल किसी पर पड़े या नहीं, उस पर ध्यान नहीं जाता। जैसे—'वुढापे के कारण अब खाया नहीं जाता', 'बीमारी के कारण मुझसे चला नहीं जाता', 'दुख के कारण अब जिया नहीं जाता', या 'परिवार के सभी लोगों के मर जाने के कारण अब इस मकान में रहा नहीं जाता' आदि।

कर्तृवाच्य तथा भाववाच्य के वाक्यों में सर्कर्मक-शकर्मक

दोनों धातुओं का तथा कर्मवाच्य में केवल सकर्मक का प्रयोग किया जाता है।

अर्थ

क्रिया के वे रूप, जिनसे कहने वाले के भाव (या व्यापार की रीति) का बोध होता है, अर्थ कहे जाते हैं, जैसे—‘तुम घर जाओ’ (आज्ञा), या ‘वह दौड़ रहा है’ (निश्चय)।

हिन्दी में क्रियाओं के प्रमुख अर्थ पाँच हैं—

(१) निश्चयार्थ—जिससे निश्चित बात की सूचना मिले; जैसे—वह मर गया, मैं खा रहा हूँ, या कल मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। निश्चयार्थ का प्रयोग सबसे अधिक होता है।

(२) सम्भावनार्थ—इससे अनुमान, इच्छा, कर्तव्य तथा आशीर्वाद आदि प्रकट होता है, जैसे—सम्भव है आज आँधी आए (सम्भावना), तुम उन्नति करो (इच्छा), विद्यार्थियों को चाहिए कि वे पढ़ने में ध्यान दे (कर्तव्य) आदि।

(३) सन्देहार्थ—जिससे सन्देह प्रकट हो, जैसे—वह शायद ही आता हो।

(४) आज्ञार्थ—जिसमें आज्ञा, उपदेश तथा निपेध आदि का भाव हो, जैसे—तुम अभी जाओ (आज्ञा), वडों की आज्ञा मानो (उपदेश) तथा अधिक खटाई न खाओ (निपेध) आदि।

(५) सकेतार्थ—जिसमें सकेत या शर्त का बोध हो, जैसे—यदि वह आता तो मे जाता।

पुरुष

सर्वनाम के अध्याय में हम लोग देख चुके हैं कि पुरुष तीन होते हैं—उत्तम (मैं, हम), मध्यम (तू, तुम), अन्य (वह, वे)। इन तीनों के अनुसार क्रिया के रूपों में भी भेद होता है, जैसे—मैं पढ़ता हूँ (उत्तम), तुम पढ़ते हो (मध्यम), तथा वह पढ़ता है (अन्य)। आप (मध्यम पुरुष, आदरार्थ) के साथ सामान्यत अन्य पुरुष बहु वचन की क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे—आप जाते हैं, आप जायें, आप गये, आप पढ़ेंगे आदि, किन्तु कुछ कालों में इसके आज्ञार्थ के रूप अलग भी (आप चलिए, आप खाइए, आप लीजिए) होते हैं।

लिंग

पीछे लिंग पर विचार करते समय कहा गया है कि हिन्दी में दो लिंग होते हैं—स्त्रीलिंग और पुर्णलिंग। सस्कृत तथा अग्रेजी आदि बहुत-सी भाषाओं की क्रिया के रूप लिंग के कारण नहीं बदलते, पर हिन्दी में बदलते हैं, जैसे—राम जा रहा है, सीता जा रही है। इस प्रकार प्राय सभी क्रिया रूपों के स्त्रीलिंग [जिसमें 'ई' (एक वचन) या ईं (बहु वचन) आती है] और पुर्णलिंग [जिसमें आ (एक वचन) और ए (बहु वचन) आते हैं] दोनों रूप होते हैं।

वचन

वचन के कारण भी क्रिया में रूपान्तर होता है। वचन दो हैं—एक वचन और बहु वचन। इन दोनों के लिए अलग-अलग

रूप होते हैं, जैसे—मैं जाता हूँ, हम जाते हैं, वह पढ़ेगा, वे पढ़ेगे, वह गया, वे गये आदि ।

काल

'काल' क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं जिसके कारण क्रिया के होने के समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है । जैसे—'वह गया था' वाक्य में 'गया था' से क्रिया के बीते हुए काल में हो जाने का पता चलता है और 'वह जा रहा है' में क्रिया से वर्तमान काल में कार्य होने पर अभी तक पूर्ण न होने का बोध होता है ।

काल तीन है—वर्तमान, भूत और भविष्य(या भविष्यत्) । वर्तमान से चल रहे समय का, भूत से बीते हुए समय का और भविष्य से आने वाले समय का बोध होता है । पूर्णता, अपूर्णता तथा अर्थ आदि के आधार पर इन तीनों के और भी भेद होते हैं ।

वर्तमान काल—१ सामान्य वर्तमान, २ सन्दिग्ध वर्तमान, ३ अपूर्ण वर्तमान, ४ वर्तमान आज्ञार्थ, ५ सम्भाव्य वर्तमान ।

भूत काल—१ सामान्य भूत, २ आसन्न भूत, ३ पूर्ण भूत, ४ अपूर्ण भूत, ५ सन्दिग्ध भूत, ६ हेतुहेतुमद्भूत, ७ पूर्ण सकेतार्थ, ८ अपूर्ण सकेतार्थ, ९ सम्भाव्य भूत ।

भविष्यत् काल—१ समान्य भविष्य, २ सम्भाव्य भविष्य, ३ भविष्य आज्ञार्थ ।

उपर्युक्त छ (वाच्य, अर्थ, पुरुष, लिंग, वचन, काल) के

आधार पर क्रिया के रूप बदलते हैं। रूपों का बदलना तथा एक से अधिक रूपों के आधार पर क्रिया का निर्माण समझने के लिए कुछ और वातें भी समझ लेनी आवश्यक हैं, यहाँ पहले उन्हीं का विवेचन किया जाता है।

कृदन्त

क्रिया के जिन रूपों का उपयोग दूसरे शब्द-भेदों (सज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण आदि) के समान होता है, उन्हें 'कृन्दत्' कहते हैं, जैसे—‘दौड़ना’ धातु से ‘दौड़ता’ (दौड़ता वैल—इसमें ‘दौड़ता’ विशेषण का कार्य कर रहा है) या ‘दौड़ना’ (दौड़ना अच्छा है, इसमें ‘दौड़ना’ सज्ञा है) आदि।

कुछ कृदन्तों का रूपान्तर होता है, इसीलिए उन्हे विकारी कृन्दत् कहते हैं, जैसे—चलता वैल, चलती गाड़ी, चलते घोड़े। कुछ का रूपान्तर नहीं होता। इन्हे अविकारी कृदन्त कहते हैं, जैसे—राम देखकर गया, सीता खाकर आई।

कृदन्तों के मुख्य भेद निम्नलिखित हैं—

(१) क्रियार्थक सज्ञा—अर्थात् क्रिया का अर्थ वताने वाली सज्ञा। मूल धातु में ‘ना’ जोड़कर यह बनाई जाती है। धातु का ‘ना’-युक्त प्रचलित रूप, जो कोषों तथा व्याकरण में मिलता है, क्रियार्थक सज्ञा ही है, जैसे—दौड़ना, भागना, मरना, हँसना आदि। ये सब सज्ञाएँ हैं पर क्रिया का अर्थ बतलाती है। क्रियार्थक सज्ञा का प्रयोग सज्ञा और विशेषण दोनों अर्थों में होता है।

सज्ञा रूप मे प्रयुक्त होने पर इसे पुलिलग एक वचन मानते हैं, जैसे—‘दौड़ना अच्छा है’ या ‘वहुत हँसना बुरा है’। कारक चिह्नों के साथ प्रयोग करने के लिए अन्तिम ‘ना’ का ‘ने’ कर देते हैं, जैसे ‘दौड़ने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है’ या ‘लड़ने मे क्या रखा है ?’

क्रियार्थक सज्ञा का प्रयोग जब विशेषण रूप मे होता है तो—

(क) यदि अकर्मक क्रिया से वह क्रियार्थक सज्ञा बनी है तो उसका रूप पूरक के लिंग और वचन के अनुसार होता है, जैसे—‘बात होनी है’, ‘बाते होनी है’, ‘काम होना है’, ‘काम होने है’।

(ख) यदि सकर्मक क्रिया से वह क्रियार्थक सज्ञा बनी है तो उसका रूप कर्म के अनुसार होता है, जैसे—‘पत्र पढ़ना है’, ‘ये पत्र पढ़ने है’, ‘पुस्तक पढ़नी है’, ‘ये पुस्तके पढ़नी है’।

(२) कर्तृवाचक सज्ञा—किसी क्रिया के आधार पर वनी ऐसी सज्ञा, जो कर्ता का अर्थ व्यक्त करे। मूल धातु म (अर्थात् धातु के प्रचलित रूप मे से ‘ना’ निकालकर) ‘—ने वाला’ जोड़कर यह बनाई जाती है। जैसे—करने वाला, हँसने वाला, रोने वाला आदि। कर्तृवाचक सज्ञा के रूप अन्य आकारान्त हिन्दी सज्ञाओं के अनुरूप ही लिंग, वचन तथा कारक की आवश्यकतानुकूल बदलते हैं। जैसे—‘दौड़ने वाले ने वाजी जीत ली’, ‘दौड़ने वाले को मारो’, ‘दौड़ने वाली आ रही है’ तथा ‘दौड़ने वाले का पेरटूट गया’ आदि।

(३) वर्तमानकालिक कृदन्त—धातु के अन्त में ‘-ता’ जोड़कर यह बनाया जाता है। जैसे—खाता, पीता, चलता आदि। इसे अपूर्ण कृदन्त भी कहते हैं। विशेषण की तरह यह विशेष्य के बचन, लिंग और कारक के अनुसार बदलता है, जैसे—‘दौड़ता आदमी’, ‘दौड़ती कुतिया’, ‘दौड़ते घोड़े’, ‘दौड़ते बैल की’, ‘दौड़ते ऊँट पर’ तथा ‘भागतो के पीछे’ आदि।

(४) भूतकालिक कृदन्त—यह धातु में ‘आ’ या कभी-कभी ‘या’ लगाकर बनाया जाता है, जैसे—देख से देखा, लिखना से लिखा, आना से आया, खाना से खाया आदि। भूत-कालिक कृदन्त को पूर्ण कृदन्त भी कहते हैं। इसे बनाने के सम्बन्ध में निम्नांकित बातें याद रखने की हैं—

(क) धातु के अन्त में (‘ना’ हटाने के बाद) श्र (वैज्ञानिक दृष्टि से व्यजनान्त) हो, जैसे—देख, चल, हँस, तो ‘आ’ जोड़ते हैं; जैसे—देखा, चला, हँसा।

(ख) धातु के अन्त में आ, ए या ओ हो तो ‘या’ जोड़ते हैं, जैसे—ला—लाया, पा—पाया, खा—खाया, खे—खेया, ओ—ओया, डुवो—डुवोया आदि।

(ग) धातु के अन्त में ‘ई’ हो तो हस्त करके ‘या’ लगाते हैं, जैसे—पी—पिया, सी—सिया, जी—जिया।

(घ) धातु के अन्त में ‘ऊ’ हो तो हस्त करके—‘आ’ लगाते हैं; जैसे—चू—चुआ, छू—छूआ।

(ङ) कुछ क्रियाएँ नियम-विरुद्ध हैं—

हो—हुआ, जा—गया, कर—किया, ले—लिया, दे—दिया।

आकारान्त विशेषण की तरह भूतकालिक कृदन्त का प्रयोग होता है। यह विशेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलता रहता है, जैसे—वोया खेत, वोये खेत, वोई क्यारी। आजकल इस तरह के प्रयोग में 'हो' धातु के भूतकालिक कृदन्त 'हुआ' को भी सहायक रूप में लगा देते हैं। जैसे—वोया हुआ खेत, वोये हुए खेत, वोई हुई क्यारी।

(५) पूर्ण क्रिया-द्योतक कृदन्त—भूतकालिक कृदन्त के एकारान्त रूप (बोए, चले, देखे) का यह नाम है। इसमें क्रिया की पूर्णता का द्योतक होता है। जैसे—तुम्हे खेत बोए बहुत दिन हो गए, मुझे घर से चले अभी दो ही दिन हुए, बेचारा भिखारी सड़क पर कपड़ा फैलाए बैठा है। ऐसे प्रयोगों के साथ कभी-कभी 'हो' धातु के भूतकालिक कृदन्त 'हुआ' का एकारान्त रूप 'हुए' भी लगा दिया जाता है, जैसे—तुम्हे खेत बोये हुए बहुत दिन हो गए, या वह पैर लटकाये हुए बैठा है।

(६) पूर्वकालिक कृदन्त—यह कृदन्त धातु के अन्त में 'के', 'कर' या 'करके' लगाकर बनाया जाता है। यह वाक्य में मुख्य क्रिया के पूर्ववर्ती काल में किये गए कार्य का बोध कराने के कारण पूर्वकालिक कृदन्त कहा जाता है, जैसे—मैं खाके आया हूँ, वह देखकर गया है, तुम लेकर के जाना। जैसा कि अभी कहा गया है, 'के', 'कर' 'करके' तीनों ही जोड़े जाते हैं, पर प्राय 'कर' जोड़ना ही अधिक शुद्ध समझा जाता है। 'कर' क्रिया के साथ 'कर' न जोड़कर 'के' जोड़ते हैं, जैसे—'काम करके जाना'।

७ अपूर्ण क्रिया द्योतक कृदन्त—वर्तमानकालिक कृदन्त (चलता, खाता, जाता) के 'ता' के स्थान पर 'ते' (चलते, खाते, जाते) कर देने से यह कृदन्त बनता है। इससे अपूर्ण क्रिया का द्योतन होने से यह नाम दिया गया है, जैसे—मैंने उसे चलते देखा, दूसरे का अन्न खाते तुम्हे शर्म नहीं आती, रात में जगल में जाते तुझे डर नहीं लगता। कभी-कभी अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त के साथ 'हुए' लगाकर भी कहते हैं, जैसे—रात में जगल में जाते हुए तुझे डर नहीं लगता।

८ तात्कालिक कृदन्त—अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त (चलते, खाते) में 'ही' जोड़ने से यह बनता है, जैसे—चलते ही, खाते ही, गिरते ही। वह गिरते ही मर गया। इसमें तत्काल का भाव होने से (गिरते ही) तात्कालिक कृदन्त कहते हैं।

९ मध्यकालिक कृदन्त—अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त (चलते, खाते, जाते) का दो बार प्रयोग मध्यकालिक कृदन्त हो जाता है। जैसे—चलते-चलते, खाते-खाते, जाते-जाते। 'चलते-चलते मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था', 'स्कूल जाते-जाते मैंने कविता याद कर ली'। यहाँ 'चलते-चलते' या 'जाते-जाते' का अर्थ है चलने या जाने के बीच में।

सामान्य काल, संयुक्त काल, मूरुण क्रिया, सहायक क्रिया,

विभिन्न कालों का प्रयोग करने में कभी तो हमारा काम एक शब्द से चल जाता है और कभी एक से अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ—'राम गया', 'तुम जाओगे', 'मैं चलूँ', 'वह जाता है', 'वह चलती थी', 'कृष्ण खाता होगा' ये छ वाक्य

लिये जा सकते हैं। इनमें प्रथम तीन में 'गया', 'जाओगे', 'चलूँ' क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, पर दूसरे तीन में 'जाता है', 'चलती थी', 'खाता होगा' का प्रयोग हुआ है। कहना न होगा कि प्रथम तीन में क्रिया में केवल एक-एक शब्द है। इस प्रकार एक शब्द से बने कालों को सामान्य काल कहते हैं। दूसरे तीन में एक से अधिक—यहाँ दो—शब्दों का प्रयोग है। अर्थात् काल के भाव को स्पष्ट करने के लिए एक से अधिक शब्दों के योग से क्रिया का निर्माण करना पड़ा है। चूंकि इस प्रकार की काल-रचना में एक से अधिक शब्द जोड़ने पड़ते हैं, अत ऐसे कालों को सयुक्त काल कहते हैं।

सयुक्त काल में दो क्रियाएँ होती हैं। ऊपर लिखे गए वाक्यों में 'जाता है', 'चलती थी', 'खाता होगा' में दो क्रियाएँ हैं। इनमें 'जाता', 'चलती', 'लाता' तो मुख्य क्रिया है, क्योंकि इनसे बने उपर्युक्त वाक्यों में इन्हीं के भावों पर ज़ोर है, और शेष 'है', 'थी' और 'होगा' का भावों से कोई सम्बन्ध नहीं। ये सहायक रूप में काल का बोध कराने के लिए प्रयुक्त हुई हैं, प्रतएव इन्हे सहायक क्रिया या सहकारी क्रिया कहते हैं। कभी मुख्य क्रिया के साथ एक से अधिक सहायक क्रियाएँ प्रयुक्त होती हैं, 'जैसे—'वह आ रहा है' में 'आ' मुख्य क्रिया है और रहा (रहना) और 'है' (होना) सहायक क्रिया। हिन्दी की मुख्य सहायक क्रियाएँ होना, आना, उठना, करना, चाहना, चुकना, जाना, डालना, देना, रहना, लगना, लेना, पाना, सकना, बनना, बैठना, चलना तथा पड़ना हैं। इनमें होना क्रिया का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसके रूप यहाँ दिये जा रहे हैं।

हो (होना) सहायक क्रिया के रूप

सामान्य वर्तमान

एक वचन

वहु वचन

१. उत्तम पुरुष

है

है

२. मध्यम पुरुष

है

हो

३. अन्य पुरुष

है

है

सामान्य भूत

पु०

स्त्री०

१. था

थे

थी

थी

२. था

थे

थी

थी

३. था

थे

थी

थी

सामान्य भविष्य

पु०

स्त्री०

१ होऊँगा, होवेगे,'

होऊँगी, होवेगी,'

हूँगा' होगे

हूँगी' होगी

२ होगा, होगे,

होगी, होगी,

होवेगा' होओगे'

होवेगी' होवोगी'

३ होगा, होगे,

होगी, होगी,

होवेगा' होवेगे'

होवेगी' होवेगी'

वर्तमान आज्ञार्थ या सम्भावनार्थ

१. हूँ या होऊँ

हो या होवे

२ हो या होवे

हो या होओ

आदरार्थ (आप)

हो या होइये या होवे या हूजिये'

३. हो या होवे

हो या होवे

१. इन रूपों का प्रयोग अब बहुत कम होता है।

भूत सम्भावनार्थ

पु०

- १ होता
- २ होता
- ३ होता

होते
होते
होते

स्त्री०

होती
होती
होती

भविष्य आज्ञार्थ

- | | | | |
|---------|------|---------|----------|
| २ (तू) | होना | (तुम) | होना |
| आदरार्थ | (आप) | होइएगा, | हूजिएगा। |

कुछ सहायक क्रियाओं के रूप

सहायक क्रियाएँ जब सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं तो अपना मूल अर्थ छोड़कर कुछ नया अर्थ देने लगती हैं। यहाँ प्रमुख सहायक क्रियाओं के सहायक रूप में कार्य करने पर गृहीत अर्थ दिये जा रहे हैं। इनमें केवल वे ही क्रियाएँ हैं जिनका अर्थ सहायक क्रिया होने पर बदल जाता है।

उठना—अचानकता (मुर्दा जी उठा, वह रो उठा, वह चिल्ला उठा)।

करना—अभ्यास (बारह बरस दिल्ली रहे पर भाड हो खोका किये)।

चलना—निश्चय (तुम भी चले चलो)।

चाहना—पूर्णता या समाप्ति (अब वह मरा चाहता है, बारह बजा चाहते हैं), कर्तव्य या आवश्यकता (मुझे जाना चाहिए)।

जाना—निरन्तरता (वह अब भी रोती जाती है), पूर्णता,

१ इसका प्रयोग कम होता है।

समाप्ति (घर जल गया) ।

डालना—समाप्ति (उसने काम कर डाला) ।

देना—अनुमति (मुझे भी बोलने दो), समाप्ति (मार दो, फेंक दो) ।

पड़ना—आकस्मिकता (वच्चा रो पड़ा), पराधीनता (तुम्हे भी जाना पड़ेगा) ।

पाना—अनुमति (क्या मैं भी बोलने पाऊँगा), सामर्थ्य (मैं कर पाता तो बताता) ।

बैठना—बल (वह मेरा सामान हड्डप बैठा), अचानकता (वह कह बैठा) ।

मारना—दूसरो के न चाहने पर या अचानक कर बैठना (इसी बीच उसने चिट्ठी लिख मारी) ।

रहना—लगातारता (वह पढ़ता रहा, मैं दौड़ता रहा) ।

लगना—आरम्भ (मैं स्कूल जाने लगा), असम्भववोधक (मैं क्यों उनसे बोलने लगूँ) ।

लेना—समाप्ति, पूर्णता (मैंने काम कर लिया) ।

संयुक्त क्रिया

ऊपर सामान्य काल और सयुक्त काल के प्रसंग में कहा जा चुका है कि जिस काल-रचना में एक से अधिक शब्द जोड़े जायें उसे सयुक्त काल कहते हैं। सयुक्त काल की क्रिया को ही सयुक्त क्रिया कहते हैं। ‘वह गया’ वाक्य में क्रिया ‘गया’ है, जो एक शब्द है, अत यह सयुक्त क्रिया नहीं है। पर ‘वह जा रहा है’ वाक्य में क्रिया ‘जा रहा है’, जिसमें तीन शब्द (जा, रहा,

रूपों का उपयोग करते हैं। कुदन्त का ‘-ता’ स्त्रीलिंग में ‘-ती’ और बहु वचन में ‘-ते’ हो जाता है।

पुलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मे चलता हूँगा या होऊँगा	हम चलते होगे
२	तू चलता होगा	तुम चलते होगे
३	वह चलता होगा	वे चलते होगे

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१.	मे चलती होऊँगी	हम चलती होगी
२.	तू चलती होगी	तुम चलती होगी
३.	वह चलती होगी	वे चलती होगी

इसका प्रयोग सम्भावना (भूत) के अर्थ में भी होता है, जैसे—‘वह जागता होगा, पर तुम्हारी आहट न मिलने के कारण न बोला होगा’। भविष्य के लिए भी इसका प्रयोग चलता है, जैसे—‘जब तुम पहुँचोगे वे जाती होगी’। इम प्रकार भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों के लिए यह प्रयुक्त होता है।

अपूर्ण वर्तमान—किया का वह रूप, जिससे ज्ञात होता है कि किया का व्यापार वर्तमान काल में हो रहा है, अभी पृथा नहीं हुआ है, जैसे—‘वह खा रहा है’। धातु में एक वचन के लिए ‘रहा’, बहु वचन के लिए ‘रहे’, तथा स्त्रीलिंग के लिए ‘रही’ जोड़कर ‘होना’ महायक किया के मामान्य वर्तमान के रूपों को जोड़ देते

हैं, जैसे—वह खा रहा है, वे खा रही है। रूपों की पूरी तालिका इस प्रकार है।

पुल्लिंग

एक वचन

- १ मैं चल रहा हूँ
- २ तू चल रहा है
३. वह चल रहा है

वहु वचन

- हम चल रहे हैं
- तुम चल रहे हो
- वे चल रहे हैं

स्त्रीलिंग

एक वचन

१. मैं चल रही हूँ
- २ तू चल रही है
- ३ वह चल रही है

वहु वचन

- हम चल रही हैं
- तुम चल रही हो
- वे चल रही हैं

अपूर्ण वर्तमान, का प्रयोग भविष्य के लिए भी होता है, जैसे—‘नेहरू जी अगली गर्मियों में यूरोप जा रहे हैं’, या ‘कल मैं बाहर जा रहा हूँ।’

वर्तमान आज्ञार्थ—क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में आज्ञा देने का वोध हो। जैसे—‘तुम पढो’। इसका प्रयोग प्रमुखत मध्यम पुरुष में होता है तथा उत्तम पुरुष में इससे आज्ञा का नहीं, वल्कि अनुमति का भाव निकलता है। जैसे—‘मैं करूँ’ (अर्थात् मैं करने की अनुमति चाहता हूँ)। अन्य पुरुष में दोनों ही भाव होते हैं। जैसे—‘वह करे’ (आज्ञा और अनुमति दोनों ही) में। इसे बनाने के लिए उत्तम पुरुष एक वचन में—ऊँ,

बहु वचन मे—एँ, मध्यम पुरुष एक वचन वहु वचन दोनो मे—ओ (कुछ लोग एकवचन मे केवल धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे—तू गा, तू आ, तू चल, तू दे आदि)। मध्यम पुरुष आदरार्थ मे दोनो वचनो मे—‘इए’, अन्य पुरुष मे एक वचन मे—‘ए’ और बहु वचन मे—‘एँ’ जोड़ते हैं। लिंग के कारण इसके रूपो मे अन्तर नहीं पड़ता। आदरार्थ रूपो में कुछ धातुओ के रूप—‘जिये’ लगाकर तथा धातु मे कुछ परिवर्तन करके भी बनाए जाते हैं। जैसे—करना से कीजिए, देना से दीजिए, पीना से पीजिए, होना हूजिए, लेना से लीजिए।

पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग

	एक वचन		बहु वचन
१	मे चलूँ		हम चले
२	तू चल, या चलो, चले		तुम चलो
	आदरार्थ आप चलिये		आप चलिये
३	वह चले		वे चले

कुछ धातुओ के रूपो को असामान्य ढग से बनाना पड़ता है, जैसे—‘देना’ क्रिया के रूप बनाने मे ऊँ,-एँ,-ए आदि को ‘दे’ मे न जोड़कर ‘द’ मे जोड़ना पड़ता है। दूँ, दे, दे आदि।

सम्भाव्य वर्तमान—इसमे किसी क्रिया के वर्तमान काल मे लगातार होते रहने की सभावना का भाव रहता है। वह चलता हो, अगर वह दीखता हो तो उसे मारो। इसके लिए धातु के वर्तमानकालिक कृदन्त के बाद ‘होना’ सहायक क्रिया के वर्तमान आज्ञार्थ के रूप रखे जाते हैं।

पुर्लिंग

एक वचन

- १ मैं चलता हूँ या होऊँ
- २ तू चलता हो या होवे
३. आप चलते हो या होवें
४. वह चलता हो या होवे

वहु वचन

- हम चलते हो या होवें
 तुम चलते हो या होओ
 वही
 वे चलते हो या होवें

स्त्रीर्लिंग

एक वचन

- १ मैं चलती हूँ या होऊँ
- २: तू चलती हो या होवे
- आप चलती हो या होवें
- ३ वह दीखती हो या होवे

वहु वचन

- हम चलती हो या होवें
 तुम चलती हो या होओ
 वही
 वे दीखती हो या होवें

सामान्य भूत—भूत काल में कार्य होने का वोघ होता है, पर यह पता नहीं चलता कि कार्य हुए थोड़ी देर हुई या अधिक, जैसे—मैंने पत्र लिखा।

सामान्य भूत के लिए धातु के भूतकालिक कृदन्त (जिसके अन्त में ‘-आ’ या ‘-या’ होता है) का प्रयोग होता है। वहु वचन के लिए अन्तिम ‘-आ’ का ‘-ए’ और स्त्रीर्लिंग एक वचन के लिए ‘-ई’ तथा वहु वचन के लिए ‘-ई’ हो जाता है।

पुर्लिंग

एक वचन

- १ मैं चला
- २ तू चला

वहु वचन

- हम चले
 तुम चले

३ वह चला

वे चले

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मैं चली	हम चली, हम चले
२	तू चली	तुम चली
३	वह चली	वे चली

इस काल का प्रयोग भविष्य के लिए भी होता है, जैसे—‘यदि मैं गया तो आपका सामान ला दूँगा’ यहाँ ‘गया’ का अर्थ ‘जाऊँगा’ है। ‘तू चला और मैंने मारा’ या ‘भाई यह मेरे चला’ मे भी भविष्य का ही भाव है।

इस काल की क्रिया के रूपों मे कुछ और विशेषताएँ स्मरणीय हैं।

(क) यदि क्रिया अकर्मक होगी तो वह कर्ता के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होगी, जैसे—राम गया, राम और मोहन गये, सीता गई।

(ख) यदि क्रिया सकर्मक होगी तो वह कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार होगी, जैसे—राम (या सीता) ने रोटी ई, राम (या सीता) ने आम तोड़ा, राम (या सीता) ने रोटियाँ खाई, राम (या सीता) ने बहुत-से आम तोड़े, मैंने, हमने, तूने, तुमने, उसने या उन्होंने पेड़ गिने।

(ग) क्रिया सकर्मक हो, कितू यदि कर्म के बाद कर्म का कारक-चिह्न ‘को’ लगा हो (या यदि कारक-चिह्न-रहित सर्व-

नाम कर्म हो) तो क्रिया सर्वदा एक वचन पुल्लिग होगी, जैसे—मैंने गदहे को देखा, मैंने गदहो को देखा, सीता ने गदहो को देखा, राम ने गदहो को देखा, मैंने हाथियों को देखा, मैंने हथिनियों को देखा, मैंने उसे देखा, हमने उसे देखा, मैंने उन्हे देखा, हमने उन्हे देखा, राम ने उसे देखा, सीता ने उन्हे देखा, इत्यादि।

आसन्नभूत—क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि क्रिया का व्यापार भूत काल में शुरू होकर अभी, वर्तमान और भूत की सन्धि पर, या कुछ समय पूर्व समाप्त हुआ है, जैसे—‘मैंने खाना खाया है’। इस काल का प्रयोग कभी-कभी सुदूर भूत के लिए भी होता है, जैसे—‘मैंने पिछले महीने (या पिछले वर्ष) ही यूरोप की यात्रा की है।’ पर ऐसे स्थलों पर ‘कुछ ही दिन पूर्व’ या आसन्नता का भाव निहित रहता है। इसका बहुत दूरवर्ती भूत के लिए भी प्रयोग होता है, जैसे—‘शेक्सपीयर ने बहुत से नाटक लिखे हैं।’ सामान्य प्रयोग में कार्य की समाप्ति पर जोर देने के लिए ‘लेना’ या ‘चुकना’ सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, जैसे—‘मैंने खा लिया है’ या ‘मैं खा चुका हूँ’।

आसन्न भूत के लिए धातु के भूतकालिक कृदन्त के रूपों को ‘हो’ सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूपों के साथ जोड़ते हैं।

अकर्मक

पुल्लिग

एक वचन

बहु वचन

१ मैं चला हूँ

हम चले हैं

२	तू चला है	तुम चले हो
३	वह चला है	वे चले हे
स्त्रीलिंग		
	एक वचन	वहु वचन
१	मे चली हूँ	हम चली (या चले) हैं
२.	तू चली है	तुम चली हो
३.	वह चली है	वे चली है

सकर्मक

पुर्लिंग

	एक वचन	वहु वचन
१.	मेरे (काम) किया है	हमने (काम) किया है
२	तूने (काम) किया है	तुमने (काम) किया है
३	उसने (काम) किया है	उन्होने (काम) किया है

स्त्रीलिंग

	एक वचन	वहु वचन
१	मेरे (काम) किया है	हमने (काम) किया है
२	तूने (काम) किया है	तुमने (काम) किया है
३	उसने (काम) किया है	उन्होने (काम) किया है

सामान्य भूत की तरह आमन्नभूत की क्रिया का स्पष्ट वर्णन में भी कुछ घातों का ध्यान आवश्यक है—

(क) यदि क्रिया सकर्मक हो तो कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुमार उसका स्पष्ट होगा, जैसे—‘मेरे आम खाया

है', 'मैंने बहुत-से आम खाए हैं', 'मैंने रोटी खाई है', 'सीता ने आम खाया है', 'राम ने रोटी खाई है।' 'मैंने, हमने, तूने, तुमने, उसने या उन्होने रोटी खाई है।'

(ख) यदि क्रिया अकर्मक हो तो कर्ता के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार उसका रूप होगा; जैसे—मैं चला हूँ, हम चले हैं, राम चला है, सीता चली है, लड़कियां चली हैं, वह चला है, वे चले हैं।

(ग) यदि क्रिया सकर्मक हो और कर्म के बाद कारक-चिह्न 'को' लगा हो या कारक-चिह्न रहित सर्वनाम कर्म (उसे, उन्हें) हो तो क्रिया एक वचन पुर्लिंग की होगी, जैसे—मैंने गदहो को देखा है, मैंने गदहो को देखा है, सीता ने गदहो को देखा है, राम ने गदहो को देखा है, मैंने हाथियों को देखा है, मैंने हाथिनियों को देखा है, मैंने उसे देखा है, हमने उसे देखा है, मैंने उन्हें देखा है, हमने उन्हें देखा है, राम ने उसे देखा है, सीता ने उन्हें देखा है इत्यादि।

पूर्ण भूत—क्रिया का वह रूप है, जिससे ज्ञात होता है कि कार्य को पूरा हुए कुछ समय बीत गया; जैसे—वह आया था। इसके लिए धातु के भूतकालिक कृदन्त (जिसके अन्त में 'आ' या '-या' हो) को 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य भूत के रूप से जोड़ देते हैं, जैसे—वह आया था। पुर्लिंग वह वचन के लिए आया और या के 'आ' को 'ए' और स्त्रीलिंग एक वचन के लिए 'ई' और स्त्रीलिंग वह वचन के लिए कृदन्त के 'आ' को 'ई' और सहायक क्रिया के 'आ' को 'ई' कर देते हैं।

हिन्दी भाषा का सरल व्याकरण

ग्रकर्मक

पुलिंग

एक वचन	बहु वचन
मैं चला था	हम चले थे
तू चला था	तुम चले थे
वह चला था	वे चले थे

स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मैं चली थी	हम चली थी
तू चली थी	तुम चली थी
वह चली थी	वे चली थी

सकर्मक

पुलिंग

एक वचन	बहु वचन
मैंने (काम) किया था	हमने (काम) किया था
तूने (काम) किया था	तुमने (काम) किया था
उसने (काम) किया था	उन्होने (काम) किया था

स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मैंने (काम) किया था	हमने (काम) किया था
तूने (काम) किया था	तुमने (काम) किया था
उसने (काम) किया था	उन्होने (काम) किया था

अकर्मक, सकर्मक तथा कर्म का चिह्न 'को' या कर्म-विभक्ति-रहित सर्वनाम (उसे, उन्हे) के साथ, पूर्णभूत की क्रिया बनाने में भी उन्हीं वातों का ध्यान रखना चाहिए जो सामान्य भूत और आसन्न भूत के सम्बन्ध में पीछे कही जा चुकी है। कुछ उदाहरण हैं—मैंने आम खाया है, मैंने बहुत-से आम खाए थे, सीता ने आम खाया है, सीता ने रोटी खाई है, राम ने आम खाया है, राम ने रोटी खाई है, मैं चला था, हम चले थे, सीता चली थी, राम और मोहन चले थे, मैंने गदहे को देखा था, मैंने गदहो को देखा था, सीता ने गदहो को देखा था, राम ने गदहो को देखा था, इत्यादि ।

पूर्णता पर अधिक बल देने के लिए था, थी, थे आदि सहायक क्रिया के अतिरिक्त 'लेना' या 'चुकना' सहायक क्रिया का भूतकालिक कृदन्त और उसके पूर्व मुख्य क्रिया की धातु का प्रयोग भी करते हैं, जैसे—मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था ।

अपूर्ण भूत—क्रिया का वह रूप है, जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में आरम्भ हुई, पर बोलने या लिखने वाले का जिस समय की ओर सकेत है, उस समय तक समाप्त नहीं हुई, जैसे—'वह आता था' या 'वह आ रहा था' । 'वह आता था' जैसे रूपों में, जिसमें '-ता था' होता है, कभी-कभी आदत या अभ्यास का भी आभास मिलता है। अर्थात् उसकी आने की आदत थी पर '-रहा था' वाले रूपों में कार्य की अपूर्णता और होते रहने के भाव का ही संकेत है ।

इसके बनाने के लिए '-ता था' वाले रूपों के लिए वातु के वर्तमानकालिक कृदन्त (आता, जाता) तथा 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य भूत के रूपों का सहारा लेते हैं। 'रहा था' रूपों के लिए अपूर्ण वर्तमान के रूपों में 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूपों (हूँ, है आदि) के स्थान पर सामान्य भूत के रूप (था, थे आदि) लगा देते हैं।

पुलिंग

	एक वचन	वहु वचन
१	मैं चलता था	हम चलते थे
	मैं चल रहा था	हम चल रहे थे
२.	तू चलता था	तुम चलते थे
	तू चल रहा था	तुम चल रहे थे
३	वह चलता था	वे चलते थे
	वह चल रहा था	वे चल रहे थे

स्त्रीलिंग

	एक वचन	वहु वचन
१	मैं चलती थी	हम चलती थी
	मैं चल रही थी	हम चल रही थी
२.	तू चलती थी	हम चलती थी
	तू चल रही थी	हम चल रही थी
३	वह चलती थी	वे चलती थी
	वह चल रही थी	वे चल रही थी

'ता था' और 'रहा था' में भाव का एक सूक्ष्म भेद भी किया जा सकता है, जैसे—'मैं चलता था' अर्थात् म चलने को तैयार था, पर 'मैं चल रहा था' अर्थात् सचमुच मैं चल रहा था।

सदिग्ध भूत—क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के व्यापार के भूतकाल में होने का सन्देह या अनिश्चय के साथ उल्लेख हो, जैसे—वह आया होगा। इसका प्रयोग भूतकाल की सम्भावना के लिए भी होता है, जैसे—जब आप सोये होगे चारह बजता होगा या दो-चार दिन बाद वह मर गया होगा। इसे बनाने के लिए धातु के भूतकालिक कृदन्त के रूप को 'होना' सहायक क्रिया के सामान्य वर्तमान के रूप के साथ रख देते हैं।

अकर्मक

पुर्लिङ

एक वचन

- १ मैं चला हूँगा या होऊँगा
- २ तू चला होगा या होवेगा
- ३ वह चला होगा या होवेगा

बहु वचन

- हम चले होगे या होवेगे
- तुम चले होगे या होओगे
- वे चले होगे या होवेंगे

स्त्रीलिंग

एक वचन

- १ मैं चली हूँगी या होऊँगी
- २ तू चली होगी या होवेगी
- ३ वह चली होगी या होवेगी

बहु वचन

- हम चली होगी या होवेंगी
- तुम चली होगी या होओगी
- वे चली होगी या होवेंगी

सकर्मक

पुर्तिलग

एक वचन

बहु वचन

१	मैंने (काम) किया होगा	हमने (काम) किया होगा
२	तूने „ „ „	तुमने „ „ „
३	उसने „ „ „	उन्होने „ „ „

सत्रीलिंग

एक वचन

बहु वचन

१	मैंने (काम) किया होगा	हमने (काम) किया होगा
२	तूने „ „ „	तुमने „ „ „
३	उसने „ „ „	उन्होने „ „ „

सामान्य भूत, आसन्न भूत और पूर्ण भूत की भाँति ही सदिग्ध भूत के रूप भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया होने पर उसी रूप में अनुशासित होते हैं। अर्थात् अकर्मक क्रिया कर्ता के अनुसार, सकर्मक (विना कर्म-चिह्न के) कर्म के अनुसार, और कर्म-चिह्न युक्त कर्म या कर्म-चिह्न-वियुक्त सर्वनाम (उसे, उन्हे) होने पर सकर्मक एक वचन पुर्तिलग होगी, जैसे—राम चला होगा, सीता चली होगो, वे चले हाँगे, राम ने आम खाया होगा, राम ने रोटी खाई होगी, सीता ने आम खाया होगा, सीता ने रोटी खाई होगी, राम ने गदहो को देखा होगा, सीता ने गदहो को देखा होगा, तुमने उसे देखा होगा, तुम लोगो ने उन्हे देखा होगा, आदि।

हेतुहेतुमद्भूत—क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में होने वाला था, किंतु हुआ नहीं, जैसे—‘मैं आता’, ‘मैं आता तो बतलाता’। इसके लिए धातु के वर्तमान-कालिक कृदन्त का प्रयोग होता है। इसमें केवल लिंग और वचन के कारण रूपान्तर होता है, पुरुष के कारण नहीं। उत्तम-पुरुष स्त्रीलिंग वह वचन में पुर्लिंग की क्रिया का भी प्रयोग होता है। क्रिया अकर्मक हो या सकर्मक, कर्ता के अनुसार होती है।

पुर्लिंग

	एक वचन	वह वचन
१.	मैं चलता	हम चलते
२	तू चलता	तुम चलते
३	वह चलता	वे चलते

स्त्रीलिंग

	एक वचन	वह वचन
१.	मैं चलती	हम चलती
२	तू चलती	तुम चलती
३	वह चलती	वे चलती

पूर्ण सकेतार्थ—लगभग हेतुहेतुमद्भूत के अर्थ में ही पूर्ण भूत सम्भावनार्थ का भी प्रयोग होता है। इसके लिए ‘होना’ सहायक क्रिया के भूत सभावनार्थ के पूर्व मुख्य क्रिया के भूत-कालिक कृदन्त जोड़ देते हैं, जैसे—मैं चला होता तो बतलाता।

अकर्मक

पुलिंग

	एक वचन	वहु वचन
१	मे चला होता	हम चले होते
२	तू चला होता	तुम चले होते
३	वह चला होता	वे चले होते

स्त्रीलिंग

	एक वचन	वहु वचन
१	मै चली होती	हम चली होती
२	तू चली होती	तुम चली होती
३.	वह चली होती	वे चली होती

पीछे के कुछ अन्य कालों की तरह इसमें भी सकर्मक क्रिया के पुरुष, लिंग, वचन कर्म के अनुसार (जैसे—मैंने रोटी खाई होती, मैंने आम खाया होता, मैंने ये काम किये होते आदि) तथा अकर्मक के कर्ता के अनुसार (जैसे ऊपर के उदाहरण) होते हैं। यदि कर्म का चिह्न ‘को’ आए या चिह्न-विहीन कर्म सर्वनाम (उसे, उन्हे) का प्रयोग हो तो सकर्मक क्रिया पुलिंग एक वचन होती है; जैसे—मैंने औरत को देखा होता, मैंने कुत्ते को देखा होता और मैंने उसे देखा होता आदि।

सकर्मक

पुलिंग

	एक वचन	वहु वचन
१	मैंने (काम) किया होता	हमने (काम) किया होता

२ तूने (काम) किया होता तुमने (काम) किया होता
 ३ उसने (काम) किया होता उन्होने (काम) किया होता

स्त्रीलिंग

एक वचन

वहु वचन

मैंने (काम) किया होता हमने (काम) किया होता
 तूने (काम) किया होता तुमने (काम) किया होता
 उसने (काम) किया होता उन्होने (काम) किया होता

अपूर्ण संकेतार्थ—इसमें किसी क्रिया के भूत काल में होते रहने की सम्भावना का भाव रहता है ; जैसे—वह चलता होता, अगर मैं वह दृश्य देखता होता तो वतलाता । इसके लिए वातु के वर्तमानकालिक कृदन्त के बाद 'होना' सहायक क्रिया के भूत सम्भावनार्थ का रूप रखा जाता है ।

पुलिंग

एक वचन

वहु वचन

१ मैं चलता होता
 २ तू चलता होता
 ३ वह चलता होता

हम चलते होते
 तुम चलते होते
 वे चलते होते

स्त्रीलिंग

एक वचन

वहु वचन

मैं चलती होती
 तू चलती होती
 वह चलती होती

हम चलती होती
 तुम चलती होती
 वे चलती होती

अकर्मक

पुलिंग

	एक वचन	वहु वचन
१	मैं चला होता	हम चले होते
२	तू चला होता	तुम चले होते
३	वह चला होता	वे चले होते

स्त्रीलिंग

	एक वचन	वहु वचन
१	मैं चली होती	हम चली होती
२	तू चली होती	तुम चली होती
३.	वह चली होती	वे चली होती

पीछे के कुछ अन्य कालों की तरह इसमें भी सकर्मक क्रिया के पुरुष, लिंग, वचन कर्म के अनुसार (जैसे—मैंने रोटी खाई होती, मैंने आम खाया होता, मैंने ये काम किये होते आदि) तथा अकर्मक के कर्ता के अनुसार (जैसे ऊपर के उदाहरण) होते हैं। यदि कर्म का चिह्न ‘को’ आए या चिह्न-विहीन कर्म सर्वनाम (उसे, उन्हें) का प्रयोग हो तो सकर्मक क्रिया पुलिंग एक वचन होती है, जैसे—मैंने औरत को देखा होता, मैंने कुत्ते को देखा होता और मैंने उसे देखा होता आदि।

सकर्मक

पुलिंग

	एक वचन	वहु वचन
१	मैंने (काम) किया होता	हमने (काम) किया होता

२. तूने (काम) किया होता तुमने (काम) किया होता
 ३ उसने (काम) किया होता उन्होने (काम) किया होता

स्त्रीलिंग

एक वचन

वहु वचन

मैंने (काम) किया होता हमने (काम) किया होता
 तूने (काम) किया होता तुमने (काम) किया होता
 उसने (काम) किया होता उन्होने (काम) किया होता

अपूर्ण संकेतार्थ—इसमें किसी क्रिया के भूत काल में होते रहने की सम्भावना का भाव रहता है, जैसे—वह चलता होता, अगर मैं वह दृश्य देखता होता तो बतलाता। इसके लिए धातु के वसंमानकालिक कृदन्त के बाद 'होना' सहायक क्रिया के भूत सम्भावनार्थ का रूप रखा जाता है।

पुर्लिंग

एक वचन

वहु वचन

मैं चलता होता हम चलते होते
 तू चलता होता तुम चलते होते
 वह चलता होता वे चलते होते

स्त्रीलिंग

एक वचन

वहु वचन

मैं चलती होती हम चलती होतीं
 तू चलती होती तुम चलती होती
 वह चलती होती वे चलती होती

सम्भाव्य भूत——इसका प्रयोग ऐसे व्यापार के लिए होता है जिसके भूतकाल में होने की सम्भावना हो, जैसे—मैं हँसा होऊँ, यदि मैं उस दिन हँसा होऊँ तो आप मुझे जो चाहे करे। इसके बनाने के लिए धातु के भूतकालिक कृदन्त के साथ ‘होना’ सहायक क्रिया के वर्तमान आज्ञार्थ के रूपों को जोड़ते हैं।

अकर्मक

पुर्णिलग

एक वचन

बहु वचन

१	मैं चला हूँ या होऊँ	हम चले हो या होवे
२	तू चला हो या होवे	तुम चले हो या होओ
	(आदरार्थ) आप चले हो या होवे वही	
३	वह चलता हो या होवे	वे चले हो या होवे

स्त्रीलिंग

एक वचन

बहु वचन

१.	मैं चली हूँ या होऊँ	हम चली हो या होवे
२	तू चली हो या होवे	तुम चली हो या होओ
	(आदरार्थ) आप चली हो या होवे वही	
३.	वह चली हो या होवे	वे चली हो या होवे

अकर्मक और सकर्मक का जो ध्यान सामान्य भूत, आसन्न भूत तथा पूर्ण भूत के रूप बनाने में रखा जाता है, वही यहाँ भी अपेक्षित है। प्रयोग के कुछ उदाहरण हैं—यदि मैंने आम खाया हो, यदि मैंने बहुत-से आम खाए हो, यदि सीता ने आम खाया हो, यदि सीता ने रोटी खाई हो, यदि मैं हँसा हूँ, यदि सीता

हँसी हो, यदि वे हँसे हो, यदि मैंने गदहे को देखा हो, यदि सीता ने गदहे को देखा हो, यदि उन लोगों ने गदहे को देखा हो, यदि मैंने उसे मारा हो, इत्यादि ।

सकर्मक

पुर्णिलग

एक वचन

- १ मैंने (काम) किया हो
- २ तूने (काम) किया हो
३. उसने (काम) किया हो

बहु वचन

- हमने (काम) किया हो
- तुमने (काम) किया हो
- उन्होने (काम) किया हो

स्त्रीलिंग

एक वचन

- मैंने (काम) किया हो
- तूने (काम) किया हो
- उसने (काम) किया हो

बहु वचन

- हमने (काम) किया हो
- तुमने (काम) किया हो
- उन्होने (काम) किया हो

सामान्य भविष्य—जिससे क्रिया के व्यापार का आने वाले काल में होना ज्ञात हो । जैसे—मै जाऊँगा । इसके लिए धातु में निम्नाकित रूप जोड़े जाते हैं—

पुर्णिलग

एक वचन

- १ —ऊँगा
- (मै चलूँगा)

बहु वचन

- ऐँगे
- (हम चलेंगे)

२	-एगा (तू चलेगा)	-ओगे (तुम चलोगे)
३	-एगा (वह चलेगा)	-एँगे (वे चलेगे)

स्त्रीलिंग

एक वचन	वहु वचन
—ऊँगी (मैं चलूँगी)	—एँगी या एँगे (हम चलेगी या चलेगे)
—एगी (तू चलेगी)	—ओगी (तुम चलोगी)
—एगी (वह चलेगी)	—एँगी (वे चलेगी)

अकर्मक या सकर्मक के कारण सामान्य भविष्य के क्रियारूपों में कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

सम्भाव्य भविष्य—इसमें भविष्य में व्यापार होने की सम्भावना (कभी-कभी उसकी कामना या अनुमति भी)-मात्र रहती है। उसके होने या न होने का निश्चय नहीं रहता। जैसे—मैं उन्हें मारूँ तो तुम भी मारना, या, वे तुम्हें दे तो तुम भी दे देना, आदि। इसके रूप लगभग वर्तमान आज्ञार्थ से होते हैं। लिंग के कारण रूपों में कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

एक वचन	वहु वचन
१ मैं चलूँ (—ऊँ)	हम चले (—एँ)
२ तू चते (—ए)	तुम चलो (—ओ)

३. वह चले (-ए) वे चलें (-एं)

मध्यम पुरुष एक वचन में आज्ञार्थ 'चल' या 'चलो' रूप चलता है।

भविष्य आज्ञार्थ—इसमें भविष्य में कुछ करने की आज्ञा रहती है। वर्तमान आज्ञार्थ और इसमें अन्तर यह है कि उसमें तुरन्त करने की आज्ञा (चलो, बैठो, सोओ आदि) होती है, पर इसमें वाद मे करने की। जैसे—खाना (कल दवा खाना)। इसके केवल मध्यम पुरुष के ही रूप होते हैं। इसे बनाने के लिए सामान्य अर्थ में धातु मे-'ना' जोड़ते हैं या सामान्य अर्थ में जिसे क्रिया या धातु कहते हैं (ना सहित), उसे प्रयुक्त करते हैं, जैसे—खाना, जाना, पीना, और आदरार्थ में धातु (ना विहीन) मे—इएगा जोड़ते हैं जैसे—'आप चलिएगा'। पीछे वर्तमान आज्ञार्थ में करना, देना, लेना, पीना, होना आदि के 'ज' वाले रूप दिये गए हैं। उन धातुओं के रूपों में केवल '-गा' जोड़ देने से भविष्य आज्ञार्थ के रूप बन जाते हैं। जैसे—आप कीजिएगा, आप दीजिएगा आदि।

कालों के नाम तथा उदाहरण

पुस्तक मे प्रयुक्त नाम	अन्य नाम	उदाहरण
१ सामान्य वर्तमान	अपूर्ण वर्तमान निश्चयार्थ, घटमान वर्तनान	मे चलता है।
२ सन्दिग्ध वर्तमान	अपूर्ण भविष्य निश्चयार्थ, घटमान भविष्य	मे चलता हूँगा।

३ अपूर्ण वर्तमान		मे चल रहा हूँ ।
४ वर्तमान आज्ञार्थ	प्रत्यक्ष विधि, विधि	तु म चलो ।
५. सम्भाव्य वर्तमान	अपूर्ण वर्तमान सम्भावनार्थ	मे चलता होऊँ ।
६ सामान्य भूत	सामान्य भूत निश्चयार्थ, साधारण अतीत, नित्य अतीत	मे चला, मेने किया ।
७ आसन्न भूत	पूर्ण वर्तमान निश्चयार्थ	मे चला हूँ, मेने किया है ।
८ पूर्ण भूत	पूर्ण भूत निश्चयार्थ	मे चला था ।
९ अपूर्ण भूत	भूत अपूर्ण निश्चयार्थ, घटमान भूत	मे चलता था, मे चल रहा था ।
१०. सन्दर्भ भूत	पूर्ण भविष्य निश्चयार्थ	मे चला हूँगा ।
११ हेतुहेतुमद् भूत	सामान्य सकेतार्थ, भूत सम्भावनार्थ, सामान्य भूत सम्भावनार्थ, कारणात्मक अतीत	मे चलता ।

१२. पूर्ण सकेतार्थ	पूर्ण भूत सम्भावनार्थ	मैं चला होता।
१३ अपूर्ण सकेतार्थ	अपूर्ण भूत सम्भावनार्थ	मैं चलता होता।
१४ सम्भाव्य भूत	पूर्ण वर्तमान सम्भावनार्थ	मैं चला हूँ या होऊँ मैंने किया हो।
१५ सामान्य भविष्य	सामान्य भविष्य निश्चयार्थ	मैं चलूँगा।
१६ सम्भाव्य भविष्य	सामान्य वर्तमान निश्चयार्थ	मैं चलूँ।
१७ भविष्य आज्ञार्थ	परोक्ष विधि, सामान्य भविष्य आज्ञार्थ	तुम चलना।

कर्मवाच्य

कर्तृवाच्य की अपेक्षा कर्मवाच्य का प्रयोग हिन्दी मे कम होता है। जैसा कि पीछे सकेत किया जा चुका है। जब कर्म की मुख्यता दिखानी हो, कर्ता के कहने की आवश्यकता न हो या कर्ता जात न हो तो कर्मवाच्य का प्रयोग करते हैं।

'कर्मवाच्य' का प्रयोग केवल सकर्मक क्रिया के साथ होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्ता को करण कारक में और कर्म को कर्ता कारक में रखकर मुख्य क्रिया के भूतकालिक कृदन्त को 'जाना' धातु के रूपों के साथ जोड़ देते हैं। यदि सहायक क्रिया भी हो तो वह नये कर्ता (कर्तृवाच्य के कर्म) के अनुकूल हो जाती है। कर्तृवाच्य—वह रोटी खायेगी,

राम ने रावण को मारा, मैं तुमको मारता हूँ। कर्मवाच्य—रोटी उससे खाई जायगी, रावण राम द्वारा मारा गया, तुम मुझसे मारे जाते हो।

नीचे विभिन्न कालों में 'मारना' किया के कर्मवाच्य के रूप दिए जा रहे हैं।

(१) सामान्य वर्तमान

पुलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा जाता हूँ	मारे जाते हैं
२	मारा जाता है	मारे जाते हां
३	मारा जाता है	मारे जाते हैं

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
	मारी जाती हूँ	मारी जाती हैं
	मारी जाती है	मारी जाती हो
	मारी जाती है	मारी जातो है

(२) सन्दिग्ध वर्तमान

पुलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा जाता हूँगा	मारे जाते होगे
२	मारा जाता होगा	मारे जाते होगे
३	मारा जाता होगा	मारे जाते होगे

क्रिया

स्त्रीलिंग

एक वचन
मारी जाती होंगी
मारी जाती होगी
मारी जाती होगी

वहु वचन
मारी जाती होगी
मारी जाती होगी
मारी जाती होगी

(३) अपूर्ण वर्तमान

पुल्लिंग

एक वचन
१ मारा जा रहा है
२ मारा जा रहा है
३ मारा जा रहा है

वहु वचन
मारे जा रहे हैं
मारे जा रहे हो
मारे जा रहे हैं

स्त्रीलिंग

एक वचन
मारी जा रही है
मारी जा रही है
मारी जा रही है

वहु वचन
मारी जा रही है
मारी जा रही हो
मारी जा रही है

(४) वर्तमान आज्ञार्थ

पुल्लिंग

एक वचन
१ मारा जाऊँ
२ „ जाए (जा)
(आदरार्थ) मारे जाइए
३ मारा जाए

वहु वचन
मरे जायें
„ जाओ
वही
मारे जायें

स्त्रीलिंग

एक वचन	बहु वचन
मारी जाऊँ	मारी जायेँ
,, जाए (जा)	,, जाओ
मारी जाइए	वही
,, जाय	मारी जायेँ

(५) सम्भाव्य वर्तमान

पुलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा जाता होऊँ (हूँ)	मारे जाते होवे (हो)
२	मारा जाता होवे (हो)	मारे जाते होओ (हो)
	(श्रादरार्थ) मारे जाते होइए (हो)	वही
३	मारा जाता होवे (हो)	मारे जाते होवे (हो)

स्त्रीलिंग

	एक वचन	बहु वचन
	मारी जाती होऊँ (हूँ)	मारी जाती होवे (हो)
	मारी जाती होवे (हो)	मारी जाती होओ (हो)
	मारी जाती होइए (हो)	वही
	मारी जाती होवे (हो)	मारी जाती होवे (हो)

(६) सामान्य भूत

पुलिंग

	एक वचन	बहु वचन
१	मारा गया	मारे गए

२० मारा गया

मारे गए

३ " "

" "

स्त्रीलिंग

एक वचन

वहु वचन

मारी गई

मारी गई, मारे गए

" "

" "

" "

" "

(७) आसन्न भूत

पुर्लिंग

एक वचन

वहु वचन

१० मारा गया है

मारे गए है

२ " " है

" " हो

३ " " "

" " है

स्त्रीलिंग

एक वचन

वहु वचन

मारी गई है

मारी गई है

" " है

" " हो

" " "

" " है

(८) पूर्णभूत

पुर्लिंग

१ मारा गया था

मारे गए थे

२ " " "

" " "

३ " " "

" " "

स्त्रीलिंग

एक वचन	वहु वचन
मारी गई थी	मारी गई थी
	(मारे जाते थे)
" "	" "
" "	" "

(६) अपूर्ण भूत

पुलिंग

एक वचन	वहु वचन
१ मारा जाता था	मारे जाते थे
२ " "	" "
३ " "	" "
	तथा
१ मारा जा रहा था	मारे जा रहे थे
२ मारा जा रहा था	मारे जा रहे थे
३ मारा जा रहा था	मारे जा रहे थे

स्त्रीलिंग

एक वचन	वहु वचन
मारी जाती थी	मारी जाती थी
	(मारे जाते थे)
" "	" "
" "	" "

तथा

मारी जा रही थी
मारी जा रही थी
मारी जा रही थी

मारी जा रही थी
मारी जा रही थी
मारी जा रही थी

(१०) सन्दर्भभूत

पुर्लिंग

एक वचन

- १ मारा गया हूँगा
२ " " होगा
३. " " "

वहु वचन

- मारे गये होगे
" " होगे
" " होगे

स्त्रीलिंग

एक वचन

- मारी गई हूँगी
" " होगी
" " "

वहु वचन

- मारी गई होगी
" " होगी
" " होगी

(११) हेतुहेतुभद्र भूत

पुर्लिंग

एक वचन

- १ मारा जाता
२ " "
३. " "

वहु वचन

- मारे जाते
" "
" "

स्त्रीलिंग

एक वचन		बहु वचन
मारी जाती		मारी जाती
.		(मारे जाते)
" "		" "
" "		" "

(१२) पूर्ण संकेतार्थ

पुलिंग

१	एक वचन	बहु वचन
	मारा गया होता	मारे गए होते
२.	" "	" "
३	" "	" "

स्त्रीलिंग

एक वचन		बहु वचन
मारी गई होती		मारी गई होती
		(मारे गए होते)
" "		" "
" "		" "

(१३) अपूर्ण संकेतार्थ

पुलिंग

एक वचन		बहु वचन
मारा जाता होता		मारे जाते होते

२	मारा गया होता	मारे गए होते
३.	" "	" "
स्त्रीलिंग		
	एक वचन	वहु वचन
	मारी जाती होती	मारी जाती होती (मारे जाते होते)
"	"	" "
"	"	" "

(१४) सम्भाव्य मूल

पुर्लिंग

	एक वचन	वहु वचन
१.	मारा गया होऊँ या हूँ	मारे गए होवें या हो
२	मारा गया होवे या हो	मारे गए होओ या हो
३.	" " " "	" " होवें या हों

स्त्रीलिंग

	एक वचन	वहु वचन
१.	मारी गई होऊँ या हूँ	मारी गई होवें या हों
२	" " होवे या हो	" " होओ या हो
३.	" " " "	" " होवें या हो

(१५) सामान्य भविष्य

पुर्लिंग

	एक वचन	वहु वचन
१	मारा जाऊँगा	मारे जायेंगे

- ३ अपूर्ण वर्तमान—रहा जा रहा है ।
- ४ वर्तमान आज्ञार्थ—रहा जाए ।
५. सम्भाव्य वर्तमान—रहा जाता होवे ।
६. सामान्य भूत—रहा गया ।
- ७ आसन्न भूत—रहा गया है ।
- ८ पूर्ण भूत—रहा गया था ।
- ९ अपूर्ण भूत—रहा जाता था, रहा जा रहा था ।
- १० सन्दिग्ध भूत—रहा गया होगा ।
- ११ हेतुहेतुमद्भूत—रहा जाता ।
- १२ पूर्ण सकेतार्थ—रहा गया होता ।
- १३ अपूर्ण सकेतार्थ—रहा जाता होता ।
- १४ सम्भाव्य भूत—रहा गया हो या होवे ।
- १५ सामान्य भविष्य—रहा जाएगा ।
- १६ सम्भाव्य भविष्य—रहा जाए ।
- १७ भविष्य आज्ञार्थ—इसका भाववाच्य नहीं होता ।

८. अव्यय

पीछे हम लोग देख चुके हैं कि कुछ शब्द विकारी होते हैं, और कुछ अविकारी। 'अविकारी' का अर्थ होता है, जिसमें विकार या परिवर्तन न हो। ये अविकारी शब्द ही अव्यय कहे जाते हैं (अव्यय का अर्थ है जिसमें व्यय (अर्थात् परिवर्तन या हेर-फेर) न हो।)

(अव्यय चार प्रकार के होते हैं—)

- (क) क्रिया-विशेषण
- (ख) सम्बन्ध-सूचक
- (ग) समुच्चयवोधक
- (घ) विस्मयादिवोधक

(क) क्रिया-विशेषण

जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है 'क्रिया विशेषण' उन शब्दों को कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलावे। जैसे—'वह व्यक्ति धीरे-धीरे आ रहा है' वाक्य में 'धीरे-धीरे' शब्द व्यक्ति के आने (क्रिया) की विशेषता बतला रहा है, अतएव यह (धीरे-धीरे)

कार्य अनुकूल है।

उसके अनुकूल करो।

प्रयोग की दृष्टि से प्रमुखत २ प्रकार के सम्बन्ध-सूचक हैं—

(क) जो सज्ञा या सज्ञा-रूप के वाद आते हैं। जैसे—ने, को से, में तक आदि। जैसे— राम को मारो, घोड़े पर चढो, उन तक मेरी पहुँच नहीं।

(ख) जो कभी पहले और कभी वाद आते हैं। जैसे—^१ सिवा, बिना, मारे। जैसे—सिवा उनके यह काम कोई नहीं कर सकता, या उनके सिवा यह काम कोई नहीं कर सकता।

इन दोनों में पहले प्रकार के सम्बन्ध-सूचक अव्ययों के भी दो भेद हो सकते हैं—

(अ) जो अकेले आते हैं। जैसे—ने, को, मे, पर 'का, खा। जैसे—राम ने मारा, घर मे है, छत पर कूदो।

(आ) जो किसी और सम्बन्ध-सूचक अव्यय के साथ आते हैं। इस प्रकार के सम्बन्ध-सूचक बहुत-से हैं। ये प्राय के, से, की, इन तीन कारक-चिन्हों के वाद आते हैं।

'के' के वाद—आगे, पीछे, पहले, पूर्व, अनन्तर, भीतर, वीच,

पास, निकट, बिना, बदले, सहारे, कारण, मारे, आदि।

जैसे—उनके आगे, राम के अनन्तर, घर के भीतर आदि।

'से' के बाद—'के' के वाद आने वाले सम्बन्ध-सूचक अव्ययों में कुछ 'से' के वाद भी आते हैं, और प्राय वही अर्थ देते हैं। पर माथ ही 'के' के वाद आने वाले अव्ययों में अनन्तर,

वाद, पश्चात्, उपरान्त, बीच, सहारे तथा मारे आदि बहुत-से ऐसे हैं जो 'से' के बाद नहीं आते। 'से' के बाद आने वाले सम्बन्ध-सूचकों में प्रमुख पीछे, दूर, पहले, पूर्व, नीचे, निकट, बाहर आदि हैं। 'से' के बाद आने वाले प्रायः सभी सम्बन्ध-सूचक अव्यय 'के' बाद भी आते हैं।

'की' के बाद—अपेक्षा, तरह, भाँति, नाईं, तरफ, और, खातिर, मारफत, जबानी तथा जगह, आदि। जैसे—उनकी तरफ जाओ, 'राम की ओर देखो' तथा 'सीता की जगह कौन है' आदि।

[सर्वनामों में के, की के स्थान पर 'रे' 'री' (मेरे, तुम्हारे तुम्हारा तुम्हारी) आते हैं। उनके साथ भी 'के' और की के नियम लागू होते हैं। सर्वनामों के साथ आने पर कारक-चिन्ह अलग न रहकर रूपों में प्रयुक्त सम्बन्ध-सूचक अव्यय मिल जाते हैं। जैसे—उसने, उसको, उससे आदि।]

अर्थ की दृष्टि से सम्बन्ध-सूचकों को कई वर्गों में रखा जा सकता है, जिनमें प्रमुख ये हैं—

१. कालवाचक—आगे, पीछे, उपरान्त, पूर्व, बाद, पहले, लगभग आदि।

२. स्थानवाचक—आगे, पीछे, पहले, पास, निकट, दूर, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बीच, यहाँ आदि।

३. दिशावाचक—ओर, तरफ, प्रति आदि।

४. साधनवाचक—द्वारा, जरिए, मारफत, सहारे, वल, जबानी आदि।

से स्पष्ट हो जाता है। कि, यानी, जैसे, अर्थात्, मानो आदि मुख्य स्वरूप-दर्शक हैं (मुझे भय है कि कहीं वह मर न जाय, सोचता हूँ कि वहाँ हो आऊँ, वह गदहा, अर्थात् मूख्य है)।

(घ) विस्मयादि बोधक

जिन अव्ययों से बोलने या लिखने वाले के मन के विस्मय, हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट हो, 'विस्मयादि बोधक' कहलाते हैं। 'वाह ! क्या अच्छा बना है,' 'हाय बुद्धिया का वह भी सहारा समाप्त हो गया' तथा 'अरे ! यह क्या' वाक्यों में 'वाह' से हर्ष, 'हाय' से शोक, 'अरे' से विस्मय प्रकट हो रहा है। ये विस्मयादि बोधक हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनका सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों से वित्कुल नहीं होता।

विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले प्रमुख विस्मयादि बोधक ये हैं—

१ विस्मय-बोधक—है, अरे, क्या, सच ।

२ हर्ष-बोधक—अहा, वाह, शावाश, धन्य-धन्य, जय ।

३ शोक-बोधक—आह, ऊँह, ओह, हा, हाय, राम राम, बाप रे, माई रे माई, दइया रे ।

४ अनुमोदन-बोधक—ठीक, हॉ हॉ ।

५. तिरस्कार-बोधक—छि, हट, दुर, घिक्, चुप, घत् ।

६ स्वीकृति-बोधक—जी हॉ, अच्छा, जरूर, हॉ ।

७ सवोधन-बोधक—हरे, अरे, रे, अजी, हे, हो ।

६. शब्द-रचना

कुछ शब्द तो वने-वनाए होते हैं। जैसे—हार, मूर्ख, रसोई, घर। पर कुछ शब्द वनाए जाते हैं। यह शब्दों का वनाना ही शब्द-रचना कहलाता है। हिन्दी में शब्द-रचना तीन प्रकार से होती है—

- (क) शब्द के पहले कुछ जोड़कर, जैसे—‘हार’ में ‘प्र’ जोड़कर प्रहार, ‘वि’ जोड़कर विहार, ‘स’ जोड़कर ‘सहार’ और ‘आ’ जोड़कर आहार। शब्दों के पूर्व जिन्हे (यहाँ प्र, वि, स, आ,) जोड़कर नये शब्द वनाते जाते हैं, ‘उपसर्ग’ कहलाते हैं।
- (ख) शब्द के पीछे कुछ जोड़कर, जैसे—मूर्ख में ‘ता’ जोड़कर मूर्खता, लड़का में ‘पन’ जोड़कर लड़कपन तथा ‘पढ़’ में ‘आका’ जोड़कर पढ़ाका। शब्दों के पीछे जिन्हे (यहाँ ता, पन, आका) जोड़कर नये शब्द वनाए जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं।
- (ग) दो शब्दों के मेल से, जैसे—‘रसोई’ और ‘घर’ जोड़कर ‘रसोईघर’ ‘घोड़ा’ और ‘गाड़ी’ जोड़कर, ‘घोड़ागाड़ी’

तथा 'डाक' और 'साना' जोड़कर, 'डाकखाना'। इसी प्रकार कई शब्दों को जोड़ने की क्रिया को 'समास' तथा जोड़ने के बाद बने शब्द को समस्त या सामाजिक शब्द कहते हैं।
(क) उपसर्ग

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका, है, उपसर्ग उस शब्दाश को कहते हैं, जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है। ऐसा करने से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ मूल शब्द से कुछ परिवर्तित या बदला हुआ रहता है। ऊपर 'हार' से 'प्रहार', 'विहार', 'आहार', 'सहार' शब्द प्र, वि, आ, स उपसर्ग जोड़कर बनाये गए हैं। नीचे हिन्दी में प्रयुक्त कुछ प्रमुख उपसर्ग अर्थ और उदाहरण के साथ दिए जा रहे हैं—

उपसर्ग	अर्थ	उदाहरण
अ	नहीं	अवोध, अमिट
अति	अधिक	अत्युक्ति, अत्यन्त
अन	नहीं	अनपढ़, अनवन
अधि	ऊपर, बटा	अधिकार, अधिपति
अनु	पीछे	अनुचर, अनुज, अनुकरण
अप	बुरा	अपकार, अपशब्द, अपहरण
अव	नीचे	अवगुण
आ	तक	आमरण, आजन्म, आदान, आगमन
उत्	उलटा	उद्गम
उप	छोटा	उपमत्री, उपप्रधान, उपसचालक

कु	बुरा	कुकर्म, कुछग, कुरूप
दु	हीन	दुवला
	बुरा	दुकाल
दुर्	बुरा	दुर्जन, दुराचार
ना	नहीं	नालायक, नाउम्मेद
निर्	नहीं, विना,	निराकार, निर्गुण, निर्लज्ज
परा	उलटा	पराजय
परि	पूर्णतया	परित्याग
पुनर्	फिर	पुनर्जन्म, पुनरुक्ति
प्र	अधिक	प्रगति
प्रति	हरएक	प्रतिक्षण
	सामने	प्रत्यक्ष
	विरुद्ध	प्रतिवादी
	पीछे	प्रत्युपकार
प्राक्	पहले	प्रावक्तव्य
वे	नहीं	वेकार, वेहद, वेशुमार
ला	नहीं	लाजवाब, लाइलाज
वि	विना, अलग	वियोग
	विशेष	विनाश, विज्ञान
सत्	अच्छा	सत्कर्म, सज्जन
सह	साथ	सहचर, सहकारी
सु	अच्छा	सुकर्म, सुलेख
	आसानी से	सुलभ, सुकर
स्व	अपना	स्वदेश, स्वतन्त्र, स्वजन

ख. प्रत्यय—जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, प्रत्यय उस शब्दाश को कहते हैं, जिसे किसी शब्द या धातु के पीछे लगाकर कोई नया शब्द बनावे। जैसे—‘मूर्ख’ में ‘ता’ प्रत्यय जोड़कर ‘मूर्खता’।

प्रत्यय के दो भेद हैं

१. कृत्—जो धातु के पीछे लगे जैसे—अवकड़ [‘पी’ (पीना) धातु में—अवकड़ जोड़कर पिअवकड़ या ‘भूल’ (भूलना) धातु में जोड़कर भुलकड़]।
२. तद्वित्—जो सज्जा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अन्त में जोड़े जायें। जैसे—आर (लोहा + आर = लोहार, सोना + आर = सोनार) तथा ता (मम + ता = ममता, मूर्ख + ता = मूर्खता) आदि।

कृत् प्रत्यय

कृत् प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनते हैं, वे कृदन्त कहलाते हैं। पीछे किया के प्रकरण में कई प्रकार के कृदन्तों पर विचार किया जा चुका है। यहाँ कुछ प्रमुख कृत् प्रत्यय अर्थ और उदाहरण के साथ दिये जा रहे हैं—

प्रत्यय	अर्थ	उदाहरण
—अक	भाव	वैठक (‘वैठ’ धातु से)
—अवकड़	वाला	पिअवकड़, भुलकड़ (‘पी’ तथा ‘भूल’ धातु से)
—अत	भाव	वचन, रगत, खपत (वच, रग तथा खप धातु से)

—आ	भाव	भगडा, फेरा, छापा ('भगड' 'फेर' तथा 'छाप' से)
'	भूतकालिक	मारा, चला, देखा (‘मार’, ‘चल’, तथा ‘देख’ से)
—आव	भाव	पडाव, भुकाव, जमाव (पड, भुक तथा जम से)
—आहट	भाव	घवराहट, चिल्लाहट (घवरा तथा चिल्ला से)
—ऐया	कर्ता, वाला	सुनैया, खेवैया, गवैया (सुन, खे तथा गा से)
—ता	वर्तमानकालिक	चलता, हँसता (चल तथा हँस से)
—आवट	भाववाचक	लिखावट, थकावट, बनावट (‘लिख,’ ‘थक’ तथा ‘बन’ से)
	सज्जा	

तद्वित प्रत्यय

हिन्दी के प्रमुख तद्वित प्रत्यय ये हैं—

—अक	स्वार्थ	बालक
	कर्ता	चालक, पाठक
	छोटा	ढोलक
—आई	भाववाचक	भलाई, वुराई
—आलु	कर्ता	दयालु, कृपालु, श्रद्धालु
—इक	सज्जा से विशेषण बनाने के लिए	भूगोलिक, इतिहासिक ^१

१. हिन्दी में इनका शुद्ध स्स्कृत रूप भौगोलिक, ऐतिहासिक ही विशेष प्रचलित है।

—ता	विशेषण से गावधाचक	मूर्खता, गज्जनता
—त्व	"	गुरुत्व
—मय	भरा	गुरुमय
—वान	वाला	दयावान, धनवान हाथीवान
—द	देने वाला	जलद, धनद
—दायी	"	दुखदायी, मुखदायी
—दायक	"	दुखदायक, सुखदायक फलदायक

हिन्दी में कृत् और तद्वित प्रत्यय पूर्णतया अलग-अलग नहीं हैं। ऐसे भी कुछ प्रत्यय हैं जो धातु के साथ मिलने पर कृत् और अन्य शब्दों के साथ मिलने पर तद्वित कहलाते हैं। जैसे—आई (कृत्—‘पढ़’ से पढ़ाई, ‘चढ़’ से चढ़ाई, ‘लट’ से लड़ाई, तथा ‘चल’ से चलाई)। तद्वित—‘भला’ से भलाई, ‘बुरा’ से बुराई तथा ‘बड़ा’ से बड़ाई)। आर (कृत्—‘पैठ’ से ‘पैठार’, ‘पैस’ से ‘पैसार’)। तद्वित—लोहा से लोहार, सोना से सोनार) तथा—आऊ (कृत्—देख से देखाऊ,। तद्वित—पड़ित से पड़िताऊ) आदि।

ग समास

‘समास’ का अर्थ है सम्प्रेषण। जब दो शब्दों को मिलाकर तीसरा शब्द बनाते हैं तो दोनों के बीच के सम्बन्ध-सूचक शब्द का लोप हो जाता है। इस प्रकार समास करने से कुछ सम्प्रेषण हो जाता है। उदाहरणार्थ ‘राम का अनुज’ का यदि समास करे

तो 'का' लोप हो जायगा और 'राम अनुज' होगा, फिर सुन्धि के नियम के अनुसार अ + अ की सन्धि होने से 'रामानुज' हो जायगा। कहना न होगा कि 'राम का अनुज' की तुलना में 'रामानुज' सक्षिप्त है। इसी प्रकार 'घोड़े की गाड़ी' = 'घोड़ा-गाड़ी' और 'डाक का खाना' = 'डाकखाना'।

जब दो (या अधिक) शब्द जोड़े जाते हैं तो सस्कृत के शब्दों में सन्धि के नियम भी लागू हो जाते हैं। जैसे—'राम का अनुज' = राम + अनुज = रामानुज; 'राम का अवतार' = राम + अवतार = रामावतार या 'पत्र का उत्तर' = पत्र + उत्तर = पत्रो-त्तर। पर हिन्दी में प्रयुक्त उन शब्दों में, जो सस्कृत के नहीं हैं, सन्धि नहीं होती, जैसे—'राम के आसरे' = राम-आसरे। ऐसे स्थलों पर प्रायः सयोजक चिह्न का प्रयोग होता है। सन्धि हो या न हो, समास करने पर या तो दोनों शब्दों को मिला देना चाहिए (जैसे पाठशाला, घोड़ागाड़ी) या सयोजक चिह्न से जोड़ देना चाहिए (जैसे—पाठ-शाला, घोड़ा-गाड़ी)। 'पाठ शाला' या 'घोड़ा गाड़ी' लिखना अशुद्ध है।

सामासिक शब्दों को तोड़कर उनका सम्बन्ध दिखाने को या समास के पूर्व का रूप स्पष्ट करने को विग्रह कहते हैं। जैसे—'पाठशाला' का विग्रह 'पाठ की शाला', 'घोड़ागाड़ी' का 'घोड़े की गाड़ी', 'चन्द्रमुख' का 'चन्द्र के समान मुख' और 'त्रिभुज' का 'तीन भुजाएँ हैं जिसमें' होगा।

समास के मुख्य चार भेद हैं—

१ अव्ययी भाव

इस समास मे दो शब्दो से मिलकर जो शब्द बनता है, अव्यय (क्रिया-विशेषण) का काम करता है, इसीलिए इसका नाम अव्ययी भाव है। अव्ययीभाव समास गे पहला शब्द प्रधान होता है। उदाहरण—

यथा + शक्ति = यथाशक्ति प्रति + दिन = प्रतिदिन

स्त्रीलिङ्ग अव्ययी भाव समासो मे पहला शब्द अव्यय और दूसरा सज्जा या विशेषण होता है, पर इस समास के हिन्दी उदाहरणो मे पहला शब्द अव्यय न होकर प्राय सज्जा होता है। जैसे—रातोरात, घरघर, हाथोहाथ, दिनोदिन।

२ तत्पुरुष

तत्पुरुष समास मे पहला शब्द प्राय सज्जा या विशेषण तथा दूसरा सर्वदा सज्जा होता है। इसमे दूसरा शब्द प्रधान होता है। पहले शब्द के भेद के आधार पर इस समास के ३ भेद होते हैं—

क—यदि पहला शब्द सख्यावाचक विशेषण हो तो समास को द्विगु कहते हैं। जैसे—प्रिभुवन, (तीन भुवन, पहला शब्द सख्यावाचक विशेषण, दूसरा सज्जा), पचवटी, छप्पय, त्रिलोक।

ख—यदि पहला शब्द विशेषण (सख्यावाचक के अतिरिक्त) हो तो कर्मधारय, कहते हैं। जैसे—महाजन, पीताम्बर, शुभागमन, तीलगाय, महाराज, खुशबू, बदबू।

ग—यदि पहला शब्द सज्जा हो तो तत्पुरुष कहते हैं। जैसे—रामानज, जन्मान्व, राजपूत, हथकड़ी, रसोईघर।

तत्पुरुष के इस तीसरे भेद 'तत्पुरुष' को 'ध्याधिकरणतत्पुरुष' भी कहते हैं। इसके पहले कारक के आधार पर सज्जा शब्द के ६ भेद होते हैं—

१ कर्म तत्पुरुष—ग्रन्थकर्ता (ग्रन्थ को करने वाला), जल-पिपासु (जल को पीने की इच्छा रखने वाला) चिडी-मार (चिड़ियों को मारने वाला) तथा गाँठकटा (गाँठ को काटने वाला) आदि।

करण तत्पुरुष—कपड़छन (कपड़े से छाना), तुलसीकृत (तुलसी द्वारा किया हुआ), गुणहीन (गुण से हीन) तथा ईश्वरदत्त (ईश्वर से दिया हुआ) आदि।

३ सम्प्रदान तत्पुरुष—रसोईघर (रसोई के लिए घर), देशभक्ति (देश के लिए भक्ति), हथकड़ी (हाथ के लिए कड़ी), राहस्खर्च (राह के लिए खर्च)।

४. अपादान तत्पुरुष—ऋणमुक्त (ऋण से मुक्त), जातिभ्रष्ट (जाति से भ्रष्ट), पदच्युत (पद से च्युत) तथा जन्मान्ध (जन्म से अन्ध) आदि।

५. सम्बन्ध तत्पुरुष—रामानुज (राम का अनुज), सेनापति (सेना का पति), देवालय (देव का आलय), विद्यार्थी (विद्या का अर्थी) तथा पराधीन (पर के अधीन)।

६ अधिकरण तत्पुरुष—देशाटन (देश में अटन), घुड़सवार (घोड़े पर सवार), हरफनमौला (हर फन में मौला) जलज (जल में चलने वाला) तथा दानवीर (दान में वीर) आदि।

स समास मे दो सज्जाएँ हो और वीन मे 'ओर' या उसी अथ ना और शब्द निरुलकर जोड़ दिया गया हो। इसमे दोनो पद प्रधान होते हैं। जैसे—माँ-वाप (माँ और वाप), भाई-बहन (भाई और बहन), अन्न-जल (अन्न और जल) तथा सुख-दुख (सुख और दुख) आदि।

४ बहुव्रीहि

जिस समास मे कोई भी शब्द प्रधान न हो और दोनो मिल-कर किसी एक सज्जा के विशेषण हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे—नीलकठ—नीला है कठ जिसका, अर्थात् शिव, अनन्त—जिसका अन्त न हो अर्थात् ईश्वर, दशानन—दस है आनन जिसके अर्थात् रावण।

सामासिक शब्दो मे अर्थभेद के कारण कभी-कभी समास-भेद भी हो जाता है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं—

रसोईघर = रसोई के लिए घर (मम्प्रदान तत्पुरुप)

= रसोई का घर (सम्बन्ध तत्पुरुप)

नीलाम्बर = नीला कपड़ा (कर्मधारय)

= नीला है कपड़ा जिसका (बहुव्रीहि)

चन्द्रानन = चन्द्र जैसा आनन (कर्मधारय)

= चन्द्र जैसा आनन है जिसका (बहुव्रीहि)

हिन्दी में प्राय दो शब्दो का समास होता है। 'तन-मन-धन' या 'हर-फन-मीला'-जैसे तीन या अधिक शब्दो के समास अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं।

हिन्दी समासों में यदि प्रथम शब्द का पहला स्वर दीर्घ हो तो वह प्रायः हस्त हो जाता है। जैसे—दुगुना (दो), पॅचमेल (पाँच), सत्तनजा (सात), कनकटा (कान), नकटा (नाक), दुधमुहाँ (दूध) तथा मुछमुडा (मूँछ) आदि।

इसी प्रकार पहले शब्द का अन्तिम स्वर भी प्राय हस्त हो जाता है। जैसे—घुडदोड (घोड़ा), पनचक्की (पानी), कपड़छन (कपड़ा,) अधपका (आधा) तथा छुटभैया (छोटा) आदि। पर इनके अपवाद भी मिलते हैं; जैसे—घोड़ागाड़ी तथा काँजीहाउस आदि।

१०. व्युत्पत्ति

पीछे शब्द के, अर्थ की दृष्टि से, सार्थक और निरर्थक दो भेद किये गए हैं। आगे फिर सार्थक शब्दों का विकारी और अविकारी दो भागों में वाँटकर उनके अन्तर्गत आने वाले सज्जा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय आदि पर विचार किया है। प्रस्तुत अध्याय में दो अन्य दृष्टियों से (जिनके सम्बन्ध में पीछे सकेत किया जा चुका है) शब्दों के वर्ग बनाये जा सकते हैं—
 १ रचना की दृष्टि से, २ उगदम की दृष्टि से।

रचना की दृष्टि से शब्दों के प्रकार

रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के माने गए हैं—

रुद्ध, यौगिक, योगरुद्ध

रुद्ध—जो शब्द शब्दों या शब्दाशों के योग से न बना हो, वह रुद्ध कहा जाता है। जैसे—घोड़ा, हाथ, कपड़ा, आग। इन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किये जा सकते। ‘घोड़ा’ में यदि ‘घो’ और ‘ड़ा’ या ‘घ’ और ‘ओड़ा’ या ‘घोड़’ और ‘आ’ को अलग करे तो इन टुकड़ों के कोई अर्थ न होगे। इसी प्रकार हाथ, कपड़ा, आग या अन्य शब्दों को भी देखा जा सकता है।

यौगिक—रूढ़ शब्दों के साथ उपसर्ग या प्रत्यय या कोई और शब्द जोड़कर यौगिक शब्द बनाते हैं। 'यौगिक' का अर्थ ही है जोड़ा हुआ या जोड़कर बनाया हुआ। रूढ़ शब्दों में हमने देखा कि उनके टुकड़े करने पर कोई सार्थक शब्द नहीं मिलते, पर उसके विरुद्ध यौगिक शब्दों के टुकड़े करने पर सार्थक शब्द या शब्दाग्र मिलते हैं। उदाहरणार्थ सत्यता, अनपढ़, रसोईघर ये यौगिक शब्द हैं। इन्हे तोड़ने पर हम देखते हैं कि [सत्य+ता (भाववाचक सज्जा बनाने का प्रत्यय), अन (नहीं)+पढ़, रसोई+घर] सभी टुकड़े सार्थक हैं।

योगरूढ़—यौगिक शब्द यदि अर्थ की दृष्टि से सकुचित होकर केवल किसी एक वस्तु का वोध कराएँ तो योगरूढ़ कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ 'जल' एक रूढ़ शब्द है, इसमें 'ज' प्रत्यय जोड़कर 'जलज' बनाया। यह यौगिक हो गया और इसका अर्थ 'जल में उत्पन्न' हुआ। पर अब 'जलज' का प्रयोग जल में उत्पन्न बहुत-सी अन्य चीजों—सेवार, जोक, मछली आदि—के लिए न होकर केवल कमल के लिए होता है, अत यह यौगिक शब्द योगरूढ़ कहा जायगा।

उद्गम की दृष्टि से शब्दों के प्रकार

'उगदम' का अर्थ है शब्द का मूल स्थान। मूल स्थान की दृष्टि से हिन्दी के शब्दों को प्रमुखत चार वर्गों में रखा जा सकता है—

तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी

तत्सम—तत्सम (तत्+सम) का अर्थ है उसके (तत्) अर्थात्

सस्कृत के समान। हिन्दी में जो सस्कृत के शब्द अपने शुद्ध रूप में प्रचलित हैं, तत्सम कहे जाते हैं। जैसे—जल, वचन, गरीर, भाषा, पुस्तक, दर्शन, पक्षी, रक्त, पत्र, केश, नर, ईश्वर, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, अन्त, प्रकाश, उन्नति, आगा तथा मुन्दर आदि।

तद्धव-तद्धव (तत् + भव) का अर्थ है 'उमसे अर्थात् सस्कृत से उत्पन्न।' बहुत-से सस्कृत शब्द हिन्दी में अपने शुद्ध रूप में प्रयोग में न आकर बिगड़े हुए रूप में प्रयोग में आते हैं। ऐसे शब्द तद्धव कहे जाते हैं, क्योंकि ये सस्कृत के शब्दों से निकले हैं। उदाहरणार्थ 'जिह्वा' सस्कृत या तत्सम शब्द है और 'जोभ' उसीसे निकला तद्धव शब्द। यहाँ हिन्दी में प्रयुक्त कुछ तद्धव शब्द अपने मूल सस्कृत शब्द के साथ दिये जा रहे हैं—

हाथी (हस्तिन्), घोड़ा (घोटक), चीता (चित्रक), केवट (कैवर्त), काटा (कटक), पत्ती (पत्र), चाँद (चन्द्र), मिट्टी (मृत्तिका), सेम (शिवा), केकड़ा (कर्कट), गेहँ (गोधूम), बूढ़ा (वृद्ध), विच्छू (वृश्चिर), साँप (सर्प), पांव (पाद), भगत (भवत), हाथ (हस्त), हड्डी (अस्थि), जिस (यस्य), भीतर (आभ्यन्तर), पखा (पक्ष), कडाही (कटाह)।

हिन्दी में तद्धव शब्दों की सख्ती मवसे अविक है।

देशी—जो शब्द न तो विदेशों से आए हैं और न सस्कृत के शुद्ध शब्द (तत्सम) हैं, और न उनके बिगड़े रूप (तद्धव) हैं, बल्कि यहीं की बोलियों के हैं, वे देशी कहे जाते हैं। हिन्दी में इस प्रकार के बहुत-से देशी शब्द द्रविड़ तथा मुड़ा आदि भाषाओं

से आए हैं। हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध देशी शब्द पिल्ला, चिमटा, भगडा, पेट, गोड़ तथा कोड़ी आदि हैं।

विदेशी—विदेशी शब्द वे हैं जो विदेशियों के सम्पर्क में आने पर हिन्दी में आ गए हैं। हिन्दी में प्रमुख विदेशी शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली तथा अँग्रेजी हैं। इनके कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं—

अरबी—कलम, किताब, कानून, शराब, शर्वत, खजाना, मीनार तथा कत्ल आदि।

फारसी—तकिया, खच्च, कारीगर, शरम, मुहर तथा मेज आदि।

तुर्की—लाश, कुर्क, कैची, चाकू, बेगम, तोप तथा दारोगा आदि।

पुर्तगाली—नीलाम, तौलिया, चावी, गोदाम, गोभी, गिर्जा, बाल्टी तथा मिस्त्री आदि।

अँग्रेजी—स्कूल, कालिज, कापी, पेन, निव, पिन, पेंसिल, पेट, कोट, मोटर, मास्टर, अस्पताल, डाक्टर, आफिस, जज, जेल तथा साइकिल आदि।

११. पद-व्याख्या

वाक्य से अलग स्वतन्त्र रूप में रखे गए शब्द 'शब्द' कहे जाते हैं, पर जब उन्हे वाक्य में रख देते हैं तो उनका नाम 'पद' हो जाता है। पदों के विषय में उनके प्रकार, वचन, लिंग या अन्य पदों के साथ उनका सम्बन्ध आदि का वर्णन ही पद-व्याख्या, शब्द-तिरुक्ति या पद-परिचय कहलाता है। पद-व्याख्या करते समय किस शब्द-भेद के बारे में कौन-कौन-सी बातें बतलाई जानी चाहिएँ, यह नीचे दिया जा रहा है—

सज्ञा—१. भेद (व्यक्तिवाचक, जातिवाचक आदि), २. लिंग (कौन लिंग), ३. वचन (कौन वचन), ४. कारक (किस कारक में), ५. वाक्य के दूसरे पदों या शब्दों के साथ सम्बन्ध।

सर्वनाम—१. भेद, २. वचन, ३. लिंग, ४. कारक, ५. वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ सम्बन्ध, ६. (यदि ज्ञात हो तो) किस सज्ञा के लिए प्रयुक्ति।

विशेषण—१. भेद, २. किस विशेषण का विशेषण, ३. लिंग, ४. वचन।

क्रिया—१. भेद (सकर्मक, अकर्मक), २. वाच्य, ३. काल,

४ अर्थ, ५. पुरुष, ६. लिंग, ७ वचन, ८. कर्ता, कर्म आदि से सम्बन्ध, ९ यदि क्रिया संयुक्त है तो उसका विवेचन।

क्रिया-विशेषण— १. भेद २. किस क्रिया, विशेषण या क्रिया-विशेषण की विशेषता वतलाता है।

सम्बन्ध-सूचक अव्यय— किन शब्दों का सम्बन्ध दिखलाता है।

समुच्चय-बोधक अव्यय— १. भेद (संयोजक, वियोजक आदि), २. किन वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है।

विस्मयादिबोधक अव्यय— किस भाव (हर्ष, शोक, विस्मय आदि) के लिए प्रयुक्त हुआ है।

यहाँ उदाहरण के लिए एक वाक्य की पद-व्याख्या दी जा-रही है।

वाक्य— मैं पेसिल से कागज पर लिखता हूँ।

मै— सर्वनाम, पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, एकवचन, पुर्लिंग कर्ता कारक, 'लिखता हूँ' क्रिया का कर्ता।

पेसिल— सज्जा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, करण-कारक, 'लिखता हूँ' क्रिया से सम्बन्धित।

से— सम्बन्धसूचक अव्यय, करण कारक का चिह्न, पेसिल से लिखने का सम्बन्ध दिखलाता है।

कागज— सज्जा, जातिवाचक, पुर्लिंग, एकवचन, अधिकरण कारक 'लिखता हूँ' क्रिया का आधार।

पर— सम्बन्धसूचक अव्यय, अधिकरण कारक का चिह्न,

'कागज' से लिखने का सम्बन्ध स्पष्ट करता है।

लिखता हूँ—क्रिया, सकर्मक, सयुक्त, कर्तृवाच्य, सामान्य वर्तमान, निश्चयार्थ, उत्तम पुरुष, पुर्तिलग, एकवचन, 'मै' कर्ता से सम्बन्धित। 'लिखता'—मूल क्रिया 'लिख' धातु का वर्तमान कालिक कृदन्त। हूँ—सहायक क्रिया, 'हो' धातु का सामान्य वर्तमान।

खण्ड तीन

वाक्य-विवर

१. वाक्य का लक्षण और उसकी आवश्यकताएँ

अब तक शब्दों पर विचार किया गया। यहाँ वाक्य पर विचार करना है। वाक्य शब्दों का समूह होता है। पर किसी भी प्रकार के शब्दों को किसी भी प्रकार एक स्थान पर रखकर वाक्य नहीं बना सकते। उदाहरणार्थ 'वह', 'मे', 'क्योंकि', 'गया', 'आग' और 'डूब' ये छ शब्द हैं। यदि इनको इसी प्रकार रखकर हम कहे 'वह मे क्योंकि गया आग डूब', तो यह वाक्य नहीं है। यह सुनकर सुनने वाला कुछ नहीं समझ सकता। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसमें शब्दों के लिए आवश्यक क्रम की कमी है। हिन्दी के व्याकरण-सम्मत क्रम के अनुसार इसका रूप होगा 'वह आग मे डूब गया क्योंकि'। पर, इस रूप में भी यह वाक्य ठीक अर्थ नहीं देता। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि अन्त में 'क्योंकि' है, अतएव, यह वाक्य पूरा नहीं है। इसमें कुछ और अपेक्षित है। दूसरे यह कि आग में 'डूबना' नहीं होता, 'जलना' होता है, अतएव 'डूबना' शब्द यहाँ प्रासगिक नहीं है। इस

प्रकार वाक्य के लिए क्रम, पूर्णता, तथा प्रासादिकता आदि कई बातें आवश्यक हैं। व्याकरण में प्रयुक्त शब्दावली में वाक्य के लिए आवश्यक बातों को हम 'सार्थकता', 'क्रम', 'योग्यता', 'आकांक्षा', 'आसन्निति' और 'अन्वय' इन छ शीर्षकों में रख सकते हैं।

सार्थकता—वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। यदि हम कहे कि 'राम आड़ी डुड़ाता है' तो यह भाषा-सम्मत वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें 'आड़ी डुड़ाता' निरर्थक शब्द है, और इसलिए वाक्य का कोई अर्थ नहीं है।

क्रम—वाक्य में सार्थक शब्दों को भाषा के नियमानुकूल क्रम से रखना चाहिए। 'पानो में तालाब है' में शब्द सार्थक है, पर क्रम ठीक नहीं है, अत यह वाक्य ठीक नहीं है। इसे होना चाहिए 'तालाब में पानी है'।

योग्यता—वाक्य में सार्थक शब्द हो, क्रम भी ठीक हो, पर यदि शब्दों में प्रसंग के अनुकूल भाव का बोध कराने की योग्यता या क्षमता न हो तो वाक्य का भाव स्पष्ट न होगा, अत उसे ठीक वाक्य नहीं माना जायेगा। उदाहरणार्थ 'कुत्ता उड़ता है' में सार्थकता है, क्रम है, पर 'उड़ता' शब्द इस प्रसंग में 'योग्यता' नहीं रखता (या कुत्ते और उड़ने की परस्पर योग्यता नहीं है) अत यह वाक्य ठीक नहीं है। यहाँ 'उड़ता' के स्थान पर यदि 'चलता' या 'दौड़ता' रख दे तो प्रासादिक योग्यता आ जाने में वाक्य ठीक हो जायगा।

आकांक्षा—आकांक्षा का शास्त्रिक अर्थ है 'इच्छा'। वाक्य

को भाव की दृष्टि से इतना पूर्ण होना चाहिए कि भाव को समझने के लिए और कुछ जानने की इच्छा या आवश्यकता न हो। दूसरे शब्दों में किसी ऐसे शब्द या शब्द-समूह की कमी न हो जिसके बिना अर्थ स्पष्ट न होता हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति हमारे सामने आए और उससे हम केवल 'तुम' कहे तो वह कुछ न समझेगा। पर यदि कहे कि 'तुम अमुक स्थान पर चले जाओ' तो वह पूरी बात समझ जायगा। इस वाक्य में से यदि स्थान का नाम निकाल दे तो भी वाक्य अधूरा ही रहेगा। इस प्रकार वाक्य में भाव की दृष्टि से पूर्णता आवश्यक है।

आसक्ति (या सन्निधि)—आसक्ति या सन्निधि का अर्थ है समीपता। उपर्युक्त सभी दृष्टियों से वाक्य ठीक हो, पर उसका एक शब्द आज कहे, और दूसरा कल, और तीसरा परसो; तो वह वाक्य नहीं कहा जायगा। अत पूरे वाक्य का एक साथ कहा जाना या सभी शब्दों (पदों) का समीप होना भी आवश्यक है।

अन्वय—उपर्युक्त सभी बातें ठीक हो पर यदि शब्दों में अन्वय (व्याकरण की दृष्टि से समानरूपता) न हो तो अर्थ तो समझ में आ जायगा, पर वाक्य व्याकरण-सम्मत या व्याकरण की दृष्टि से ठीक न होगा। जैसे—हिन्दी में यदि हम कहे—

उसकी लड़का का हाथ में डडा थी।

तो भाव स्पष्ट है, पर वाक्य में व्याकरणिक एकरूपता नहीं है, अत हिन्दी के नियम के अनुसार यह वाक्य अशुद्ध है। इसका गुद्ध रूप होगा—

उसके लड़के के हाथ में डडा था।

इस प्रकार की आवश्यकता को अन्वय कहते हैं।

उपर्युक्त वातों के आधार पर वाक्य की परिभापा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है—

वाक्य विशिष्ट क्रम से सजाये हुए ऐसे सार्थक शब्दों का समूह है, जिनमें परस्पर योग्यता, आकाक्षा, अन्वय तथा आसक्ति हो।

वाक्य के लिए आवश्यक उपर्युक्त वातों में व्याकरण की दृष्टि से क्रम तथा अन्वय का महत्त्व है। यहाँ इन दोनों पर संक्षेप में विचार किया जा रहा है।

क्रम

प्रत्येक भाषा में वाक्य के शब्दों का अपना अलग क्रम होता है। हिन्दी में प्राय कर्ता, कर्म और तव किया (राम रावण को मारता है) या कर्ता पूरक और तव किया (राम सुन्दर है) रखते हैं। यदि कर्म दो होते हैं तो मुख्य कर्म वाद में तथा गौण पहले (मोहन ने राम को रोटी खिलाई) रखते हैं। करण कारक का शब्द अपने चिह्न के साथ सामान्यत कर्म के वाद (राम ने रावण को वाण से मारा) आता है, पर यदि दो कर्म हों तो दोनों के बीच में (राम ने श्याम को अपने हाथ से रोटी खिलाई) आता है। सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण भी प्राय कर्ता और किया के बीच में (राम ने मुझको फल दिए, पत्ता रेड से गिरा, वह घर में है) आते हैं। सम्बन्ध कारक का शब्द जिस शब्द के माथ सम्बन्ध हो उसके पूर्व (गम का धोड़ा, तुम्हारी वेटी) आता है। सम्बोधन कारक तथा विस्मयादि-

बोधक अधिकतर वाक्य के प्रारम्भ में (हे पुत्र ! तुम कहाँ हो, हाय ! मेरा तो सब-कुछ लुट गया) आते हैं।

सामान्यत विशेषण विशेष्य के पूर्व (वह सुन्दर लड़का आ रहा है) आता है, पर जो विशेषण पूरक का काम करता है विशेष्य के बाद (वह लड़का सुन्दर है) आता है।

क्रिया-विशेषण जिस क्रिया, विशेषण या क्रिया-विशेषण की विशेषता बतलाता है प्राय उनके पूर्व (वह तेज दौड़ता है, वह बहुत सुन्दर है, वह बहुत तेज दौड़ता है) आता है, पर, स्थान तथा कालवाचक क्रिया-विशेषण कर्ता के बाद ही आते (राम वहाँ जा रहा है, राम आज जा रहा है) हैं।

उपर्युक्त नियम सामान्यत प्रयोग में आते हैं, पर किसी पर बल देने के लिए अन्य प्रकार से इन नियमों के विरुद्ध भी शब्दों को पहले या पीछे स्थान देते हैं। कुछ उदाहरण हैं—

क्रिया आरम्भ में तथा कर्ता बाद में—जा रहा हूँ मैं। (यहाँ क्रिया पर जोर दिया गया है)।

कर्म आरम्भ में—राम को आज मारूँगा (यहाँ कर्म पर जोर है)।

मुख्य कर्म पहले—सोहन ने रोटी राम को खिलाई (रोटी पर जोर है)।

करण आरम्भ में—लाठी से मारूँगा। (यहाँ करण पर जोर है)

सम्प्रदान आरम्भ में—राम को कल रूपये दूँगा।

अपादान में आरम्भ—पेड़ से पत्ते गिरते हैं ।

सम्बन्ध सम्बद्ध सज्जा के बाद—वह लड़का सोहन का है (पूरक रूप में) ।

अधिकरण आरम्भ में—घर में होगा वह ।

सम्बोधन अन्त में—सुनो ओ मोहन ।

,, बीच में—मैं तो भाई ! नहीं मान सकता ।

क्रिया-विशेषण क्रिया के बीच में—वह दौड़ता तेज है ।

स्थानवाचक क्रिया-विशेषण आरम्भ में—वहाँ वह जा रहा है ।

कालवाचक—क्रिया-विशेषण आरम्भ में—कल वह जा रहा है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राय सभी नियम आवश्यकता-नुसार उलटे जा सकते हैं । पर एक नियम निश्चित है कि कारक-नित्र (सम्बोधन के अतिरिक्त) कारक के शब्द के बाद ही आते हैं । (राम ने, ने राम नहीं, राम को, को राम नहीं; राम से, से राम नहीं)

कविता में मात्रा, लय तथा तुक की दृष्टि से सामान्य पद-क्रम को प्राय उलट देते हैं ।

अन्वय

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अन्वय का अर्थ है एक वाक्य के शब्दों (पदों) की आपस में अपेक्षित व्याकरण की दृष्टि में एकरूपता । यहाँ इस विषय के प्रमुख नियम दिये जा रहे हैं ।

विशेषण और विशेष्य मे आपस मे लिंग, वचन और कारक की एकरूपता होनी चाहिए, अर्थात् विशेष्य का जो लिंग, वचन और कारक हो वही विशेषण का भी होना चाहिए। 'उस बड़े डडे को तोड़ो' वाक्य मे विशेषण (बड़े) विशेष्य (डडे) के अनुरूप है। यदि बड़े के स्थान पर 'बड़ा' या 'बड़ी' कर दें तो अन्वय की समाप्ति हो जायगी और 'उस बड़ा डडे को तोड़ो' या 'उस बड़ी डडे को तोड़ो' वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अगुद्ध हो जायगा।

क्रिया, लिंग, वचन तथा पुरुष की दृष्टि से कभी तो कर्ता के (राम जाता है, सीता जाती है, तुम जाते हो, वे लोग जाते हैं।) और कभी कर्म के अनुरूप (राम ने रोटी खाई, राम ने आम खाया, राम ने बहुत-से आम खाए, राम ने बहुत-सी रोटियाँ खाई) रहती है। एक तीसरी स्थिति ऐसी भी होती है जब क्रिया, कर्ता और कर्म, इन दोनों मे किसी के भी अनुरूप न होकर एक वचन, पुलिंग (मैंने गदहे को देखा, मैंने गदहो को देखा, सीता ने गदहे को देखा, लड़कियों ने गदहो को देखा, लड़कियों ने लड़कियों को देखा) रहती है। आदर के लिए एक वचन अन्य पुरुष कर्ता के साथ वह वचन अन्य पुरुष क्रिया प्रयुक्त होती है। 'आप' के साथ कभी तो अन्य पुरुष वह वचन का क्रिया-रूप (तो आप जा रहे हैं) प्रयुक्त होता है, और कभी नये रूप (आप आइए), (आप आइएगा)। क्रिया के अध्याय में यथास्थान इन सभी के सम्बन्ध में सकेत कर दिये गए हैं।

वाक्य में कभी-कभी एक से अधिक कर्ता होते हैं। इस सम्बन्ध मे निम्नाकित वाते याद रखने की है।

(क) यदि एक लिंग और पुरुष की सज्जाएँ कर्ता हो तथा सयोजक (और, तथा) से जुड़ी हो तो क्रिया उसी लिंग की बहु वचन होगी । जैसे--राम और मोहन जा रहे हैं । सीता और राधा आ रही हैं । वचन के कारण यहाँ अन्तर नहीं पड़ता । जैसे—राम तथा अन्य लोग गा रहे हैं ।

(ख) यदि भिन्न लिंगों तथा वचनों की एक पुरुष की सज्जाएँ कर्ता हो तथा सयोजक से जुड़ी हो तो क्रिया निकटतम कर्ता के अनुरूप (जैसे मर्द और औरते खा रही थी, औरते ग्रीष्म मर्द खा रहे थे), या क्रिया वचन की दृष्टि से बहु वचन तथा लिंग की दृष्टि से निकटवर्ती कर्ता के अनुसार (माँ और वाप आए), या पुनिलिंग बहु वचन (वैल और गाय खा रहे हैं) होगी । इनमें प्रथम नियम अधिक प्रचलित है ।

(ग) यदि कर्ता कई पुरुषों में हो तो क्रिया (१) उत्तम मध्यम, तथा अन्य के, या उत्तम और मध्यम के साथ उत्तम पुरुष की (जैसे हम, तुम और राम खेलने चलेंगे, राम और मैं जा रहा हूँ) तथा (२) मध्यम और अन्य के साथ मध्यम पुरुष की (जैसे तुम और वह जा रहे हो) प्रयुक्त होती है ।

यदि कर्ता वियोजक या विभाजक शब्दों (जैसे—या, अथवा) से जुड़े हो तो क्रिया निकटवर्ती कर्ता के अनुरूप होती है । जैसे—राम या मैं जा रहा हूँ । मैं या राम जायगा, हम लोग या वह जा रहा है ।

मकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदन्त से वने कालों में 'ने' में युक्त कर्ता तथा कर्म-कारक के चिह्न से रहित कर्म होने पर

क्रिया लिंग, वचन, पुरुष में कर्म के अनुसार होती है। जैसे—राम ने रोटी खाई, राम ने रोटियाँ खाई, राम ने आम खाया, राम ने आम खाए।

ऐसी स्थिति में यदि कर्म एक से अधिक हो तो (१) एक लिंग के होने पर क्रिया उसी लिंग की वहुवचन होगी। जैसे—राम ने किताब और कापी मोल ली। कभी-कभी लिंग वही रखते हैं पर एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे—राम ने रोटी और दाल खाई। (२) यदि कर्म भिन्न-भिन्न वचन तथा लिंग के हो तो क्रिया निकटतम कर्म के अनुसार होगी। जैसे—राम ने आम और ककड़ी खाई, राम ने ककड़ी और आम खाया, राम ने आम और ककड़ियाँ खाई, राम ने ककड़ी और वहुत-से आम खाए।

२. वाक्य के अंग तथा भेद

वाक्य मे कर्ता और क्रिया, दो अग्र अवश्य रहते हैं। 'राम जाता है', 'वह नहीं आया' तथा 'मोहन खा रहा है' में 'राम', 'वह' और 'मोहन' कर्ता हैं तथा 'जाता है', 'आया' और 'खा रहा है' क्रिया। 'खा लो'-जैसे वाक्यों मे प्रत्यक्ष रूप से कर्ता नहीं है पर वह (तुम) छिपे रूप मे वर्तमान है। बोल-चाल मे क्रिया भी कभी-कभी नहीं रहती।

राम—नुम चलोगे ।

कृष्ण—हाँ ।

यहाँ 'हाँ' वाक्य का अर्थ है 'हाँ' मे चलूँगा'। इस प्रकार क्रिया या कर्ता के न होने का अर्थ यह नहीं है कि वे हैं ही नहीं। वे रहते अवश्य हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप मे और कभी परोक्ष रूप मे।

कभी-कभी कर्ता के साथ उसके विस्तार-रूप मे और भी शब्द रहते हैं, इसी प्रकार क्रिया के भी साथ उसके विस्तार रूप मे गथार्थ क्रिया के वित्तिरिवत और बहुत-से शब्द होते हैं। कर्ता और उसके विस्तार या आधित शब्दों को 'उद्देश्य' तथा क्रिया और उसके विस्तार या आधित शब्दों को 'विधेय' कहते हैं।

'राम का लायक वेटा मोहन चल वसा' वाक्य में 'चल वसा' विधेय है और 'राम का लायक वेटा मोहन' उद्देश्य । इसमें कर्ता तो केवल 'मोहन' है पर शब्द 'राम का लायक वेटा' उसी के विस्तार है, या उसके आश्रित है । ये उसकी विशेषता बतलाते हैं । यहाँ उद्देश्य को 'कर्ता' और 'कर्ता का विस्तार', इन दो खण्डों में विभाजित किया जा सकता है ।

कर्ता और उसके विस्तार के अतिरिक्त वाक्य के शेष सारे शब्द विधेय होते हैं । विधेय की क्रिया को समापिका क्रिया कहते हैं । 'मैं लेकर जाऊँगा' वाक्य में 'जाऊँगा' समापिका क्रिया है और 'लेकर' पूर्वकालिक क्रिया । क्रिया-विशेषण, करण, करण का विस्तार (राम ने तेज वाण से मारा), सम्प्रदान, सम्प्रदान का विस्तार, अपादान, अपादान का विस्तार, अविकरण तथा अधिकरण का विस्तार आदि भी क्रिया के विस्तार के अन्तर्गत आते हैं । विधेय में क्रिया का विस्तार, पूर्वकालिक क्रिया और उसके विस्तार के अतिरिक्त, पूरक, (वह राम है) पूरक का विस्तार, (वह सुन्दर लड़का है) कर्म तथा कर्म का विस्तार (उस शारारती लड़के को मारो) आदि भी आते हैं ।

कर्तृवाच्य का उद्देश्य कर्ता कारक, कर्मवाच्य का कर्मकारक और भाववाच्य का करण कारक होता है ।

मैं खाता हूँ ।

रोटी खाई जाती है ।

मुझ से चला नहीं जाता ।

कभी-कभी उद्देश्य सम्प्रदान-कारक में भी आता है । जैसे-

राम को ऐसा नहीं कहना चाहिए था ।

तुम्हे वहाँ जाना पड़ा ।

ये (उद्देश्य और विधेय) साधारण वाक्य के अग्रथे । कभी-कभी एक वाक्य के कई उपवाक्य होते हैं और इस प्रकार कई उद्देश्य और कई विधेय होते हैं । ऐसा वाक्य, जिसमें कई उपवाक्य हो, मिश्र या सयुक्त वाक्य कहलाता है । मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या कई उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं । समुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य तथा उनके अन्तर्गत अलग-अलग आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं । प्रधान उपवाक्य सयोजक (आंर, तथा), वियोजक (या, अथवा), या परिणाम-दर्शक (इसलिए) अव्ययों से जुड़े रहते हैं । निष्कर्प-स्वस्त्रप वाक्य तीन प्रकार के हुए—

(क) साधारण वाक्य—राम जाता है । मोहन लिखेगा । लड़का पढ़ चुका । (इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है ।)

(ख) मिश्र वाक्य—राम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है । (इसमें दो उपवाक्य हैं । 'राम ने लिखा है' प्रधान उपवाक्य और 'वह कल आ रहा है' आश्रित उपवाक्य है । समुच्चय-बोधक अव्यय 'कि' से दोनों जुड़े हुए हैं ।)

(ग) सयुक्त वाक्य—वह कश्मीर गया और शाल तो आया । (इस में दो उपवाक्य हैं, पर दोनों प्रधान उपवाक्य हैं । कोई भी आश्रित उपवाक्य नहीं है । दोनों और से जुड़े हैं ।)

आश्रित उपवाक्य तीन तरह के होते हैं—

१ सज्ञा उपवाक्य—जो प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य, कर्म य

पूरक के स्थान पर आवे। इसके पहले प्राय. 'कि' रहता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम और पढ़ो। यहाँ 'कि तुम पढ़ो' सज्ञा उपवाक्य है। 'कहना' क्रिया का यह कर्म है।

- २ विशेषण उपवाक्य—जो प्रधान उपवाक्य के किसी सज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलावे। जैसे—दिल्ली जो भारत की राजधानी है, ऐतिहासिक नगर है। यहाँ, 'जो भारत की राजधानी है' विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि 'दिल्ली' की विशेषता बतलाता है।
२. क्रियाविशेषण उपवाक्य—जो प्रधान उपवाक्य में क्रिया-विशेषण का काम करे, जैसे—जब वह आया था, कुत्ते भूंक रहे थे। इसमें 'कुत्ते भूंक रहे थे' प्रधान उपवाक्य है और 'जब वह आया था' काल बतलाने के कारण क्रिया-विशेषण उपवाक्य है।

कभी-कभी आश्रित उपवाक्य के भी आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे—राजा ने कहा है कि तुम तब देना जब वह दे चुके। इसमें क—'राजा ने कहा है' प्रधान उपवाक्य, ख—'कि तुम तब देना' सज्ञा उपवाक्य है, 'कहना' क्रिया का कर्म। ग—'जब वह दे चुके' सज्ञा उपवाक्य का क्रिया-विशेषण उपवाक्य।

अर्थ की दृष्टि से भी वाक्यों के भेद किये जाते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नांकित हैं—

- १ विधानार्थक वाक्य—राम आया। वे गए। तुम लोग चल रहे हो।

- २ निपेदार्थक वाक्य—राम नहीं आया । वे नहीं गए । तुम लोग नहीं चल रहे हो ।
३. आज्ञार्थक वाक्य—तुम जाओ ! प्राप्ति काम करो !
- ४ प्रश्नार्थक वाक्य—तुम्हारा नाम क्या है ? वह कहाँ से आया है ?
- ५ विस्मयादि वोधक वाक्य—अरे यह क्या किया !
- ६ सन्देहार्थक वाक्य—वह आया होगा ।

३. वाक्य-विश्लेषण

वाक्य का अगो तथा भेदो के अनुसार विश्लेषण वाक्य विश्लेषण कहलाता है। साधारण वाक्य के वाक्य-विश्लेषण लिए पहले उसे 'उद्देश्य' और 'विधेय' दो भागो में बाँटते हैं और फिर इन दोनों के कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया, या उनके विस्तार इन उपभेदो में बाँटते हैं। इसके लिए निम्नांकित खाने काम लाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 'वह आदमी तेजी सुन्दर पत्र लिख रहा है' तथा 'राम का बेटा मोहन आर बहुत खुश है' के वाक्य-विश्लेषण दिये जा रहे हैं।

उद्देश्य		विधेय					
कर्ता	कर्ता का विस्तार	क्रिया	क्रिया का विस्तार	कर्म	कर्म का विस्तार	पूरक	पूरक विस्तार
आदमी	वह	लिख	तेजी से	पत्र	सुन्दर		
मोहन	राम का बेटा	रहा है	आज			खुश	वह

मिश्र तथा सयुक्त वाक्य के लिए कभी तो प्रधान उपवाक्य

तथा आश्रित उपवाक्यों को अलग-अलग करके आश्रित उपवाक्यों का भेद (सज्जा, विशेषण या 'क्रिया-विशेषण उपवाक्य) बतलाते हैं और कभी और आगे बढ़कर हर उपवाक्य का ऊपर दिये गए साधारण वाक्य के वाक्य-विश्लेषण की भाँति (उद्देश्य, विधेय और फिर उनके कर्ता, कर्ता का विस्तार आदि भेद) विश्लेषण करते हैं। साधारण वाक्य का उद्देश्य, विधेय तथा उसके उपभेदों के रूप में विश्लेषण का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। यहाँ केवल उपवाक्यों तथा आश्रित वाक्यों में विश्लेषण करने का उदाहरण दिया जा रहा है।

१ राम ने कहा कि उसका जाना व्यर्थ है।

२ ज्यो ही मैं निकला, पानी वरसने लगा।

३ जब तुम बनारस गए थे, मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया।

वाक्य- भेद	उपवाक्य सख्त्या	उपवाक्य	उप वाक्य प्रकार	पूरे वाठ से सबध	अव्यय
मिश्र वाक्य	१	राम ने कहा	प्र० उ० वाक्य		
	२	उसका जाना व्यर्थ है	सज्जा उप- वाक्य	'कहा' क्रिया का कर्म	कि
मिश्र वाक्य	१	पानी वरस- ने लगा	प्र० उप- वाक्य		
	२	ज्यो ही मैं निकला	क्रिया वि० उ० वाक्य	'वरसने लगा' क्रिया की काल-सूचक विशेषता बतलाना है	

क्रिया	१	मे कश्मीर गया था	प्रधान उप- वाक्य	और
	२	वहाँ से फल ले आया	प्र० उ० वाक्य	
	३	जब तुम बनारस गए थे	क्रिया विशेषण उपवाक्य	

प्रधान उप-
वाक्य न० १
की क्रिया
की काल-
सूचक
विशेषता
वतलाता है।

४. विराम-चिह्न

बोलने में, वाक्य के अन्त में या कभी-कभी वीच में भी साँस लेने के लिए हमें रुकना पड़ता है। इस प्रकार की रुकावट साँस लेने के अतिरिक्त अर्थ की स्पष्टता के लिए भी आवश्यक है। लिखने में इन रुकावट या विराम के स्थलों को कुछ चिह्नों द्वारा दिखाया जाता है, जिन्हे विराम-चिह्न कहते हैं। विराम-चिह्न न देने से कभी-कभी अर्थ समझने में बड़ी कठिनाई होती है। उदाहरणार्थ ‘रोको मत जाने दो’ वाक्य का अर्थ विना विराम के नहीं लगाया जा सकता। इसमें यदि ‘रोको’ के बाद विराम होगा तो एक अर्थ होगा और ‘मत’ के बाद होगा तो दूसरा, जो पहले का विनकुल उलटा है। इस प्रकार लिखने में विराम-चिह्नों का प्रयोग बहुत आवश्यक है।

प्रमुख विराम-चिह्न नीचे दिये जा रहे हैं—

१ अल्प विराम या कामा (,)—वोतने वाता जहाँ बहुत थोड़ी देर के लिए रुकता है, यह चिह्न लगाया जाता है। जैसे—लो, मैं चला।

२ अद्विराम (,)—जहाँ वोतने वाला अल्प विराम की

अपेक्षा कुछ अधिक देर तक ठहरता है। जैसे—मेरे कहने से वे चले गए थे; पर तबियत ठीक न होने के कारण पुनः लौट आए।

३ पूर्ण विराम (।)—वाक्य के अन्त मे लगाया जाता है। कविता मे वाक्य की पूर्णता-अपूर्णता पर ध्यान न देकर इसका प्रयोग पद या पक्षि के अन्त मे किया जाता है और छन्द के अन्त मे एक पाई के स्थान पर दो पाइयाँ लगाते हैं।

४ प्रश्नसूचक चिह्न (?)—यदि वाक्य प्रश्नसूचक (या प्रश्नार्थ) हो तो पूर्ण विराम के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे,—तुम्हारा नाम क्या है?

५. विस्मयसूचक चिह्न (!)—विस्मयादि-वोधक अव्यय के वाद या ऐसे वाक्यों के वाद इसे लगाते हैं। जैसे—अरे! यह क्या किया।

६. विवरण चिह्न (.—) —जब कोई विवरण देना हो। जैसे प्रमुख वार्ते निम्नांकित हैं—

७ अवतरण चिह्न ("—") जब किसी का वाक्य या वाक्य-समूह आदि उद्धृत करना हो। उसे उद्धृत अश के शुरू “मे और अन्त में” लगाते हैं।

८. योजक या सयोजक चिह्न (—) —दो शब्दों का सम्बन्ध दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे—डाक-घर, घोड़ा-गाड़ी।